राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

ग्रङ्क 6] सप्तम् विधान सभा के षष्ठम् सत्र का ग्रड़तीसवां दिवस [संख्या 29

शनिवार

दिनांक 26 मार्च, 1983

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, ग्रध्यक्ष, पदासीन)

स्थगन प्रस्तावों पर ग्रध्यक्षीय व्यवस्था

श्री ग्रध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

(1) सर्वश्री हीरालाल ग्रार्य व दाऊदयाल जोशी—कोटा जिले के ग्रामीण विकास ग्रभिकरण के माध्यम से चालू वर्ष में खर्च किये जाने वाली राशि में से विशेष तौर पर माडा योजना के ग्रन्तर्गत ग्राधी से कम राशि खर्च होने के विषय में,

(2) श्री बालचन्द्र ग्रार्यवीर—गत वर्ष झालावाड़ जिले की पंचायत रनापरा में बिसनिया एनीकट पर लगे मजदूरी को मजदूरी का भुगतान न करने के विषय में,

(3) श्री ग्रनंग कुमार जैन—राज्य परिवहन निगम की बस संख्या 9940 में, 16 दिसम्बर, 1982 को भद्दे गानों का रिकार्ड लगे रहने के विषय में,

(4) श्री हरीश शर्मा—राजस्थान विश्वविद्यालय की परीक्षाग्रों का प्राध्यापकों द्वारा बहिष्कार करने की संभावना के विषय में,

(5) श्री मेघराज तावड़—महावीर गृह निर्माण सहकारी समिति, उदयपुर में ग्रनुसूचित जाति एवं ग्रनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के मकानों से उन्हें बेदखल करने के विषय में,

(6) श्री हंसराज शर्मा व श्री चुन्नीलाल जेलिया—तहसील खण्डार, जिला सवाई माधोपुर के डॉक्टर द्वारा स्टाफ व जनता के साथ दुर्व्यवहार,

(7) श्री छीतरलाल ग्रार्य—कोटा नगर की कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है, इस विषय में,

(8) श्री नाथूसिंह—राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मंत्री, श्री सुखाड़िया की गत वर्ष बीकानेर में सन्देहास्पद स्थिति में मृत्यु होने के विषय में,

(9) श्री यदुनाथ सिंह—भरतपुर जिले में कानून व्यवस्था के ग्रस्तव्यस्त हो जाने के विषय में,

(श्री अध्यक्ष)

(10) श्री बंशीलाल पटवा—जिलाधीश, अजमेर द्वारा सिनेमाघर मृदंग को गत माह दो बार ईर्ष्यावश बन्द करा देने के विषय में,

(11) सुश्री पुष्पा जैन—गत 19 मार्च को राज्य सरकार द्वारा नगर पालिकाओं को सड़कों व अन्य विकास कार्यों के लिये दिये गये विशेष अनुदान में भेद-भाव बरतने के विषय में,

(12) श्री गुलाबचन्द कटारिया व सुश्री पुष्पा जैन—उदयपुर नगर के मुख्य बाजार, बापू बाजार में गत 25 मार्च को कुछ बदमाशों द्वारा एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार करने और उसे ऐसिड डाल कर जला देने के विषय में,

(13) श्रीमती उजला अरोड़ा—दिनांक 26 जनवरी, 1981 को घाटगेट, जयपुर के विरितयों के मोहल्ले में रहने वाली एक महिला खातून को उसके पति द्वारा गला घोंट कर मार देने के विषय में।

इन स्थगन-प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : आज तो सदन स्थगित हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को इस बात के लिये दाद देनी पड़ेगी कि इतने स्थगन प्रस्ताव आखिरी दिन तक रखे।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, इनका लिखित में उत्तर दिला दीजिये।

श्री अध्यक्ष : इन स्थगन-प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(14) श्री भंवरलाल शर्मा—फार्मेसी कौंसिल राजस्थान द्वारा पंजीयन में अनियमिततायें व उसमें प्रशिक्षित व्यक्तियों को हो रहे नुकसान के विषय में,

(15) श्री रामकंवार बैरवा—जिला अलवर में भर्तृहरि के मेले के अवसर पर बैरवा समाज द्वारा बनाई गई धर्मशाला पर पुलिस का कब्जा हो जाने से उत्पन्न स्थिति के विषय में।

इन स्थगन-प्रस्तावों को आवश्यक कार्यवाही हेतु राज्य सरकार को भेजा जा रहा है। मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूँ।

(16) श्रीमती विद्या पाठक—राज्य में अकाल की समस्या होने के बावजूद बसन्तगढ़, धोलामाला आदि स्थानों पर ताम्बे के खनन कार्य में केन्द्रीय खनिज गवेषण निगम द्वारा राज्य के बाहर के लोगों को मजदूरी पर लगाने से उत्पन्न स्थिति के विषय में।

यह केन्द्र सरकार का विषय है, अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

निम्नांकित स्थगन-प्रस्तावों पर तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त हो गई है। प्राप्त जानकारी के आधार पर अथवा अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं होने के कारण मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं:—

(श्री अध्यक्ष)

(1) श्री रघुवीर सिंह कौशल व श्री दाऊदयाल जोशी—सरकार द्वारा किसानों से कृषि मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित समर्थित मूल्य पर चना न खरीदने के विषय में,

(2) श्री हंसराज शर्मा व श्री चुन्नीलाल जेलिया—जिला सवाई माधोपुर के बांध सूरवाल व देवपुरा में काश्तकारों की डूब में आई जमीनों का मुआवजा न देने के विषय में,

(3) श्री नन्दलाल मीणा व श्री राम किशोर मीणा—माही बजाज सागर परियोजना, बांसवाड़ा की डूब में आने वाली जमीन के खातेदार किसानों को वैकल्पिक भूमि न देने अथवा उसका कब्जा न देने के विषय में,

(4) श्री हीरालाल आर्य— 1) पीपल्दा क्षेत्र में भूतपूर्व महाराजाओं द्वारा बनाये गये चैक डेमों के क्षतिग्रस्त हो जाने के विषय में,

2) राज्य के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की अनुबन्धित बसों के सम्बन्ध में परिवहन निगम के नियम अव्यवहारिक होने के विषय में,

3) पीपल्दा क्षेत्र की बागली पंचायत की कुछ जमीनों पर वहां के जमीदार द्वारा जमीनों पर नाजायज कब्जे के विषय में,

(5) श्री छीतरलाल आर्य—ग्राम पंचायत कटावर की चरागाह भूमि पर अतिक्रमण,

(6) श्री महाराम चौधरी—इलाहाबाद में लगी पशु प्रदर्शनी में पशुपालकों के साथ दुर्व्यवहार;

(7) श्री घनश्याम तिवाड़ी— 1) जिला शिक्षा अधिकारी, सीकर द्वारा खरीद में अनियमिततायें,

2) राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लोगों के साथ भेद-भाव,

3) जयपुर सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष द्वारा नियुक्तियों में पक्षपात,

(8) श्री कैलाश मेघवाल— 1) अजमेर में सफाई की व्यवस्था,

2) सिंचाई विभाग द्वारा नकली व मिलावटी सीमेन्ट काम में लेना;

3) अजमेर में एक मकान में हुआ विस्फोट,

(9) श्री हरीश शर्मा—कावरी लिफ्ट सिंचाई योजना, कोटा को कार्यान्वित न करना,

(10) श्री बंशीलाल पटवा—भीलवाड़ा में ओवर ब्रिज के पास टेण्डर के अभाव में मूर्ति का कार्य करना;

(11) श्री ललित किशोर चतुर्वेदी—जालौर नगरपालिका द्वारा राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना चुंगी बढ़ना;

(12) श्री लच्छूराम—राजस्थान के किसानों द्वारा बिजली की मांग को लेकर किया जाने वाला आन्दोलन,

(13) श्री जीतमल जैन—नगरपालिकाओं को दिये जाने वाले विशेष अनुदान में भेदभाव;

जैसी कि पूर्व में व्यवस्था रही है, जिन माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्तावों को

(श्री अध्यक्ष)
प्रारम्भ में ही अथवा राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त होने के पश्चात् अस्वीकार कर दिया है उन माननीय सदस्यों के नाम आसन से पुकारे जायेंगे और वे माननीय सदस्य दो-दो मिनट में अपनी बात कह सकते है।

श्री भंवरलाल शर्मा !

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर).: अध्यक्ष महोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जो आयुर्वेद के विद्यार्थियों के प्रवेश को लेकर के अनियमिततायें हुई हैं वे आगे भी कन्टीन्यू करेगी। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

श्री अध्यक्ष : उस पर दो मिनट बोल सकते हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : हां, बहुत जरूरी है।

श्री अध्यक्ष : मैंने आपसे कह दिया था कल लेकिन आज प्रश्नकाल नहीं था इसलिए छूट गया है यह विषय।

श्री भंवरलाल शर्मा !

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस बिन्दु पर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं उस का सम्बन्ध राजस्थान के जन जीवन और सैकड़ों लोगों के रोजगार से है। राजस्थान के अन्दर यदि कोई भेषज निर्माण का काम करना चाहता है, जिसको हम फार्मेसिस्ट कहते हैं, उसके लिए यह जरूरी है कि वह कोई न कोई क्वालिफिकेशन प्राप्त करे, अपने आपको योग्य बनावे। उसके बाद ही वह लोगों को दवा दे। इसके अभाव में यदि कोई व्यक्ति काम करता है तो वह जन जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। इसके लिए कानून में प्रावधान है। कानून के अन्तर्गत यह आवश्यक है कि रजिस्ट्रेशन के पहले उसको कुछ क्वालिफिकेशन प्राप्त करनी होगी। यह कानून है, फार्मेसिस्ट एक्ट, 1948। इसके सैक्शन 19 में यह लिखा है:—

"Except where a joint State Council is constituted in accordance with an agreement made under section 20, the State Government shall constitute a State Council consisting of the following members, namely......"

इस सब की देख-रेख करने के लिए कानून में यह प्रावधान है, सरकार ऐसे लोगों के बोर्ड या कौंसिल गठित करेगी, जो कि न लोगों को रजिस्ट्रेशन दिया जाय इसकी देख-भाल करेगी। इसके साथ दूसरा प्रोवीजन सैक्शन 11 में यह है:—

"At any time after the constitution of the State Council under Chapter III and after consultation with the State Council, the State Government may, by notification in the Official Gazette, declare that the Education Regulations shall effect in the State."

जब कौंसिल बन जायगी उसके बाद एजूकेशन रेगुलेशन भी इस काम को रेगुलेट करने के लिए बनाये जायेंगे। राजस्थान

(श्री भंवरलाल शर्मा)

सरकार ने उनका भी निर्माण कर दिया। जैसे ही यह एजूकेशन रेगुलेशन इफेक्ट में आयेंगे उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन होगा वह गवर्न होगा सैक्शन 30 से। सैक्शन 30 में लिखा है :

"A person who has attained the age of 18 years, shall be entilted, on payment of prescribed fee, to have his name entered in the register if he resides or carries on the business or profession of pharmacy in the State and if he -

(a) holds a degree or diploma in Pharmacy, or

(b) holds a degree of an Indian University, or

(c) has passed an examination recognised as adequate by the State Government for Compounders or Dispensers, or

(d) has been engaged in compounding of drugs in a hospital or dispensary or other place in which drugs are regularly dispensed prescriptions of medical practientioners, for a total period of not less than five years prior to the date of Notification,"

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें। माननीय सदस्य, संक्षेप में कहें।

श्री भंवरलाल शर्मा : "after the date appointed under sub-section (2) of Section 30 and before the Education Regulations."

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, इस कानून की व्याख्या आप मौखिक रूप में करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं मौखिक रूप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी आदमी जो अपने आपको भेषज निर्माता के नाते रजिस्टर्ड कराना चाहेगा, इस एजूकेशन रेगुलेशन आने के बाद यह जरूरी है कि कोई न कोई डिप्लोमा उसको लेना चाहिये। राजस्थान में, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हो रहा है कि जिस दिन से यह रेगुलेशन्स फोर्स में आये है उसकी पहले की तारीख में, प्रिवियस डेट में हजारों लोगों की एप्लीकेशन्स ली जा रही हैं। उन एप्लीकेशन्स के आधार पर यह मान कर कि यह रेगुलेशन्स उस समय फोर्स में नहीं थे बड़े अधिकारियों की सांठ-गांठ से उन लोगों, जो कि क्वालिफाइड नहीं हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है, को रजिस्ट्रेशन दिलाने की कार्यवाही चल रही है। अगर यह बात हो जाती है, जिसकी सम्भावना बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा। इसमें बड़े-बड़े अधिकारियों की कनायवेंस है। मेरा तो चॉर्ज यह है, माननीय चिकित्सा मन्त्री जी इस समय उपलब्ध नहीं है, मेरी जानकारी के आधार पर उनके भी कुछ लोग इसमें इन्वाल्वड हैं जिनको भी यह ....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर,/माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : I withdraw it.

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये। समाप्त कीजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : ऐसे लोगों को भी यह गलत सर्टिफिकेट दिये जा रहे हैं। इसका परिणाम यह होगा कि जिन लोगों का इस बारे में अनुभव नहीं है, जो लोग जानते नहीं कि दवाई कैसे बनाई जाती है ....

श्री अध्यक्ष : बात समझ में आ गई। कृपया समाप्त कीजिये। समस्या तो आपने रख दी सदन में।

श्री भंवरलाल शर्मा : एक बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है, उन लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जायेगा। मेरा आपसे निवेदन है, सरकार से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जो लोग पिछली तारीख में अपनी दरख्वास्त दे करके इस कानून की आड़ से बचने के लिये इस प्रकार जो सर्टिफिकेट प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करवा कर हजारों लोगो को दवा दे करके उनके स्वास्थ्य के साथ, जीवन के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं उन पर रोक लगाई जानी चाहिये। इसको तुरन्त रोकें।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : जो मैंने कहा है उसकी जांच करें। यदि वे व्यक्ति क्वालिफाइड नहीं हैं उनमें से किसी का भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाना चाहिये, यही मेरा निवेदन है।

श्री सुन्दरलाल (सूरजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था, रिजर्व बैंक में 9,800 रुपये का 23 तारीख को गबन घोटाला हुआ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, वह अभी आया ही नहीं है व्यवस्था में। या तो आपने दिया नहीं होगा ....

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, रिजर्व बैंक सारी अर्थ व्यवस्था को कन्ट्रोल करता है। लोक महत्व का मामला है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। बाधा नहीं डालें। सभी माननीय सदस्यों को सुनने के पश्चात् यदि सम्भव हुआ, जन महत्व का प्रस्ताव हुआ तो मैं अवसर दे दूंगा।

(व्यवधान)

इस तरह खड़े होकर बाधा नहीं डालें।

(व्यवधान)

ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री राम कंवार बैरवा : श्रीमती विद्या पाठक !

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम है। भंवरलाल जी ने स्थगन प्रस्ताव दिया उसमें मैंने भी नाम दिया था। मेरे दस्तखत हैं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : दस्तखत हैं आपके ?

श्री अनंग कुमार जैन : हां, मैं गलत थोड़े ही कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : दो मिनट।

श्री सुन्दरलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय, आज अनुसूचित जाति की रिपोर्ट पेश हो रही है। हमें ब्याह-शादी

(श्री सुन्दरलाल)
में भी सबसे पीछे जिमाते हैं और हमारी रिपोर्ट भी सबसे पीछे लेते हैं। इसको पहले ले लो नहीं तो सारे लोग चले जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : आपका सुझाव ठीक है। आज एक महत्वपूर्ण विचारणीय विषय है।

श्री सुन्दरलाल : ये सब चले जायेंगे और इस पर कोई नहीं सुनेगा। वैसे भी कोई नहीं खड़ा रहेगा ही। ब्याह-शादी में सबके बाद में हरिजनों को जिमाते हैं, रिपोर्ट भी सबसे बाद में ली जाती है। बड़ी गड़बड़ हमारे साथ हो रही है। इसको सबसे पहले लिया जाय ताकि विचार कर सकें।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (सराड़ा) : अध्यक्ष महोदय, हाउस में जब शिड्यूल्ड ट्राइब्स की रिपोर्ट आती है तब पीछे आती है, पिछली बार भी सरकार को कहा था कि पहले शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की रिपोर्ट आनी चाहिये। इसलिये दूसरी बात को छोड़ कर....

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, स्थगन प्रस्ताव और अन्य वक्तव्य वगैरह सदा सबसे पहले आते हैं। माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा कि आज समय का पूरा ख्याल रखें। बहुत कम समय में अपनी बात कहने का कष्ट करें और समय की बचत करें। यह महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में माननीय सदस्यों ने ध्यान आकर्षित किया है। यह नहीं हो कि दूसरे जो विषय पहले आते हैं उन पर चर्चा करने के बाद में आपन गैर हाजिर हो जायं सदन में, उस पर विचार नहीं करें। यह उपयुक्त सुझाव है। इसलिए माननीय सदस्यों को मेरा सुझाव है कि पहले तो जितने भी अन्य विषय हैं उन पर कम से कम समय लें। उसके पश्चात अधिक से अधिक उपस्थिति रहनी चाहिये।

(व्यवधान)

आप समय ले रहे हैं। ऑर्डर प्लीज।

श्री अनंग कुमार जैन : फार्मेसी अधिनियम, 1948 के तहत तीन साल का पीरियड इसमें दिया गया था। तीन साल तक जो भी एंगेज रहता है उसको फार्मेसी लाइसेंस दे दिया जाएगा। तीन साल का पीरियड 10 अगस्त, 1981 को समाप्त हो गया। उसके बाद करीब दो हजार एप्लीकेशन्स ऐसी विभाग के अन्दर हैं जिनको 10 अगस्त, 1981 से पुरानी तारीख में एन्टर किया गया है। अध्यक्ष महोदय, 4-5 आदमियों का ग्रुप है जिन्होंने यह लेटर निकाला है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है वह हमसे आकर मिले, सम्पर्क करे। वे लोग पूरे प्रदेश में घूम घूमकर किसी से पांच सौ रुपये, किसी से एक हजार रुपए ले रहे हैं। 3 लाख रुपए...

श्री अध्यक्ष : बहुत देर से यह विषय ध्यान में आया, माननीय सदस्य।

श्री अनंग कुमार जैन : मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : आप कह दीजिए, समय का अभाव है।

श्री अनंग कुमार जैन : इस ग्रुप ने 3 लाख रुपए इकट्ठे किए हैं। तीन लाख रुपया इकट्ठा करके उसके माध्यम से पुरानी

(श्री अनंगकुमार जैन)
तारीख में दरख्वास्त एन्टर करवा कर इन लोगों को पुरानी तारीख में लाइसेंस दिलवाना चाहते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण मसला है।

श्री अध्यक्ष : समझ गया। समझ में आ गया थोड़े शब्दों में।

श्री अनंग कुमार जैन : यह जन जीवन से संबंध रखता है

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर !

श्री अनंग कुमार जैन : नतीजा गलत होने से काफी जानें हो सकती हैं

श्री अध्यक्ष : अन्य माध्यमों से इस विषय को लाया जा सकता है। कृपया स्थान ग्रहण करें। बैठ जाइए, माननीय सदस्य।

श्री अनंग कुमार जैन : इस प्रकार फर्जी लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि राज्य सरकार ध्यान दे।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकुंवार बैरवा

(अनुपस्थित)

श्रीमती विद्या पाठक। अकाल की समस्या होने के बावजूद बसन्तगढ़ धोला माला आदि स्थानों पर ताम्बे के खनन कार्य में केन्द्रीय खनिज गवेषण निगम द्वारा राज्य के बाहर के लोगों को मजदूरी पर लगाने से उत्पन्न स्थिति के विषय में।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : अध्यक्ष महोदय, राज्य में केन्द्र की ओर से मिनिस्ट्री ऑफ माइन्स एण्ड स्टील से एफिलियेटेड, मिनरल के एक्सप्लोरेशन का एक निगम कार्य कर रहा है, यह निगम अन्यस्थानों की तरह ही बसन्तगढ़ सिरोही जिला और झुन्झुनू के खेतड़ी के धोलामाला स्थान पर एक्सप्लोरेशन का काम कर रहा है। साथ ही, कई जगह लिग्नाइट एक्सप्लोरेशन का काम भी कर रहा है। इसमें राज्य के बाहर से स्किल्ड लेबर लायें तो समझ में आता है किन्तु अनस्किल्ड लेबर, जो डेली वेजेज पर मजदूर हैं, को भी राज्य के बाहर सिक्किम और यहां तक कि चुंगेल, जो यू. पी. में है, ऐसे स्थानों से भी लाकर यहां लगाया जा रहा है। हमारा प्रदेश वैसे ही अकालग्रस्त है, अकाल राहत कार्यों की वैसे ही कमी बहुत है। जो रोजगार अकाल ग्रस्त क्षेत्र में हमारे राज्य में उपलब्ध होना चाहिये, वह बाहर वालों को उपलब्ध हो रहा है। इस निगम और इस निगम की व्यवस्थायें सर्विसेज काफी समय तक चलने वाली हैं, परमानेन्ट होने वाली हैं। ऐसा करने से हमारे प्रदेश के लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाएगा और उनकी सीनियोरिटी भी प्रभावित होगी। इसलिए आवश्यक है कि सरकार अपने गुड आफिसेज यूज करके यह व्यवस्था कराए कि हमारे प्रदेश की लैंड पर हमारे ही वर्कर्स को काम मिले।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीरसिंह कौशल। चने का मूल्य गिरने के बारे में, सरकार द्वारा खरीद न किये जाने के विषय में।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : अध्यक्ष महोदय, कृषि मूल्य आयोग किसानों की विभिन्न फसलों के लिए समर्थन मूल्य तय करता है। यह मूल्य तय करते समय

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

काफी विचार विमर्श होता है। किसान की लागत के हिसाब से फसल पर कितनी लागत होती है और उसको क्या मिलना चाहिये, इस पर विचार करने के बाद एक समर्थन मूल्य तय होता है कि इससे कम भाव जाय तो सरकार उस माल को खरीदेगी। जैसे ही फसल तैयार होती है, किसान मंडी में अपना माल बेचने के लिये तुरन्त आता है, बड़े किसान अपने माल को रोक लेते हैं। इस साल कृषि मूल्य आयोग ने चने का समर्थन मूल्य 235 रुपया तय कर दिया लेकिन बाजार में चना आये आज 20–25 दिन हो गये, 190 रुपये क्विंटल में चना बिक रहा है। इस समय 210 रुपया हो गया है। जो गरीब किसान है वह अपनी आवश्यकता के लिये माल मण्डी में तुरन्त ला रहा है। अभी तक गवर्नमेंट ने समर्थन मूल्य पर चने की खरीद शुरू नहीं की है। जितने गरीब किसान हैं वे चना बेच चुके हैं और बेच रहे हैं। समर्थन मूल्य के आधार पर किसान को भाव मिलना चाहिये, यह सरकार की जिम्मेदारी है।

अध्यक्ष महोदय, अन्य विषय पर तो मैं चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि आप कहेंगे। फसल बोते समय हमें फर्टिलाइजर महंगा मिला, बीज महंगा मिला। यदि हम सीड निगम से फर्टिलाइजर लेते हैं तो राजस्थान में फर्टिलाइजर अन्य प्रदेशों से महंगा मिलता है सेल्स टैक्स के कारण, चुंगी के कारण। लागत अधिक लगने के बाद जो समर्थन मूल्य केन्द्रीय सरकार ने, कृषि मूल्य आयोग ने तय किया है उस भाव पर हमारा चना नहीं खरीदा जा रहा है। इससे किसानों में सब जगह असंतोष है, आप अखबारों में पढ़ते होंगे, मन्त्री महोदय कि चने का भाव इस समय क्या है। क्या यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि कृषि मूल्य आयोग द्वारा तय किये गये समर्थन मूल्य पर किसान की फसल ली जाये? ज्वार का भाव तय हुआ तब भी वह फसल समर्थन मूल्य से कम में बिकी। जब गरीब किसान का माल बिक जाता है तब सरकार मंडी में आती है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि सरकार अपने कर्त्तव्य का पालन करे, जो समर्थन मूल्य तय किया गया है उस पर किसान का चना खरीदे। किसानों में असंतोष है। किसानों को इससे घोर आर्थिक क्षति हो रही है।

श्री अध्यक्ष : श्री हंसराज शर्मा! श्री चुन्नी लाल। जिला सवाई माधोपुर में बांध सूरवाल की डूब में आई जमीन का मुआवजा न देने के विषय में।

श्री हंसराज शर्मा :

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : मेरा नाम इसमें है। मेरे यहां तो सबसे अधिक चना पैदा होता है।

श्री अध्यक्ष : आपका नाम है। श्री दाऊ दयाल जोशी।

श्री दाऊदयाल जोशी : कृषि मूल्य आयोग द्वारा समर्थन मूल्य इसलिये घोषित किये जाते हैं कि किसान को अपना पैसा मिल जाये। दुर्भाग्य है, पिछले साल भी ज्वार का समर्थन मूल्य घोषित हो गया था तब भी 125 रुपये क्विंटल की ज्वार बाजार में 80 रुपये क्विंटल में बिकती रही। सारे मार्केट में कोटा में, सांगोद में, रामगंजमंडी में सरकार कहीं पिक्चर में नहीं आई। आखिरकार काश्तकार

(श्री दाऊदयाल जोशी)

बरबाद हो गया। एक तरफ कोटा जिले के जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व मैं करता हूं वह अकाल से पीड़ित है और दूसरी तरफ अकाल की मार के बावजूद जो कुछ अन्न पैदा होता है उसका भी किसान को उचित मूल्य नहीं मिलता है, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। एक बार किसान को पानी न मिलने के कारण चावल पैदा नहीं हुआ, तिल्ली··

श्री अध्यक्ष : विषयांतर न हों।

श्री दाऊदयाल जोशी : तिल्ली नकली मिली इसलिये तिल्ली पैदा नहीं हुई। काश्तकार का जो चना पैदा हुआ है, उपज हुई है उसका भी आज बाजार में उसको ठीक प्रकार से मूल्य नहीं मिल रहा है। लगातार भाव गिरते जा रहे हैं। मेरा कृषि मंत्री से निवेदन है कि वह समुचित व्यवस्था करें। उपज का सही मूल्यांकन करके किसान को सही मूल्य दिलायें।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी ने सुन लिया है। श्री हंसराज शर्मा!

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, सूरवाल बांध और देवपुरा में डूब में आई भूमि का काश्तकारों को मुआवजा नहीं दिया गया है, उसके संदर्भ में मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा। सवाई माधोपुर क्षेत्र में बांध सूरवाल 1937 में बनवाया गया था। जिस समय इसको बनाया गया उस समय काश्तकारों की जमीनें एक्वायर नहीं की गई और बांध बना दिया गया। जब बांध बना दिया गया तो उसके अन्दर दो स्टेट्स, जयपुर और ईसरदा में झगड़ा हो गया। ईसरदा ठिकाने ने अपनी सीमा में बांध का पानी नहीं आए इसलिए बांध बनवा लिया, उधर सरकार ने बांध बनवाया। दोनों में इस तरह का झगड़ा हुआ और बांध का काम बिलकुल बन्द हो गया। वह काम कई दिनों तक बन्द रहा। उसके बाद उसी बांध को 1956 में राज्य सरकार ने तैयार कर दिया। जब बांध तैयार हुआ तब सारे कुएं डूब गए। जमीनें डूब गई किन्तु वह जमीनें किसानों की खातेदारी में विधिवत् रहीं, काश्तकार विधिवत् उसका लगान देते रहे। किसी भी प्रकार का उनको कोई मुआवजा नहीं मिला। उसके बाद विधान सभा में गत बार जब निवेदन किया गया तो राज्य सरकार ने काश्तकारों को बांध सूरवाल की डूब में आई भूमि का मुआवजा देने के लिए 10,15,700) रुपये की स्वीकृति दी और यह कहा कि मार्च तक सम्पूर्ण पेमेन्ट कर दिया जाएगा। वह पैसा वहां पहुँच गया। उस पैसे के पहुँचने के बाद में अधिकारियों और काश्तकारों के बीच में बड़ा मतभेद हुआ। जो अधिकारी उसमें से जो कुछ चाहते थे वह उनको नहीं मिल पाया, उसका परिणाम यह हुआ कि 7,15,487 रुपया, जो मुआवजे का पैसा था, काश्तकारों को न देकर तहसीलदार और एस. डी. एम. ने रेवेन्यू हैड में वापस जमा करा दिया। आज की तारीख तक उनको एक पैसा नहीं दिया गया। सारा पैसा रेवेन्यू हैड में जमा करवा दिया गया। इसका केवल एक पर्पज था, उस तहसीलदार ने रेवेन्यू की रिकवरी का ज्यादा पैसा बता कर राष्ट्रपति पदक ले लिया। जो काश्तकार हैं वह आज लटक रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि जो काश्तकारों का पैसा है वह दिलाया जाए।

अध्यक्ष महोदय, इसमें एक मसला और रह गया। इस बांध की 11 फीट हाइट

(श्री हंसराज शर्मा)

थी, राज्य सरकार ने उसको 14 फीट का रेज कर दिया। 14 फीट का रेज कर दिया लेकिन उसमें कितनी जमीन डूब में आयेगी, इसका कोई सर्वे नहीं कराया गया। बांध 1975 में पूरा हो चुका है। तीन फीट रेज करने में जितने काश्तकारों के कुएं और जमीन डूब में आई है आज दिन तक उन काश्तकारों को एक भी पैसा उसका नहीं दिया गया। ग्राम महू और सुणारी, ग्राम सुणारी की 300 बीघा चाही की जमीन और ग्राम महू की 24 बीघा चाही की जमीन, 20 पक्की कोठियां, इस बांध के बीच में, पेटे में हैं। सरकार के रिकार्ड में यह नहीं है आज की तारीख में, इस गांव का रकबा, जमीन और कुए डूब में हैं या नहीं। गत बार भी इस संबंध में मैंने राज्य सरकार से निवेदन किया था लेकिन अब तक इस सम्बन्ध में कोई कार्य-वाही नहीं की गई है। इसलिये वह लोग बहुत परेशान हैं उनको मुआवजा दिलाया जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल !

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इसमें एक और समस्या आ गई है कि काश्तकारों की जमीन, जो अब तक खातेदारी में चल रही थी, के नाम हजारों रुपया है। 51 से लेकर अब तक लगान बकाया है। जमीन खातेदारी में से कटी नहीं, लगान इनके नाम है, कोऑपरेटिव का वह पैसा ले नहीं सकते। सारे परिवार इस स्थिति में आ गये इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन पर जो लगान है वह माफ करवाया जाये, डूब में उनकी जमीन आई उसका मुआवजा दिलाया जाए। जिस अधिकारी ने जानबूझ कर मिला हुआ पैसा रेवेन्यू के हैड में जमा करवा दिया, काश्तकारों को नहीं दिया उसके खिलाफ जांच की जाये। इन्हीं शब्दों के साथ में पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि काश्तकार परेशान हैं, दुखी हैं क्योंकि उनकी सारी जमीन डूब में आ गई है। उनको मुआवजा दिलाया जाये ताकि वह उदरपूर्ति का साधन कर सकें।

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल !

श्री चुन्नीलाल : अध्यक्ष महोदय, तहसील सवाई माधोपुर में बन्ध सूरवाल और देवपुरा के सम्बन्ध में जो काश्तकारों को आज तक मुआवजा नहीं दिया गया इस सम्बन्ध में सरकार के सामने अर्ज कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, इतने लम्बे समय के बाद भी काश्तकार अपने मुआवजे के लिए रोज-रोज कचहरी के चक्कर लगाते हैं फिर भी उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है। यह सही है कि उन काश्तकारों का मुआवजा यहां से जा चुका था लेकिन एक तहसीलदार जी 20 प्रतिशत के हिसाब से जितनी मुआवजे की राशि बनती थी उसकी मांग करते रहे। तहसीलदार जी की शिकायत भी समय-समय पर उच्च अधि-कारियों को करते रहे लेकिन किसी अधिकारी ने कोई ध्यान नहीं दिया। आज भी वह पैसा काश्तकारों का वहां जमा है। इसी तरह से जो देवपुरा बन्ध है, अध्यक्ष महोदय, उसमें जो भूमि डूब में आई है, वह शिड्यूल्ड कास्ट्स के व्यक्तियों की है। न तो उसकी एवज में सरकार ने कोई जमीन दी है न मुआवजा दिया है। आज वह काश्तकार भूमिहीन हो चुके हैं। उनके लिए रोजगार का कोई साधन नहीं है। अगर सरकार उनको

(12)

(श्री चुन्नीलाल)

तत्काल कोई मुआवजा दे तो या तो वह निजी धन्धा करें या कहीं से जमीन परचेज करें। काश्तकारों की बड़ी दयनीय स्थिति है इसलिये काश्तकारों को डूब में आई जमीन का अविलम्ब मुआवजा दिलाने की व्यवस्था की जाए। उनके मकान तक बन्ध के नीचे आ चुके हैं। कहीं अगर उस बन्ध में पानी ज्यादा हो जाय तो सारी जो बैरवों की बस्ती है उसमें से एक भी परिवार नहीं बच सकता इसलिए मकान, जमीन और कुएं का मुआवजा दिलाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल मीणा, माही बजाज सागर परियोजना के सम्बन्ध में। एवं श्री रामकिशोर मीणा।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा जिले में माही बन्ध से प्रभावित लोगों के बारे में मेरा स्थगन प्रस्ताव था। अध्यक्ष महोदय, कागजात मैं लाया नहीं। मेरा तो यही निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, लगभग 1500 लोग जो हैं जिनको राज्य सरकार ने अभी तक जमीन अलॉट नहीं की है और 5,000 और कितने लोग डूब से प्रभावित हुए हैं उन लोगों को जमीन नहीं दी है. उन्हें मुआवजा देकर राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से अलग हट गई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रस्ताव कौन सा है, यह बता दीजिए।

श्री नन्दलाल मीणा : मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि माही की डूब में आने वाले लोग···

श्री अध्यक्ष : वह आपके यहां पर आकर बस गये हैं।

श्री नन्दलाल मीणा : वह प्रतापगढ़ में बस गये। 1970 से प्रतापगढ़ तहसील में देवगढ़ रेन्ज के इलाके में उन लोगों ने जंगलात की भूमि पर कब्जा कर लिया क्योंकि न उनको बांसवाड़ा में जमीन दी और न डूंगरपुर में कोई जमीन दी।

श्री अध्यक्ष : अब गति पकड़ ली है, मैंने सुझाव दिया है।

श्री नन्दलाल मीणा : परिणामस्वरूप क्या हुआ कि 1970 में जब प्रतापगढ़ तहसील में उन्होंने कब्जे कर लिये तो 1970 से लेकर 1980 तक प्रतापगढ़ तहसील के वन अधिकारियों ने, राजस्व अधिकारियों ने इस बात की चुप्पी साधे रखी कि वास्तव में यह लोग वहां से बेदखल कर दिये गये हैं और इनको राज्य सरकार ने पुनर्वासित नहीं किया है और न ही खेती, जो इनका मुख्य धन्धा है, के लिए कोई भूमि आवंटित की गई है। बांसवाड़ा जिले के श्री हरिदेव जोशी राजस्थान के मुख्य मन्त्री थे उन्होंने भी यह कहा कि जहां-जहां भी आपको जमीन अच्छी लगे वहां बस जायें। अगर जंगलात में हो तो जंगलात से निकाल कर रेवेन्यू में डालकर आपको अलॉट कर दी जायेगी। वह आकर बस गये। अध्यक्ष महोदय, 1980 से उनको बे-दखल करने की कार्यवाही राज्य सरकार ने वन विभाग के माध्यम से शुरू कर दी। मैं समय-समय पर इनको अवगत करता रहा हूँ कि उन लोगों के झोंपड़े जला दिये गये। आज स्थिति यह है, बागीदौरा से आने वाले

(श्री नन्दलाल मीणा)

माननीय सदस्य नाथू रामजी ने भी माननीय प्रधान मन्त्री से इस बात के लिए एप्रोच की कि आखिर इन लोगों का क्या होगा। वन विभाग ने उनको बेदखल कर दिया। ऐसी स्थिति में आज वह लोग किसी टेकडी पर पड़े हैं और नाजायज लकड़ी काटकर अपना भरण-पोषण कर रहे हैं। आपसे निवेदन है कि जब फोरेस्ट एक्ट में संशोधन आ गया, यह राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार से बाहर है कि उन लोगों को वह जमीन दी जानी चाहिए, परन्तु राज्य सरकार यह तो करे कि चूंकि उन लोगों ने 80 से पहले उस जमीन पर कब्जा कर रखा है भारत सरकार को लिखे या वहां नहीं बसाना चाहते हों तो उसके बजाय जहां कहीं भी जमीन हो वहां बसा दें। वह परिवार तो बसना चाहते हैं चाहे बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, डूंगरपुर में या राजस्थान कैनाल में जमीन देना चाहें तो दे सकते हैं। परन्तु, अध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई मन्त्री से कहना चाहता हूं कि उन लोगों को 1967 में बेदखल किया गया। उसके बाद अब तक पुनर्वासित नहीं किया, मुआवजा देने की अपनी जिम्मेदारी से मुकर गये, मुआवजा भी 585 लोगों को अभी तक नहीं दिया गया। मेरा तो यह निवेदन है, उन गरीब आदमियों की आवाज आप तक पहुँचती है किसी माननीय सदस्य के द्वारा तो आप उस पर तवज्जह नहीं देते। आज हालत यह है कि उन लोगों को जंगलात विभाग वाले, रेवेन्यू वाले, पुलिस विभाग वाले परेशान कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, उनको जो भी पैसा मिला वह पुलिस वाले खा गये, जंगलात वाले खा गये। अब स्थिति यह है कि उन बच्चों को खिलाने का कोई साधन नहीं है, दाना पानी नहीं है, वह फटेहाल पड़े हुए हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि सिंचाई परियोजना जाखम, माही और कडाना से जितने लोग प्रभावित हुए हैं, उनको न सरकार ने मुआवजा दिया, न जमीन दी, न पुनर्वासित किया। इसके लिये सरकार क्या कदम भविष्य में उठायेगी, इस पर अपना दृष्टिकोण सदन में उपस्थित करे।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य। पीपल्दा क्षेत्र में भूतपूर्व महाराजाओं द्वारा बनाये गये चेक डेमों के क्षतिग्रस्त हो जाने के विषय में।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, पीपल्दा क्षेत्र सब तरफ से नदियों से घिरा हुआ है। एक तरफ चम्बल है, एक तरफ काली सिन्ध है, एक तरफ पार्वती है और एक तरफ बानगंगा नदी है। इन सब नदियों से घिरे होने की वजह से इन नदियों के कटाव से किसानों के खेत खराब हो रहे हैं। यह कटाव दिनों-दिन बढ़ते जा रहे हैं इनको रोकने के लिए भू-संरक्षण और कन्दरा सुधार द्वारा वहां पर कार्य किये जा रहे हैं। वह कार्य मेड़बन्दी के और मिट्टी के और जहां जहां पत्थरों की आवश्यकता है वहां पक्के बनाये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप विषयान्तर हो रहे हैं। पुराने राजाओं के समय के एनीकट्स बने हुए थे और नष्ट हो गए, उसके ऊपर आइये ना ?

श्री हीरा लाल आर्य : उसी के बारे में बोल रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय।

इससे पहले भी वहां पर भूतपूर्व महाराजाओं द्वारा पूरे इलाके में मिट्टी के

(श्री हीरा लाल आर्य)

चैकडैम बनाये हुए थे कंदराओं को रोकने के लिए और कटावों को रोकने के लिए लेकिन वह बहुत पुराने थे और स्थान-स्थान पर कट गये थे, ऐसे स्थान-स्थान पर कटे हुऐ चैकडैमों की संख्या 42 के आसपास है। 42 चैकडैम स्थान-स्थान पर टूट गये हैं अब उनकी मरम्मत नहीं की जा रही है। अभी जो काम चल रहा है दूसरी जगह जो काम कर रहे हैं लेकिन····

श्री अध्यक्ष : उस समय रुपया बहुत मुश्किल से मिलता था इसलिए उपयुक्त स्थान पर बनाये गये होंगे इसलिए मैंने इसकी अनुमति भी दी होगी। आप नये डैम की बात कर रहे हैं।

श्री हीरा लाल आर्य : मैं उनकी ही बात कर रहा हूं। उनकी मरम्मत तो करा नहीं रहे हैं और नये स्थानों पर बना रहे हैं। अभी तो मरम्मत पर कम पैसा लगेगा। कम पैसा लगने से बहुत से खेतों की सुरक्षा हो सकती है इसलिए पहले प्राथमिकता के आधार पर जो टूट गये हैं उनकी मरम्मत की जानी चाहिए। मैंने मन्त्री महोदय से प्रश्न भी किया था, विधान सभा में मंत्री महोदय ने फर्माया था कि हम इसका सर्वे करवा रहे हैं, इसके एस्टीमेट्स भी बनवा रहे हैं। एस्टीमेट्स भी बन गये और वह तैयार हो गए लेकिन हमको फंड्स अलाट नहीं किये इसलिए वह खेत ज्यादा से ज्यादा खराब होते जा रहे हैं····

श्री अध्यक्ष : अब आपके दो विषय और हैं।

श्री हीरा लाल आर्य : ····अभी जो कटाव है उसको रोक दिया जाता है तो ज्यादा खराब नहीं होंगे। इसलिए आपके माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि जो चैकडैम टूट गये हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत के लिए लें।

श्री अध्यक्ष : आपके दो स्थगन प्रस्ताव और हैं उनके ऊपर भी आपको बोलना है। पहला है, अनुसूचित जाति की अनुबन्धित बसों के संबन्ध में परिवहन नियमों के अव्यवहारिक होने के विषय में। दूसरा है पीपल्दा क्षेत्र की बागली पंचायत की कुछ जमीनों पर वहां के जमींदारों द्वारा नाजायज कब्जों के संबंध में। यह दो और विषय हैं, इनके ऊपर भी बोल दीजिये।

श्री हीरालाल आर्य : तो इनके ऊपर भी बोलता हूं, अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय, बीस सूत्री कार्यक्रम के आधार पर, गरीब लोगों को ऊपर उठाने के कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के गरीब लोगों को बसें दी थीं। वित्त निगम से ऋण दिलाया गया था और उनको अनुबंधित राजस्थान रोडवेज से करवाया था। कहा तो यह था कि हम 15 हजार में बसें देंगे लेकिन, अध्यक्ष महोदय, उन बस मालिकों के खुद के कम से कम एक-एक लाख रुपये खर्च हुए। उन्होंने बड़ी मुश्किल से इधर-उधर से व्यवस्था करके बसें खरीदीं और राजस्थान रोडवेज में उनको अनुबंधित के रूप में लगाया लेकिन उनकी शर्तें इतनी कठोर और अव्यवहारिक हैं कि वह फायदे के बजाय घाटे में जा रहे हैं। घाटे में जाने की वजह से बहुत सारे लोगों ने तो बसें खड़ी कर रखी हैं। चलाते नहीं हैं। वह लोग अपनी समस्याओं के निराकरण

(श्री हीरा लाल ग्रार्य)
के लिए मंत्री महोदय ग्रौर मुख्य मंत्री महोदय से मिल चुके हैं लेकिन वह कहते हैं कि पहले के जो मुख्य मंत्री जी थे वह मार गए शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को, हम कुछ नहीं करना चाहते हैं। ग्रध्यक्ष महोदय, नियम इतने ग्रव्यवहारिक हैं इनके, इनकी खुद की जो निगम की बसें चलती हैं उन पर 2 रुपया 60 पैसा प्रति किलोमीटर का खर्चा ग्रा रहा है लेकिन जो ग्रनुबन्धित बसें हैं इनको यह 1 रुपया 89 पैसा दे रहे हैं। इसके ग्रलावा जो दूसरे ग्रौर प्राब्लम हैं....

श्री ग्रध्यक्ष : रूट लम्बे देते हैं या छोटे देते हैं ?

श्री हीरालाल ग्रार्य : रूट तो छोटे ही देते हैं। जिनकी एप्रोच होती होगी उनको बड़े रूट देते होंगे। लेकिन ग्रकसर छोटे-छोटे रूट्स हैं उनसे उनका कुछ होता नहीं है। इसके ग्रलावा, यदि एक मिनट की लेट हो जाय तो एक मिनट का एक रुपया जुर्माना है। लेट होने में उनका क्या दोष है? कंडक्टर इनके विभाग के हैं ग्रौर एक कंडक्टर की जिम्मेदारी है कि समय पर बस चले ग्रौर समय पर बस ग्राये। यही नहीं बस का कहीं एक्सीडेन्ट हो जाये, किसी कारण से बस खराब हो जाये तो उसके ऊपर 400 रुपया प्रति दिन का जुर्माना है। यह क्या कहते हैं....

श्री ग्रध्यक्ष : निगम की स्वयं की बसें ग्रगर लेट ग्रायें तो उसमें क्या है ?

श्री हीरालाल ग्रार्य : यह ग्राश्चर्य है कि उस पर कुछ नहीं है....

श्री दाऊदयाल जोशी : वाकोलिया जी की बस चलती है....

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रॉर्डर, ग्रॉर्डर।

श्री हीरा लाल ग्रार्य : एक दिन गाड़ी रह जाये किसी कारण से तो 400 रुपये का जुर्माना है। यह कहते क्या हैं कि यदि बस एक दिन खड़ी करें तो हमको 24 घंटे का नोटिस दो कि हमारी बस एक दिन खड़ी रहेगी। ग्रब ग्रचानक कहीं खराबी हो जाय, ग्रचानक कहीं एक्सीडेन्ट हो जाये तो 24 घंटे पहले क्या सपना ग्राता है कि हमारी बस खड़ी होगी? इसलिए, ग्रध्यक्ष महोदय, यह ग्रव्यवहारिक ग्रौर कठोर शर्तें हैं इनको दूर करें ताकि करीब 84 जो शिड्यूल्ड कास्ट्स के परिवार बरबाद हो रहे हैं वह बच सकें ग्रौर उनकी बसें चल सकें।

श्री ग्रध्यक्ष : पीपल्दा क्षेत्र के वागली पंचायत की कुछ जमीनों के ऊपर वहां के जमींदारों द्वारा नाजायज कब्जे के सम्बन्ध में।

श्री हीरालाल ग्रार्य : उस पर भी निवेदन कर रहा हूं, ग्रध्यक्ष महोदय।

मेरे पीपल्दा क्षेत्र के वागली गांव में भूतपूर्व जागीरदारों ग्रौर जमींदारों की जमीनें थीं। वह वर्षों पहले, पीढ़ियों पहले उन्होंने शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को दे दी थीं। उनके ऊपर शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग खेती कर रहे हैं, ग्रभी भी खेती कर रहे हैं। ग्रब वह क्या कहते हैं कि यह जमीन हम लेंगे। राजस्व विभाग के ग्रधिकारियों से सांटगांठ करके वह उस जमीन को खुद हड़पना चाहते हैं। ग्रध्यक्ष महोदय, उनकी माफी तो रिज्यूम हो चुकी हैं। उनका उस

(श्री हीरा लाल आर्य)
जमीन पर कोई अधिकार नहीं है। शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों के नाम पर खातेदारी जमीन है लेकिन राजस्व विभाग के अधिकारियों से मिलकर उनकी जमीन कैंसिल करके अपने नाम पर करवा ली। अध्यक्ष महोदय, अपने नाम पर करवाकर जो शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग हैं उनको वह बेदखल करके खुद जमीन लेना चाहते हैं।

इसका एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय। खसरा नं. 114 की 160 बीघा जमीन और 114/160 की 26 बीघा...

श्री अध्यक्ष : इसमें उचित माध्यम आप अपनाते। प्रश्न का विषय हो सकता था यह।

श्री हीरालाल आर्य : मैंने दे रखा है। मैंने स्पेसिफिक मेन्शन किया है उसमें। खसरा नं. 34 की 8 बीघा 7 विस्वा जमीन पर फूंदीलाल, जो कि शिड्यूल्ड ट्राइब का व्यक्ति है, के नाम पर खातेदारी थी। वहां के भूतपूर्व जागीरदार, जो श्री भारतसिंह जी हैं, अपने रिश्तेदार, जो राजस्व विभाग में हैं, से मिलकर यह कह कर कि जमीन मैंने इनको चाकरी के लिए दी थी वापस लेना चाहते हैं...

श्री अध्यक्ष : समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करें। समस्या में कोई जागीरदार होगा, कोई खसरा होगा, कोई खातेदार होगा, कोई कृषक होगा। माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल आर्य : मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि यह जो बड़े-बड़े लोग हैं यह राजस्व विभाग से मिलकर शिड्यूल्ड कास्ट्स के गरीब लोगों को बेदखल करना चाहते हैं। मंत्री महोदय, इसकी जांच कराके शिड्यूल्ड कास्ट के गरीब लोगों को यह लोग जो बेदखल करने की कार्यवाही कर रहे हैं इसको आप रोकें। वर्षों से और पीढ़ियों से शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों के पास जमीन है, कुए हैं, उसको यह हड़पना चाहते हैं। इसको लेकर वहां के लोगों में बड़ा रोष है। इसलिए आपके माध्यम से मैं राजस्व मन्त्री जी को निवेदन करूंगा कि प्राथमिकता से महरबानी करके इसके ऊपर कार्यवाही कर शिड्यूल्ड कास्ट्स के कब्जों को कायम रखें।

श्री अध्यक्ष : श्री छीतरलाल आर्य ! ग्राम पंचायत कटावर की चरागाह भूमि पर अतिक्रमण के बारे में।

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र अटरू के ग्राम पंचायत कटावर के अन्दर चरागाह भूमि पर जिनका अतिक्रमण है उन्हें अभी तक बेदखल नहीं करने के सम्बन्ध में मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा। मेरे निर्वाचन क्षेत्र अटरू में कटावर ग्राम के किसानों का अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां क्या है कि जो चरागाह भूमि है उसके ऊपर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, वह प्रभावशाली लोग हैं। अभी भू-राजस्व अभियान के तहत एस. डी. ओ. साहब ने आदेश दिये हैं लेकिन फिर भी अभी तक चरागाह के ऊपर जिनका अतिक्रमण है उनको नहीं हटाया गया है और न वह फसलें दिलवाई गई हैं। अध्यक्ष महोदय, वहां के लोगों ने मुझे पत्र लिखकर बताया है कि आठ-आठ रोज से हमारे जो बैल हैं, पशु हैं वह घरों में

(श्री छीतर लाल आर्य)
दबे हुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से उन्होंने यह भी बताया कि वहां का कोई पटवारी है, तहसीलदार है तो एस. डी. ओ. साहब ने पुलिस बुलाकर दिलवाने का आदेश दे दिया है······

श्री अध्यक्ष : कार्यवाही हो जायेगी, माननीय सदस्य, निर्णय ले लिया गया है। माननीय सदस्य, कार्यवाही हो जायेगी।

श्री छीतरलाल आर्य : इसलिए मेरा निवेदन है भू-राजस्व मन्त्री जी से, वह ऐसी व्यवस्था करें कि जिससे वहां के किसानों के सामने और पशुओं के सामने जो कठिनाइयां पैदा हो रही हैं तुरन्त उनका निवारण हो सके··

श्री अध्यक्ष : श्री महाराम चौधरी। इलाहाबाद मेले में लगी पशु प्रदर्शनी में पशुपालकों के साथ व्यवहार।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की तरह कागज तो मैं भी नहीं लाया लेकिन मेरे कलेजे के अन्दर दुःख दर्द जमा हुआ है इसलिये वह मुझे अच्छी तरह याद है। नागौर मेले के अन्दर तिथियां नहीं होने की वजह से पशु पालकों को राज्य सरकार के पशु पालन अधिकारियों ने भारत लेवल पर जो पशु प्रदर्शनी लगाई थी उस प्रदर्शनी के अन्दर आमन्त्रित किया गया। यह कह करके, इस तरह का प्रलोभन देकर कि अगर आपके बैलों को कुछ हो जायेगा तो उसका हर्जाना भरेंगे, इन्श्योरेंस करायेंगे उनको इलाहाबाद ले गये और····

श्री अध्यक्ष : कितने पशु पालकों को ले गये ?

श्री महाराम चौधरी : दो पशुपालक थे चार बैल थे। एक एक बैल की जोड़ी का नागौर के मेले के अन्दर 16 हजार रुपये दाम था। उन्होंने बड़ी मुश्किल से, अपने पेट को गांठ लगाकर पशुओं को खिला पिला कर तैयार किया था। इन बैलों से अच्छे पैसे मिल जायेंगे तो मैं फिर इन पैसों से बाल बच्चों का और पेट का गुजर करूंगा। लेकिन बैलों को किस तरह से ले गये ? इतनी लापरवाही बरती कि रास्ते में जाते जाते ताला बन्द करते वक्त बैल की पूंछ काट दी। अध्यक्ष महोदय, नाक और पूंछ बैल के लिये बहुत महत्व की होती है, बल्कि नाक की बनिस्वत पूंछ बहुत महत्व की होती है। जिस बैल की पूंछ ओछी हो जाती है····

श्री अध्यक्ष : क्योंकि पूंछ उसका स्टीयरिंग है, उसी से चलाया जाता है।

श्री महाराम चौधरी : उसी से माखी उड़ाने और सब तरह का काम करता है। उसके बाद जब वे पशुपालक यहां आये, पशु पालन मन्त्री महोदय से, सरकारी अधिकारियों से मिले, उन सबने कहा कि हम को धोखा देकर काम किया। इन्श्योरेन्स करा देते तो हमारे पशुओं का हर्जाना मिल जाता। तीन दिन तक वे पशुपालक यहां पड़े रहे लेकिन मन्त्री महोदय ने कोई तवज्जह नहीं दी। अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं जानते हैं।

श्री अध्यक्ष : बैल वहां बिके या नहीं ?

श्री महाराम चौधरी : बेचने के लिये नहीं ले गये थे। राजस्थान की नाक ऊंची करने के लिये ले गये थे। हमारे यहां यह

(18)

(श्री महाराम चौधरी)

कहते हैं कि पशु पालन विभाग पशुओं की पालना करता है। पशुओं को पालने के लिये कोई तरह की योग्यता तकनीक नहीं है यथार्थ में तो तकनीकी को जानते भी नहीं हैं। उन्होंने स्वतः ही अपने बैज तैयार किये। फिर इस तरह के प्रलोभन में आ गये कि इनाम दिलायेंगे। अध्यक्ष महोदय, उन पशु पालकों के चराये हुए पशु फर्स्ट नम्बर पर आये पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर। हालांकि उनको चार सौ रुपये इनाम मिल। अध्यक्ष महोदय, चार सौ रुपये में क्या होता है। अध्यक्ष महोदय, वहां उनके खाने के लिये क्या व्यवस्था थी। एक आदमी को रोज के दस रुपये। चार पशुओं के साथ चार आदमी गये थे···

श्री अध्यक्ष : पशुओं को कितना दिया ?

श्री महाराम चौधरी : पशुओं को तो ऐसा खागला, रद्दी चारा दिया जो कि इन पशुओं के खाने लायक नहीं था। बेचारे बाजार से गुड़, फिटकड़ी, तेल, चने की दाल लाकर खिला खिला कर उनका पेट निकाला···

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री महाराम चौधरी : इसलिये मैं आपकी मार्फत इस सरकार की तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि इस तरह से किसानों को धोखा देकर उनके साथ व्यवहार किया। हर्जाने का जो पैसा है वह उनको देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी ! आपके चार विषय हैं। जिला शिक्षा अधिकारी सीकर, आवासन मण्डल जयपुर, सैन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक···

श्री घनश्याम तिवाड़ी : चारों का मुझे ध्यान है। चारों पर दो दो मिनट···

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में। नहीं। आप के तीन विषय हैं, मैंने उनको रखा है। कृपया दो दो मिनट में आप समाप्त कर दें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर सैन्ट्रल कोआॅरेटिव बैंक के बारे में···

श्री अध्यक्ष : पहले जिला शिक्षा अधिकारी, जिस क्रम में है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, सीकर जिले के शिक्षा अधिकारी के बारे में मैंने एक स्थगन प्रस्ताव आपके सामने प्रस्तुत किया था। अध्यक्ष महोदय, हम सब पार्टी के लोगों ने मिलकर जिला शिक्षा अधिकारी को शिकायत की थी। पिछली बार वह बीमार हो गये थे। बीमार होकर वह सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती रहे और वहां बैठे बैठे स्थानान्तरण के आदेश करते रहे, 250 व्यक्तियों को स्थानान्तरण आदेश दिये। 250 स्कूल आज खाली पड़े हैं और 250 स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक्सेस अध्यापक हैं। इस कारण से तनख्वाह नहीं उठ रही है। तनख्वाह नहीं उठने के कारण पिछले 6 माह में अध्यापकों को वेतन नहीं मिला। इसी प्रकार से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया। जिन 50 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पिछले दस माह से वेतन नहीं मिल रहा है वह धरना दे रहे हैं।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

इसी प्रकार उन्होंने पिछले साल घोटाला किया था। क्रय करने में कुछ शिकायतें थीं। अध्यक्ष महोदय, विना टैन्डर के एक ही फर्म से उन्होंने चार लाख रुपये का सामान खरीदा। अध्यक्ष महोदय, 6 लाख रुपये का सामान खरीदना था। डिप्टी डाइरेक्टर को उनकी जांच के लिये भेजा गया। डिप्टी डाइरेक्टर महोदय ने उनकी जांच की और जांच करने के बाद उन्होंने इनकी क्रय करने की पावर समाप्त कर दी और उनका तुरन्त स्थानान्तरण करने के लिये लिखा। अध्यक्ष महोदय, डिप्टी डाइरेक्टर के इस आदेश के बाद में क्योंकि उनकी शिकायतें थीं उनको बीकानेर भेज दिया गया। जिलाधीश ने उनके खिलाफ डी. ओ. लैटर कमिश्नर और मिनिस्टर सबको भेजे। अध्यक्ष महोदय, 7 दिन के अन्दर वह बीकानेर चले गये। सात दिन के बाद जिस व्यक्ति को सस्पैण्ड किया जाना चाहिये था उस व्यक्ति को क्योंकि मार्च का महीना था, कई फर्मों को आॅर्डर कर रखे थे इसलिये वापस घोटाला करने के लिये स्थानान्तरित करके सीकर में लगा दिया गया। पंचायत समिति के प्रधान ने एक पत्र लिखा कि एक अध्यापक, जिस अध्यापक की कोई एप्लीकेशन नहीं, को मेरे क्षेत्र में लगा दिया जावे। उसके पश्चात् उस अध्यापक को दूसरे स्थान पर लगा दिया। उन्होंने कहा, यह मेरा अधिकार क्षेत्र है मैं चाहूंगा, उसको लगाऊं। डिप्टी डाइरेक्टर ने जांच की, डाइरेक्टर ने जांच की, खुद एजूकेशन मिनिस्टर ने कहा, उसको सस्पैंड किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए शर्म आती है कि माननीय मुख्य मंत्री जी जब दिल्ली में थे तब फोन से आदेश देकर वापस लगाया। मैंने शिक्षा मंत्री से कहा तो उन्होंने कहा, मुझे पता नहीं। इस से ज्यादा दुःख की बात और हो नहीं सकती कि भ्रष्ट अधिकारियों को माननीय मुख्य मंत्री जी· · · ·

श्री अध्यक्ष: आॅर्डर आॅर्डर ! माननीय सदस्य। सरकार करती है जो कुछ करती है।

(व्यवधान)

अगला विषय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उनका स्थानान्तरण किया जाये· · ·

श्री अध्यक्ष : आवासन मण्डल द्वारा अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों के साथ भेदभाव।

श्री त्रिलोक सिंह (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस तरह की हालत हमारे स्कूल की है। मिडिल स्कूल खेतड़ी में एक मास्टर है। मैं इसमें ज्यादा नहीं पड़ता। यही कहना चाहता हूँ, ऐसे शिक्षा अधिकारी का हम क्या करें। अगर कोई दूसरा इलाज नहीं करेगा, जनता करेगी, हम करेंगे· · ·

श्री अध्यक्ष : कृपया· · ·

श्री त्रिलोक सिंह : नहीं, यह बर्दाश्त नहीं हो सकता। नाकाबिले बर्दाश्त है। जनता धक्के मारकर निकाल देगी, जनता जबरदस्ती निकाल देगी· · ·

श्री अध्यक्ष : इन माननीय सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव रखा था उसको ग्रस्वीकार किया है।

(व्यवधान)

कृपया विराजें। दूसरा विषय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ग्रध्यक्ष महोदय, दूसरा ग्रावासन मण्डल के बारे में है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि 210 व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है। ग्रध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा....

श्री अध्यक्ष : ग्रनुसूचित जाति ग्रौर जन जाति के लोगों के साथ भेदभाव के सम्बन्ध में।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसी पर बोल रहा हूं।

ग्रध्यक्ष महोदय, 210 लोगों की सूची मुझे दी थी। ग्रध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं ग्रावासन मण्डल ने मन्त्री महोदय को गुमराह किया है। 334 लोगों की नियुक्तियां हुई हैं। नियुक्तियों के सब ग्रादेश मेरे पास हैं, ग्रध्यक्ष महोदय। जो सूची उन्होंने मुझे दी उसके ग्रलावा जो सूची है वह मैं सदन के पटल पर ग्रापकी ग्राज्ञा से रखना चाहता हूं। इस प्रकार 334 लोगों की नियुक्ति की गई है। 334 लोगों में से एक भी ग्रादमी शिड्यूल्ड कास्ट्स शिड्यूल्ड ट्राइब्स का नहीं है। ग्रध्यक्ष महोदय, जिस समय जवाब दिया उस समय पंचायत समिति के चुनाव हो रहे थे। ग्रापने जवाब दिया उसके बाद 50 ग्रादमियों की नियुक्ति ग्रावासन मण्डल ने कर दी। ग्रापको पता नहीं। ग्रध्यक्ष महोदय, मण्डल की सम्पत्ति ग्रावंटन की समिति की दिनांक 2-12-82 को मीटिंग हुई। ग्रध्यक्ष महोदय, उसमें कोरम पूरा नहीं था। दो ग्रादमियों ने उस मीटिंग में भाग लिया, एक ग्रध्यक्ष माननीय राम नारायण चौधरी ग्रौर दूसरे सरकार के व्यक्ति थे ग्रखय राज माथुर। दोनों ने कोरम के ग्रभाव में मंडल की सम्पत्ति के नियमों को बदला, उन्होंने दस डिसीजन लिये ग्रौर जो शिड्यूल्ड कास्ट्स शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों का रिजर्वेशन होता है, जो उनको मकान मिलने चाहिये थे, उन मकानों का कोटा उन्होंने समाप्त कर दिया। ग्राज मैं ग्रारोप लगाता हूं, ग्रध्यक्ष महोदय, मण्डल के जितने मकान ग्रावंटित किये गये थे उनमें से 50 पर्सेंट शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को ग्रावंटित किये गये हैं। ग्रावासन मण्डल ने जानबूझ कर शिड्यूल्ड कास्ट्स ग्रौर शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को मकान ग्रावंटित करने के मामले में भेदभाव रखा है। सारा का सारा मण्डल प्रशासन, ग्रध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार ग्रौर जातिवाद से ग्रस्त है। मैं मांग करता हूँ कि मण्डल ग्रध्यक्ष के इन कारनामों के कारण से उनको बरखास्त किया जाय ग्रौर उनके द्वारा की गई सारी नियुक्तियों ग्रौर ग्रावंटनों की जांच की जाय।

श्री अध्यक्ष : ग्रगला विषय।

श्री दुलाराम (ग्रावासन मंत्री): माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं थोड़ा सा निवेदन कर दूं।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था। मुझे भी थोड़ा सा

(श्री दाऊदयाल जोशी)
बोलने के लिये समय देने की कृपा की जाय ।

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर यहां चर्चा नहीं होगी । मन्त्री महोदय कुछ कहना चाहेंगे ।

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज ।

ध्यानाकर्षण पर चर्चा नहीं है ।

श्री दुलाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, माननीय सदस्य ने जो बात कही है कि दोनों ने मिलकर यह कार्यवाही की है तो अब जो सलेक्शन कमेटी बनी हुई है, हम सारा उस सलेक्शन कमेटी के मार्फत काम करेंगे ।

दूसरा रहा यह प्रश्न, आपने कहा, हरिजनों का हाउसिंग बोर्ड ने कोटा पूरा नहीं किया, यह बात सत्य है । यह परम्परा है, यह कोटा 1977 से लेकर आज तक पूरा नहीं हुआ है, अब राजस्थान सरकार धारा 60 के अन्तर्गत डायरेक्शन देकर कोटा पूरा करवा रही है । यह मेरा आपसे निवेदन है ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं कह रहा हूं, 2-12-82 को आपने सारे कानून बदल दिये । आपके दो आदमी थे जो मीटिंग के अन्दर आये । उसमें सब के सब बदल दिये, उनका कोटा खतम कर दिया है, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : यह विस्तृत चर्चा का विषय नहीं है ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जो कोटा था उनका उस कोटे को निरस्त कर दिया, मकान थे फिर भी उनका कोटा पूरा नहीं किया, दो आदमियों ने मीटिंग करके उनका कोटा समाप्त कर दिया । अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार का गलत कारनामा····

श्री अध्यक्ष : मन्त्री जी ने आश्वासन दे दिया । अगले विषय पर आ जाइये··

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे भी कहना है ।

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दूंगा । इस पर चर्चा की आवश्यकता नहीं है । कृपया··

श्री मेघराज तावड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मकान अलाट हुये हैं, उनको उन्होंने···

श्री अध्यक्ष : इस पर विस्तृत चर्चा नहीं होगी । माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायें । अंकित नहीं हो ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ×××

श्री अध्यक्ष : कृपया समय नहीं लें । तीसरे विषय पर आ जाइये ।

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके बाद····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है ।

××× माननीय अध्यक्ष आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री अध्यक्ष : मैंने ध्यानाकर्षण पर व्यवस्था नहीं दी है.।

श्री दाऊदयाल जोशी : इस प्रकार की अनियमितताएं हुई हैं, सुपरिन्टेन्डेन्ट इंजिनियर ने कोर्ट के व्यक्तियों को 50-50 हजार रुपये लेकर एक जगह से दूसरी जगह···

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री दाऊदयाल जोशी : ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायें। आर्डर प्लीज। समय न लें। अंकित नहीं हो रहा है। कृपया बैठ जायें।

श्री दाऊदयाल जोशी : ×××.

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है। व्यर्थ में समय नहीं लें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक, जयपुर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय मैं सेन्टल कोआपरेटिव बैंक, जयपुर के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि····

श्री दाऊदयाल जोशी : मन्त्री महोदय, संभालिये इनको।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, कृपया।

श्री दाऊदयाल जोशी : लूट रहे हैं सबको।

श्री मेघराज तावड़ : उनकी हिम्मत ही नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : राजस्थान सहकारी समितियां, राजस्थान प्रदेश, जयपुर और राज्य सरकार के निर्देशों और प्रतिबन्धों के बावजूद पिछले दो महीने, जब से श्रीमान यादव साहब इसके चेयरमैन बने हैं····

श्री अध्यक्ष : नाम नहीं लें, माननीय सदस्य। चेयरमैन के नाम से सम्बोधित करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : चेयरमैन जो बने हैं उन्होंने 198 लोगों की नियुक्ति की है। अध्यक्ष महोदय, इन 198 लोगों में सहायक कम कैशियर, ऋण पर्यवेक्षक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और लिपिक हैं। अध्यक्ष महोदय, आपको सुन कर ताज्जुब होगा कि इसके लिए उन्होंने विज्ञापन निकाला। विज्ञापन के अन्दर 34 लोग प्रथम श्रेणी के थे, इसके अलावा द्वितीय श्रेणी के 18 शिड्यूल्ड टाइब्स के थे और दो लोग जो जनजाति के थे, तृतीय श्रेणी के थे। उनकी परीक्षा हो गई, परीक्षा के बाद में उनके परीक्षा पत्रों को ऐसा का ऐसा रख दिया गया और रिजल्ट घोषित नहीं किया गया। जिन्होंने एप्लीकेशन नहीं दी, जो परीक्षाओं में नहीं बैठे, उन लोगों की तृतीय श्रेणी में नियुक्तियां की गयीं। अध्यक्ष महोदय, वह सारी की सारी नियुक्तियां अवैध थीं। प्रथम श्रेणी में जिन लोगों को लिया, और द्वितीय श्रेणी में जिन लोगों को लिया आप, अगर आज्ञा दें तो उनकी सूची सदन के पटल पर रख दूं अध्यक्ष महोदय।

×××माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : सदन के पटल पर इस तरह की चीजें रखने के नियम नहीं हैं। माननीय सदस्य, दो मिनट का अवसर है, कृपया उसमें अपनी बात कह दीजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, दो मिनट में।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि इसमें जो सलेक्शन हुआ है, उस सलेक्शन में आप एक चीज देखेंगे, मैं किसी भी जाति के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जिन सात लोगों की एक दिन में नियुक्तियां हुई. उनके नाम मैं आपको सुना देता हूं। प्रभातीलाल यादव, मुन्नाखां, रामेश्वर यादव, गजानन्द यादव, फूलचन्द यादव, महावीर प्रसाद यादव और मोहनलाल यादव, इनकी 13-8-82 को ..

श्री अध्यक्ष : इसलिए सरकार की नीति यह बन रही है कि अब आगे जाति लिखी ही नहीं जाय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, तो इन सात लोगों की नियुक्तियां हुई और सात लोगों में से 4 लोग माननीय अध्यक्ष महोदय के गांव के रहने वाले हैं। यह लोग बी. काम. और बी. एस सी. हैं। इनको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति दी गई जब कि इनको इस नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं था। इस प्रकार से इन्होंने सारे के सारे कानून-कायदे ताक में रख कर और नियुक्तियां की हैं। अध्यक्ष महोदय, दो ही कारण हैं, 198 पदों पर भर्ती की गई है, जिन पर प्रतिबन्ध था, जयपुर रजिस्ट्रार का पत्र है उसे पढ़ने का समय नहीं है, रजिस्ट्रार ने जो भिन्न भिन्न समय पर डेट पर आदेश निकाले हैं, उन पर मैं कहना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से बैंक में जो ऋण देने का है, 198 व्यक्तियों में अनुसूचित जाति और जनजाति के सिर्फ दो व्यक्ति हैं, अध्यक्ष महोदय। बाकी अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के एक भी व्यक्ति को नहीं लिया गया। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से इस बैंक के अन्दर भी खुली लूट मचाई गयी है। एक आडिट रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, अध्यक्ष महोदय, आप सुन कर ताज्जुब करेंगे, कि माननीय अध्यक्ष महोदय दो जीपों के ऊपर एक समय पर, एक ही साथ, एक ही ड्राइवर के होते हुये जयपुर से भिन्न भिन्न स्थानों पर तीन तीन सौ किलोमीटर की यात्रा करते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह भी आडिट रिपोर्ट में है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आपका यह विषय नहीं है। नियुक्तियां हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, नियुक्तियां भी हैं।

श्री अध्यक्ष : आप उसमे हटें नहीं। समय भी समाप्त हो गया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं समाप्त कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : समाप्त हो गया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : धन का अनुचित दुरुपयोग हुआ यह उसमें लिखा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, फर्नीचर, जीप, पद का दुरुपयोग लिखा है मैंने।

अध्यक्ष महोदय, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस प्रकार से माननीय अध्यक्ष के

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)
खिलाफ कोर्ट के अन्दर चार्जशीट, 16 आरोपों की चार्जशीट प्रकाशित हुई है, नन्दलाल आचार्य ने चुनाव आयोग को भी दी है। उनमें फर्नीचर का घोटाला, नियुक्तियों का घोटाला, बैंक के धन का दुरुपयोग करने का, जयपुर कोआपरेटिव सेन्ट्रल बैंक को 10 लाख रुपये का घाटा पहुँचाने का और पैसे ले लेकर नियुक्तियां करने का आरोप है। मैं यह चार्जशीट सदन के पटल पर रखता हूँ। समय तो बहुत कम है। इसलिए मैं 16 आरोपों की चार्जशीट आपके सामने सदन के पटल प्रस्तुत करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, अन्त में एक मिनट···

श्री अध्यक्ष: समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य। समाप्त हुआ। श्री कैलाश···

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक स्थगन प्रस्ताव मैंने 25 फरवरी को दिया था, आपने उसे अस्वीकार कर दिया।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! जिनके बारे में मैंने व्यवस्था नहीं दी है, माननीय सदस्य, उस पर कृपया···

श्री घनश्याम तिवाड़ी: एक में आपने मुझे कहा था, अध्यक्ष महोदय, सीमेन्ट वाले मामले में···

श्री अध्यक्ष: कृपया, माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक मिनट लूंगा। अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : आप व्यवस्था बनाये रखें, माननीय सदस्य। इस तरह तो सभी माननीय सदस्यों को शिकायत हो सकती है। आधा मिनट भी नहीं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सिर्फ आधा मिनट, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कार्यवाही थोपें नहीं। अंकित नहीं हो। श्री कैलाश मेघवाल !

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

श्री अध्यक्ष : कार्यवाही थोपें नहीं, सहयोग करें, माननीय सदस्य।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : मेरा एक निवेदन है, माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले भी मेरे स्थगन प्रस्ताव पर आपने व्यवस्था दी है। मैंने लिखित में बाकायदा आज बोलने की स्वीकृति ली है।

श्री अध्यक्ष : तीन आये है, जिसको अस्वीकार किया है।

श्री कैलाश मेघवाल : यह तीन तो आज की व्यवस्था में हैं।

श्री अध्यक्ष : सफाई, सिंचाई विभाग में नकली सीमेन्ट, अजमेर में एक मकान में विस्फोट।

श्री कैलाश मेघवाल : निवेदन कर रहा हूं यह तो आज की व्यवस्था में है। पूर्व की व्यवस्था में जो···

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : आज व्यवस्था है वह पुरानी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, उनको निरस्त माना जाकर की गयी हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं एक निवेदन करूंगा ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसमें जिद नहीं होगी।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिद नहीं कर रहा हूं। आप कहेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं नहीं कह रहा हूं। बोलना हो तो बोलिये, नहीं तो मैं अन्य...

श्री कैलाश मेघवाल : आप कहेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : तीन की अनुमति देता हूं।

श्री कैलाश मेघवाल : आपके सचिवालय में हैं, आपने व्यवस्था दी कि इन पर आप बाद में बोल लेना।

श्री अध्यक्ष : मेरी व्यवस्था में सदन के समय, सुविधा के अनुसार परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है ....

श्री कैलाश मेघवाल : नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व की व्यवस्था ....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री कैलाश मेघवाल : फिर मुझे नहीं बोलना।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस बात से मैं ....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, । तीन पर बोल लें।

श्री कैलाश मेघवाल : नहीं, फिर मुझे नहीं बोलना, माननीय अध्यक्ष महोदय। यह आपकी व्यवस्था है। लिखित में आपने स्वीकृति दी है।

श्री अध्यक्ष : श्री हरीश शर्मा, काचरी लिफ्ट सिंचाई योजना, कोटा को क्रियान्वित नहीं करना।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सन् 81 में ....

श्री कैलाश मेघवाल : व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न।

श्री कैलाश मेघवाल : व्यवस्था का प्रश्न यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज से पूर्व भी और विधान सभा चली तब से जब जब भी हम आपसे निवेदन करते हैं आप एक व्यवस्था देते हैं कि आज नहीं तो कल बोल लेना, कल नहीं तो परसों बोल लेना। पूर्व में जो आपने स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था दी, मैंने लिखित में भी निवेदन किया, आपसे मौखिक भी निवेदन किया कि मैं बाद में बोलूंगा। आपने कहा, अच्छा आप बोल लेना। लिखित में दे रखा है और आपने व्यवस्था दी है, वह रिकार्ड में है। मैं यह पूछना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, उस व्यवस्था में अगर परिवर्तन किया गया है जो पूर्व की व्यवस्था है तो क्या मुझे उसकी सूचना नहीं मिलनी चाहिए थी ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। सुविधा अनुसार सूचना दी जाती है। आपने व्यवस्था के प्रश्न के नाम से यह उठाया है···

श्री कैलाश मेघवाल : नहीं, व्यवस्था का प्रश्न ही है।

श्री अध्यक्ष : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। व्यवस्था का प्रश्न तभी उठता है जब किसी प्रक्रिया के नियम का हनन होता हो अथवा विधान सभा के कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों का या संविधान के अनुच्छेदों का उल्लंघन होता हो···

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ परम्परायें भी पड़ती हैं।

श्री अध्यक्ष : परम्परायें सब समझते हैं हम। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं····

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज!

श्री कैलाश मेघवाल : तो बोलना ही नही चाहता।

श्री अध्यक्ष : नहीं बोलना है तो माननीय सदस्य बहुत हैं बोलने वाले। किसी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह बोले।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री कैलाश मेघलाल : वह तो ठीक है।

श्री अध्यक्ष : बैठ जाय।

श्री कैलाश मेघवाल : आपके आदेश का सम्मान होगा, यह सही है और यह करना भी चाहिए परन्तु किसी विधायक की जिस तरह से यह व्यवस्था बदली गयी और उस व्यवस्था को बदलने की····

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री कैलाश मेघवाल : X X X

श्री अध्यक्ष : श्री बंशीलाल पटवा! भीलवाड़ा में ओवर ब्रिज····

श्री हरीश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आपने मेरा नाम पुकारा था।

श्री अध्यक्ष : श्री हरीश शर्मा। काचरी लिफ्ट सिंचाई योजना, कोटा को कार्यान्वित न करना।

श्री हरीश शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको जान कर बड़ा आश्चर्य होगा कि सन् 1981 में काचरी लिफ्ट के लिये सर्वे हुआ था। तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति सरकार ने दे दी। उसके बाद टैण्डर इन्वाइट कर लिये, टैण्डर हो गये, टैण्डर होने के बाद जब मदेरणा साहब को मालूम पड़ा कि एक हजार एकड़ की जमीन आती है तो उस पर काम शुरू होने से रोक दिया। मैं बराबर प्रश्न उठा रहा हूं, पत्र दे रहा हूँ, मिल रहा हूँ। ये राजनैतिक बदले की भावना से काम करना चाहते हैं, मैं आपके द्वारा यह कह देना चाहता हूँ। मैं, अध्यक्ष महोदय, तीन बार निवेदन करता हूँ, प्रमाण सहित निवेदन करता हूं, कोई नहीं सुनता तो मेरा

X X X माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया।

(श्री हरीश शर्मा)
न्यायालय उसका निर्णय करता है। मैं कह देना चाहता हूं मदेरणा साहब से कि यह लिफ्ट योजना चालू हो जायगी। आप नहीं करेंगे तो हम चालू कर देंगें। गेंती फावड़े बहुत है हमारे पास, लिफ्ट योजना बन जायगी अपने आप। पुलिस आयेगी तो आयेगी। गिरफ्तार करेगी तो कर लेगी। मैं लड़ना बहुत जानता हूं टेण्डर, कोई भी सरकार नहीं रोक सकती है। मैं आपको एक चुनौती देता हूं, आपकी क्षमता हो तो रोक लेना।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, रामगंज मण्डी से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी मेरे ऊपर निर्मूल, निराधार आरोप लगाये हैं कि मैंने इनके क्षेत्र में किसी बन्धे के काम को बन्द किया है...

(व्यवधान)

आप बैठिये, मैं शान्ति से निवेदन कर रहा हूं...

(व्यवधान)

मैं जवाब दे रहा हूं I am in possession of the floor of the House.

मुझे, माननीय सदस्य, पता भी नहीं है। कभी किसी बन्धे को किसी कारण, राजनैतिक भेद भाव रखने की वजह से, राजनैतिक द्वेषता की वजह से, पालिटिकल वेन्डेन्टा की वजह से बन्द करने का कोई भी प्रश्न, सवाल मेरे समक्ष तो आया ही नहीं है। यह मेरे ख्याल से आपको भ्रान्ति हो रही है।

श्री हरीश शर्मा : मैंने आपको चार फोन किये हैं आप यहां यह कह रहे हैं। सदन को गुमराह कर रहे हैं। थोड़ी बहुत कुछ तो शर्म करो, मामूली सी ज्यादा नहीं तो।

श्री परसराम मदेरणा : आपकी तरह मैं भी जन प्रतिनिधि हूं। हर समय फोन पर थोड़े ही बैठा रहता हूं। मेरे पास भी कई तरह के काम रहते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री बंशीलाल पटवा! भीलवाड़ा में ओवर ब्रिज के पास टेण्डर के अभाव में मूर्ति का कार्य करना।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक राजस्थानी भाषा की फिल्मों से भी सम्बन्धित प्रस्ताव था।

श्री अध्यक्ष : वह मेरे समक्ष नहीं आया। आपने बाद में दिया होगा।

श्री बंशीलाल पटवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा नगर में पालिका की ओर से तीन स्थानों पर मूर्तियां लगाने का कार्यक्रम किया गया। एक मूर्ति ओवरब्रिज के पास जो कृषि विभाग है उसके मोड़ पर बनाई जा रही है, पिछले एक माह-डेढ़ माह से उसका काम जारी है। 5-3-83 को एक टेण्डर आमन्त्रित किया गया है जब कि काम डेढ़ माह पूर्व से जारी है। जब मैंने स्थगन प्रस्ताव आपके यहां प्रस्तुत किया, उसकी जानकारी आपने मांगी। उसके बाद प्रशासक महोदय ने तारीख 7-3-83 को टेण्डर निरस्त कर दिये। उसमें लिखा है, हमने भूल से टेण्डर आमन्त्रित कर लिये। अरे भाई, भूल से आमन्त्रित कर लिये। आपने आमन्त्रित भी कर लिये और निरस्त भी कर दिये। यह रिपोर्ट है, दोनों

28

(श्री बंशीलाल पटवा)

विज्ञापन प्रसारित हुए हैं मूर्ति का काम वहां पर जारी है कोई माननीय सदस्य या सदन यह सोचें कि मूर्ति का काम जारी नहीं है तो यह मेरे पास उसके चित्र भी हैं। टैण्डर काल कर लिये, भूल से आमन्त्रित कर लिये और अब निरस्त कर दिये तो आखिर कौन दानदाता यह काम शुरू करवा रहा है। इस तरह सीमेन्ट, मैटीरियल, कला की दृष्टि से सारी सामग्री खरीदी गई है जो म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से वहां लगाई जा रही है। मैंने कई बार म्यूनिसिपैलिटी को निवेदन किया। वहां पर प्रशासक बैठा रखा है। जब से वे आये हैं करप्ट प्रेक्टिस कर रहे हैं और कोई स्पष्ट काम किया नहीं है। इसमें लाखों का घोटाला किया जायेगा मजदूरी के नाम पर। यह एक इस तरह का सारा स्केण्डल खड़ा किया जा रहा है। मेरा निवेदन यह है कि आखिर में सरकार इन स्थानीय निकायों को किस तरह चलाना चाहती है। करप्ट प्रेक्टिस और चीटिंग करने वाले अफसरों को कब तक आप धकाते रहेंगे।

मेरा आपके माध्यम से यही निवेदन है कि इस तरह की घपलेबाजी एक जगह ही नहीं है, मूर्तियों में ही नहीं है, सड़कों में, औरों में सब जगह हो रही है। मैं आशा करता था और सोचता था कि इसके बारे में वक्तव्य आयेगा लेकिन वक्तव्य आया नहीं। मेरा निवेदन है सरकार चेते, जागे और जो स्थानीय निकायों में करप्ट प्रेक्टिस और चीटिंग हो रही है उसको रोकें अन्यथा मैं सोचता हूं आपके लिये भी यह तोहमद का काम करेगा।

श्री अध्यक्ष: श्री ललित किशोर चतुर्वेदी! नागौर नगरपालिका द्वारा राज्य सरकार की स्वीकृति बिना चुंगी बढ़ाना।

(अनुपस्थित)

श्री लच्छूराम। राजस्थान के किसानों द्वारा बिजली की मांग को लेकर किये जाने वाला आन्दोलन।

श्री लच्छूराम (मण्डावा): अध्यक्ष महोदय, पिछले सितम्बर के सेशन के समय राजस्थान के किसानों ने प्रदर्शन किया उसी के क्रम में 21 फरवरी को करीबन 40-50 हजार किसानों ने राजस्थान विधान सभा के सामने प्रदर्शन किया परन्तु बड़े दुःख और खेद की बात है कि जिस प्रकार से आज से चालीस वर्ष पहले जागीरदार और राजा-महाराजा जिस प्रकार से अनगुनी और बेकद्री किसानों की किया करते थे उसी प्रकार की बेकद्री और बेगुनी राजस्थान की कांग्रेस सरकार किसानों की कर रही है। आज से चालीस साल पहले राजस्थान के किसानों ने राजा-महाराजाओं और जागीरदारों के साथ में लड़ाई लड़ी। जब अंग्रेजों का राज्य था तो किसानों ने जागीरदारों से सीधी लड़ाई लड़ कर सैटलमेंट का हक प्राप्त किया और सैटलमेंट करवाया। उस सैटलमेंट के बाद राजस्थान सरकार ने, राजस्थान की कांग्रेस सरकार हो या उसके बाद और कोई सरकार रही हो, उस सरकार ने किसानों को मजबूर करने के अलावा कोई नई बात पैदा नहीं की। जैसा रवैया जागीरदारों का किसानों के साथ था वैसा ही रवैया आज राजस्थान की कांग्रेस सरकार का है। राजस्थान के किसानों ने जिस प्रकार जागीरदारों के खिलाफ आन्दोलन किया, आज बाध्य होकर राजस्थान के किसान को वहीं लड़ाई राजस्थान की कांग्रेस सरकार के साथ

(श्री लच्छूराम)

करनी पड़ेगी। आज आपकी इस सरकार और इस सरकार में बैठने वालों ने किसान को उसी प्रकार मजबूर किया है जैसे कि महाराजा और जागीरदारों ने किया था जब राजस्थान का किसान प्रजा मण्डल में शामिल हुआ। उसी की बदौलत है कि राजस्थान में 30 वर्ष से कांग्रेस सरकार चली आ रही है लेकिन बड़े खेद की बात है, 21 तारीख से किसान प्रदर्शन कर रहा है। क्या आपके किसी भी नुमाइन्दे ने उनसे जाकर बातचीत की कि उनका क्या दुःख-दर्द है। यह सारी कारगुजारी इस बात की सूचक है कि राजस्थान के किसान को खड़ा होना पड़ेगा। यह मानी हुई बात है कि किसान यूनियन नहीं बनाता, छोटे छोटे कारखानों में काम करने वाले, बीड़ी बनाने वाले 100 मजदूर अपनी यूनियन बना लेते हैं लेकिन राजस्थान का किसान यूनियन बनाता है तंग आकर। किसान बेखबर है और भरोसा करने वाला है। उसको भरोसा होता है, भरोसा करने में विश्वास करता है। लेकिन अब उसका भरोसा टूट गया। आखिर अब कुछ तो करना पड़ेगा। पिछले सितम्बर में असेम्बली के सामने प्रदर्शन किये, 21 तारीख को अभी किये। 21 तारीख से मुतवातिर प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन कोई किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही है। इधर बिजली की कमी, उधर जैसा कि सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, 235) रु. के समर्थन मूल्य के बजाय 190 में चना मिल रहा है, यही नहीं इस प्रकार की···

श्री अध्यक्ष : समाप्त करिये, माननीय सदस्य। कृपया।

श्री लच्छूराम : हर प्रकार की दिक्कतें किसान के सामने आ रही हैं। आखिरकार किसान को आन्दोलन करना पड़ेगा। आन्दोलन करना पड़ेगा इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। पिछली बार प्रदर्शन किया लेकिन प्रदर्शनकारियों प्रतिनिधियों के साथ में राज्य सरकार ने कोई सन्तोषपूर्ण बात नहीं की। मुख्य मन्त्री ने कोई बातचीत नहीं की, अन्य किसी मन्त्री ने कोई बातचीत नहीं की। इसलिए आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि भविष्य में इस प्रकार का कोई आन्दोलन हुआ या इस प्रकार का कोई बन्द हुआ तो उसकी सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। मेरा निवेदन है राज्य सरकार से कि समय रहते हुए किसानों के साथ बातचीत की जावे और उनकी मांगें मंजूर की जावें। उन्होंने 31 मांगों का मांग-पत्र दिया था लेकिन उस पर आज तक किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर इसी प्रकार का रवैया रहा तो किसान को जेल जाना पड़ेगा। आज एक महीने से किसान बिजली के लिए परेशान हो रहा है, जगह-जगह एक्स.ई-एन और ए. ई. एन. के दफ्तरों को घेर रहा है। पटवारियों को····

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री लच्छूराम : ····घेर रहा है। मेरा पुरजोर निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, यह दिल की बात है। यह कोई स्थगन प्रस्ताव नहीं है। यह कोई किसी प्रकार बोलने के लिए नहीं बोला जा रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं खुद किसान हूं। उधर बैठने वाले कम से कम सौ

(305)

(श्री लच्छूराम)
आदमी किसान हैं। ये किसानों के समर्थन से आये हुए हैं तो आपको...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय सदस्य।

श्री लच्छूराम : आपको शर्म आनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर। स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री लच्छूराम : जब एक महीने से, अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : काफी समय हो गया है, माननीय सदस्य। ऑर्डर ऑर्डर।

श्री लच्छूराम : क्या आप लोगों ने किसान से बात की है? यह किसान...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर। बैठ जावें, माननीय सदस्य।

श्री लच्छूराम : ...किसान यूनियन कोई राजनैतिक यूनियन नहीं है। यह केवल किसानों की यूनियन है। इसलिए मेरा पुरजोर निवेदन है कि हमारे मुख्य मन्त्री और कृषि मन्त्री उनसे जाकर बात-चीत करें, उनकी मांगों पर बात करने के लिये उनको बुलायें...

श्री अध्यक्ष : समय ले रहे हैं, माननीय सदस्य, काफी हो गया।

श्री लच्छूराम : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना है कि आश्वासन दें मुख्य मन्त्री महोदय या कृषि मन्त्री महोदय या प्रभारी मन्त्री काश्तकार बैठे हुए हैं उनको बुला कर यह बातचीत करें उनकी मांगों के सम्बन्ध में, कितना आप निराकरण कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं, कितना सेन्ट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। मेरा यह निवेदन है कि...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जावें।

श्री लच्छूराम : जब तक आश्वासन नहीं दिया जाएगा, बैठा नहीं जा सकता।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर। स्थान ग्रहण कीजिए। काफी समय हो गया कृपया।

(व्यवधान)

अब मैं अन्य किसी को इजाजत नहीं दूंगा। श्री त्रिलोकसिंह का नाम है उनको इजाजत दूंगा। बाद में श्री जीतमलजी।

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा सवाल है...

श्री अध्यक्ष : कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री त्रिलोकसिंह : यह राजस्थान के किसान की जिन्दगी से ही नहीं अवाम की जिन्दगी से ताल्लुक रखता है। जब से हमारा यह सदन शुरू हुआ राजस्थान का किसान सदन के सामने कभी 17 तारीख को, कभी 18 तारीख को और अभी दुबारा 21 तारीख को अपनी फरियाद लेकर आता है। कभी कहता है, घग्घर नहर टूट गई, कभी कहता है नहरों में पानी नहीं आया, कभी कहता है फसल बर्बाद हो गई

(श्री त्रिलोकसिंह)

और कभी कहता है कि बिजली नहीं देने से पूरी खेती तबाह हो गई। राजस्थान की सरकार गूंगे बहरों की सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, यह किसानों की दुश्मन है जो बात नहीं सुनना चाहती है। हमारी रोटी खाती है, किसान की रोटी खाती है; किसान की मेहनत पर पलती है; उसके वोटों से यहां आती है, उसके बावजूद किसान की बात नहीं सुनना चाहती। जब किसान अपनी फरियाद लेकर आता है हम कहते हैं कि नीचे राजस्थान का अन्नदाता आया है, जाओ, उसको सलाम करो, गुनाहों के लिए माफी मांगो तो यह मन्त्री सामन्ती नखरे दिखाते हैं। सामन्ती नखरे दिखाते हैं, कहते हैं, हम नीचे मिलने नहीं जाएंगे। यहीं आएगा किसान। हम से सलाम करेगा। मैं कहना चाहता हूं कि हम निवेदन करना नहीं जानते, हमारी भाषा में नम्र निवेदन और है। हम लोग वह शानदार तबके के लोग हैं, देश को रोटी देने वाले लोग हैं, देश की हिफाजत करने वाले लोग हैं, देश को आजाद कराने वाले लोग हैं। हमारे किसानों की अगर मांगें नहीं मानी गईं हम इस सरकार को बदल देंगे। इस सरकार का तख्ता पलट देंगे। मैं कहूंगा, सदन के तमाम मेम्बरों से कि आज किसान की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ नहीं करें, यह हमारे सदन की मर्यादा के साथ खिलवाड़ है, जिनके वोट लेकर आए, जिनकी इच्छा से आप आये उनके साथ खिलवाड़ है। आप लोगों ने कहा कि किसान की बात का समर्थन करेंगे····

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य। कृपया संक्षेप में।

श्री त्रिलोकसिंह : यह तो बोलना पड़ेगा। जितना लम्बा दर्द है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह आपका····

श्री त्रिलोकसिंह : जितना लम्बा चौड़ा दर्द है····

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर, यह तो अल्प अवधि का माध्यम है। आप दूसरे कारगर ढंग से उठाइए।

श्री त्रिलोकसिंह : यह एक बात नहीं, अरे जब फसल ली चने का भाव 340) रु. था, आज 190) रु. है आज 180) रु. है। यह डकैती नहीं तो क्या है? यह सरकार डकैतों का समर्थन नहीं करती? यह डाकू की सरकार है। गंगानगर का नरमा सड़ गया। दो सौ रुपये क्विन्टल में नरमा नहीं लिया। आज नरमे का भाव पांच सौ रुपये क्विण्टल है। जहां किसान भूखा मर रहा है वह इलाका बाड़मेर जैसलमेर का है, एक बड़े भाग को 35 साल के अर्से में खातेदारी का हकूक नहीं दिया गया। मेरी समझ में नहीं आता, यह कैसी कानून की सरकार है।

(व्यवधान)

मेरी समझ में नहीं आता, यह कैसी सरकार है जो किसान की हकीकत को, किसान के हकूक को, किसान के फायदे और नुकसान को नहीं समझती है। यह क्या तमाशा है। आज बाजार में गेहूं का भाव तीन सौ रुपया क्विण्टल है। मैं इस सरकार को कहना चाहता हूं कि जब किसान फसल लाएगा सौ रुपया क्विण्टल हो जाएगा। यह डकैती नहीं है तो क्या है? जवाब दें। जैसा डाकू डंडी बाज···

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करिये, माननीय सदस्य।

श्री त्रिलोकसिंह : जो बाजार में बैठ करके किसान को लूटता है, वह सरकार उसकी मदद करती है। यह फौज और पुलिस तमाम डाकुओं की इमदाद करती है। इस डाके में यह सरकार साझीदार है....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर। कृपया बैठ जावें।

श्री त्रिलोकसिंह : किसान को लूटने की डकैती होती है....

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो, माननीय सदस्य।

श्री त्रिलोकसिंह : X X X

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर। बैठ जावें। अंकित नहीं हो रहा है...

श्री त्रिलोकसिंह : X X X

श्री अध्यक्ष : आपने फर्मा दिया है। ऑर्डर ऑर्डर। अंकित नहीं हो रहा है,

श्री त्रिलोकसिंह : X X X

श्री अध्यक्ष : समय ले रहे हैं व्यर्थ में। ऑर्डर प्लीज।

श्री जीतमल जी, नगरपालिकाओं का अनुदान बढ़ाने के सम्बन्ध में कृपया....

श्री त्रिलोकसिंह : मुझे बोलने दीजिए यह....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर। आर्डर आर्डर। अंकित नहीं हो रहा है....

श्री त्रिलोकसिंह : X X X

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य।....

श्री त्रिलोकसिंह : अंकित मत करिये....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जावें। कृपया बैठ जावें, माननीय सदस्य।

श्री त्रिलोकसिंह : मैं नहीं बैठूंगा।

श्री अध्यक्ष : मैं नाम से सम्बोधित करता हूं।

श्री त्रिलोकसिंह : नाम लीजिए। मुझे बाहर निकाल दीजिए, यह क्या तमाशा है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। तमाशा आप कर रहे हैं या आसन कर रहा है। जब मैंने अनुमति दे दी, दस मिनट आप बोल लिए। मैंने कई दफा विनम्र शब्दों में आपसे निवेदन कर दिया, बहुत अवसर आए महीने में, आपको बोलने की पूरी छूट दी। अब यह अल्प अवधि या माध्यम है....

श्री त्रिलोकसिंह : यह कोई अनुमति देना है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, बैठ जावें।

श्री जीतमल जी।

श्री जीतमल जैन (अलवर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हर वित्तीय वर्ष के अन्त

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री जीतमल जैन)

में, वर्ष की समाप्ति के पूर्व कुछ विशेष अनुदान नगरपालिकाओं को देने की एक परम्परा चल रही है। इसी के अन्तर्गत आज से तीन चार दिन पूर्व नगरपालिकाओं को अनुदान दिया गया, 21 लाख 63 हजार रुपये 121 नगरपालिकाओं को अनुदान के रूप में राशि दी गई है। लेकिन इस सारी सूची को देखने से पता लगता है जैसी कहावत है अन्धा बांटे रेवड़ी फिर फिर अपने को देय, वही स्थिति इसमें है। सूची के अन्दर है, उसके अनुसार केवल उन्हीं नगरपालिकाओं को यह अनुदान की राशि दी गई जो सत्तारूढ़ पार्टी के कब्जे में हैं या उनके पार्षद से चलती हैं।

(व्यवधान)

केवल एक नगरपालिका दौसा ऐसी है जिसको अनुदान के रूप में विशेष राशि दी गई है। इसके पीछे भी एक राजनैतिक उद्देश्य है। पिछले दिनों जब नगरपालिकाओं के सम्बंध में चर्चा हुई; सिरोही के सम्बन्ध में चर्चा हुई तब हमारे स्वायत्त शासन मन्त्री बड़े जोर के साथ, बड़े गर्व के साथ कह रहे थे कि हमारा राजनैतिक चश्मे से देखने का कोई इरादा नहीं है। हम सारी स्थिति को बिल्कुल स्वतन्त्र रूप से देखते हैं। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि केवल दौसा नगरपालिका को इसलिए विशेष अनुदान दिया गया क्योंकि वहां पर उप चुनाव होने वाले हैं, बाकी एक भी नगर पालिका ऐसी नहीं है, जो कि विरोधी दल की है जिसको अनुदान दिया हो, किसी को अनुदान नहीं दिया गया है। इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, आप आश्चर्य करेंगे। हमारे राज्य मन्त्री स्वायत्त शासन राजगढ़ से आते हैं, सबसे अधिक राशि, चालीस हजार रुपया अनुदान, उन्होंने अपनी नगरपालिका को दी है। बाकी सब नगरपालिकाओं को 15 और 20 हजार दी है। थोड़ी सी अनुकम्पा उन्होंने अपने रिश्तेदार तारापुर से आने वाले माननीय सदस्य पर करके 30 हजार रुपये दिये। बाकि सब जगह 15 - 20 हजार से अधिक अनुदान की राशि नहीं दी गई है, केवल इतना ही नहीं, एक और आपसे निवेदन करूंगा यह राजनैतिक दृष्टि से देखने का रुख है। राजगढ़ की नगरपालिका भारतीय जनता पार्टी समर्पित नगरपालिका है। वहां पर अनुदान देने की बात दूर रही, विशेष अनुदान देने की बात दूर रही अनुदान हर नगरपालिका को दिया जाता है, लेकिन किसी नगरपालिका का कोई पिछला कर्जा होगा, वह कर्जे की राशि मय ब्याज के काट कर 30 हजार की राशि काट ली गई। इस प्रकार राजनैतिक षड़यंत्र है। सरकार यह चाहती है कि जिन नगरपालिकाओं में विरोधी दल का कब्जा है, जहां प्रशासन दूसरे हाथों में है उनको किसी प्रकार समाप्त किया जाय, उनको ठीक प्रकार से नहीं चलने दिया जाय। वह इस प्रकार के ई. ओज. अपाइन्ट करेंगे और उनको अनुदान नहीं देंगे, इस प्रकार राजनैतिक भेदभाव के आधार पर सारी बात चल रही है। लोकतन्त्र की दुहाई देने वालों से मेरा निवेदन है कि आखिर कहां ले जाना चाहते हैं लोकतन्त्र को ? यह कहां का लोकतन्त्र है ? इस प्रकार की जो कार्यवाही सरकार द्वारा की गई है मैं उसकी कठोर शब्दों में निन्दा करता हूं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : इसी सम्बन्ध में····

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, इसी संबंध में····

श्री अध्यक्ष : आर्डर। श्री रामकंवार बैरवा। उनका एक है।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : माननीय जीतमल जी जैन जिस पर बोले हैं उस विषय पर आज मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है। आप जरा देख लें, आप मुलाहिजा फर्माइये।

श्री समर्थ लाल (राजगढ़) : इसमें मेरा भी नाम है।

श्री अध्यक्ष : यह विषय चर्चा में आ गया। समय का अभाव है। आर्डर। माननीय सदस्या, एक विषय था वह एक बार डिस्कशन में आ गया।

सुश्री पुष्पा जैन : मैं नयी बात बताऊंगी।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी) : मेरा कौन सा विषय है?

श्री अध्यक्ष : भर्तृहरी के मेले के बारे में, बैरवा समाज द्वारा बनाई गई धर्मशाला के बारे में।

श्री समर्थ लाल : अध्यक्ष महोदय, नगरपालिका के अनुदान के अन्दर मेरा भी नाम है।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, आप जरा कार्य सूची में मुलाहिजा फर्मा लें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा, इस विषय पर चर्चा हो गई। क्योंकि अविलम्बनीय लोक महत्व का था सरकार की ओर से उत्तर आ नहीं सकता था····

श्री समर्थ लाल : अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा भी नाम है।

श्री अध्यक्ष : नाम होने से, माननीय सदस्य, सबको अवसर मिल जाय, यह जरूरी नहीं है। इस पर लम्बी चर्चा नहीं होगी। महत्वपूर्ण विषय है, प्रारम्भ में ही कुछ माननीय सदस्यों, जिनका सम्बन्ध अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति से है, ने कहा, अन्य विषयों में बहुत ज्यादा समय चला जाता है. महत्वपूर्ण प्रतिवेदन शिड्यूल्ड कास्ट्स कमिशनर का है उस पर चर्चा नहीं होगी। उन्होंने आशंका व्यक्त की थी। काफी लम्बा समय शून्य काल तक, डेढ़ घन्टा अधिक से अधिक समय मैंने मेरी तरफ से देने की कोशिश की। आज यूं तो चर्चा में विषय····

श्री समर्थ लाल : मैं दो मिनट लूंगा, अध्यक्ष महोदय।

सुश्री पुष्पा जैन : दो दो मिनट····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठ जायं, माननीय सदस्य! ऑर्डर ऑर्डर। एक मिनट तो मुझे सुनने दीजिये। 3-4 एक साथ नहीं बोलें। आपको भर्तृहरि के बारे में बोलना है, आप किस बारे में बोलना····

सुश्री पुष्पा जैन : इसी पर।

श्री त्रिलोक सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो किसानों के बारे में प्रस्ताव था उसमें और लोगों के भी नाम हैं।

श्री अध्यक्ष : इस पर किसी को इजाजत नहीं दूंगा। किसी को इजाजत नहीं दूंगा।

श्री त्रिलोक सिंह : यह क्या बात है अगर आप नहीं बोलने देंगे····

श्री अध्यक्ष : आपका पूरा भाषण हो आधे घन्टे का, पौन घन्टे का, इसकी इजाजत नहीं····

श्री त्रिलोक सिंह : किसान का सवाल है, किसान की जिन्दगी मौत का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर। जिन्दगी में आप जैसे किसान हैं दूसरे भी किसान हैं।

श्री त्रिलोक सिंह : इस रवैये के खिलाफ सदन का बहिष्कार करता हूं।

(बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका ही ठेका हो किसान का ऐसी तो बात है नहीं।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज ! शांत रहें। मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री लच्छूराम : किसानों की बेइज्जती हुई, उसकी सुनवाई नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होगा।

(लोकदल के सदस्यों का बहिर्गमन)

श्री महाराम चौधरी : फिर यह सरकार अपना वक्तव्य देने के लिये तैयार है··

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर। भाषण नहीं होगा।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह तो किसानों के साथ में अन्याय है।

(बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर।

श्री मेघराज तावड़ : आप कहते हैं, सरकार सब तबके को देखती है लेकिन बजट भी देख लिया, बजट में किसानों को कोई भी लाभ नहीं दिया गया है। सरकार किसान विरोधी है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर आर्डर। भाषण नहीं होंगे। कृपया समय खराब न करें, माननीय सदस्य।

श्री मेघराज तावड़ : किसान विरोधी सरकार की नीति के खिलाफ मैं सदन का बहिष्कार करता हूं।

(बहिर्गमन)

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, नगरपालिकाओं के अनुदान का विषय है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! मैं एक एक को सुनूं। ऐसी उतावली क्या है। बैठ जाइये ना आप। हां, आप किस विषय पर बोलना चाहते हैं ?

सुश्री पुष्पा जैन : नगरपालिकाओं को विशेष अनुदान के विषय में, जिस पर अभी माननीय सदस्य बोल चुके हैं।

श्री अध्यक्ष : आप किस विषय पर ?

श्री समर्थलाल : नगरपालिका के विषय में।

श्री अध्यक्ष : नगरपालिकाओं का विषय उन्होंने रख दिया।

श्री समर्थलाल : दो दो मिनट दे दें, साहब।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। अलग से व्यवस्था मैंने दी नहीं है। एक ही माननीय सदस्य के नाम से मैंने व्यवस्था दी है। इसलिये नगरपालिकाओं पर नयी चर्चा शुरू हो जाय, यह संभव था नहीं। विचारणीय विषय था मैंने उसे अस्वीकार करके उस सम्बन्ध में सदन में बोलने की इजाजत दे दी।

श्री समर्थलाल : माननीय मंत्री महोदय से स्टेटमेंट दिलवा दीजिये। इतना बड़ा अन्याय हुआ है राजस्थान की नगरपालिकाओं के साथ में।

श्री अध्यक्ष : इस पर मैं विचार करूंगा, यही निवेदन कर सकता हूं।

श्री समर्थलाल : साहब, आज ही विचार करके आज ही स्टेटमेंट दिला दें।

श्री अध्यक्ष : सदन की कितने दिन बैठक होगी कितने दिन नहीं, वह तय होता है, जब सत्रावसान˙˙

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, सब नगरपालिकाओं का अनुदान काट दिया है यह महत्वपूर्ण विषय है। सब लोगों ने आपको दस दिन पूर्व ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दे दिया। इतना बड़ा राजनैतिक भेदभाव हुआ˙˙

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन किया, जितने विषय यहां आते हैं महत्वपूर्ण˙˙

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 122 के अन्दर हमारी एक नगरपालिका को दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम यहां पर बोलें भी नहीं तो क्या करें।

श्री अध्यक्ष : मैं नहीं दूंगा इजाजत।

श्री रामकंवार बैरवा !

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सब राजनैतिक आधार पर हुआ है, अध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। आर्डर प्लीज।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उसमें पचास हजार रुपये खा गये ये लोग।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। संभव नहीं है मेरे लिये।

श्री समर्थलाल : अध्यक्ष महोदय, राजनैतिक तौर पर नगरपालिकाओं के साथ जो भेदभाव किया गया है, यह बहुत बड़ा अन्याय है।

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दूंगा। आप जो कुछ समझें, समझ लीजिये। मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं,

श्री रामकंवार बैरवा !

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, आपने चैम्बर में व्यवस्था दी थी।

श्री समर्थलाल : राजस्थान के इस उच्च सदन में, अध्यक्ष महोदय, जहां आप पदासीन हों वहां पर इस तरह का अन्याय सहन कर पायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : आखिर अन्तिम दिवस देखते हुए लम्बी सूची रखी है। यथासंभव मैंने कोशिश की, आप समझ लीजिये। मेरी कठिनाइयों को आप समझते नहीं। सदन का जो पूर्व निश्चित कार्यक्रम है उसमें से करीब पौने दो घंटे, दो घंटे बीत जाय और आपको संतुष्टि नहीं हो तो फिर संतुष्टि कभी होनी नहीं। अभी आधा घंटा चर्चा करवाऊं उस वक्त यही परिस्थितियां आयेंगी। उचित यही है कि मैंने जो पूर्व में निश्चित किया है उसके अनुसार चलाया जाय।

श्री रामकंवार बैरवा !

(व्यवधान)

माननीय सदस्या, कृपया, कृपया।

सुश्री पुष्पा जैन : लेकिन, अध्यक्ष महोदय, चैम्बर में आपने मुझसे कहा था कि आज आखिरी दिन है, आप दो मिनट देंगे।

श्री अध्यक्ष : मैं नहीं दूंगा।

सुश्री पुष्पा जैन : मैं चैम्बर में इस संबंध में आपसे मिली थी ना।

श्री अध्यक्ष : मैं नहीं दे रहा हूं, मैंने व्यवस्था दे दी।

श्री रामकंवार बैरवा !

सुश्री पुष्पा जैन : तो आपने उस समय क्यों फर्माया था ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री रामकंवार बैरवा : अध्यक्ष महोदय, मैंने कल स्थगन प्रस्ताव देकर के आपके माध्यम से···

सुश्री पुष्पा जैन : आन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष : पॉइन्ट ऑफ आर्डर। यस पाइन्ट ऑफ आर्डर।

श्री रामकंवार बैरवा : सरकार से निवेदन किया था···

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। बैठ जायं।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, जो स्थगन प्रस्ताव मैंने दिये हैं इस सम्बन्ध में आपसे मैं चेम्बर में मिली थी।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा : पॉइन्ट ऑफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर। आप बैठ जायं।

सुश्री पुष्पा जैन : इस सम्बन्ध में मैं आपसे चैम्बर में मिली थी आज सुबह। आपने स्वयं···

श्री अध्यक्ष : चैम्बर की बात यहां नहीं होती। यहां तो यहीं की बात होती है। पाइन्ट ऑफ ऑर्डर फर्माइये।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है। आपने उसको सरकार को जानकारी के लिए भेजा। उसी सम्बन्ध में पहले के स्थगन प्रस्ताव पर आपने बोलने की इजाजत दी। यह दो इस तरह की···

श्री अध्यक्ष : यह मेरे विवेक पर है। आसन की व्यवस्था के विरुद्ध नहीं बोलें। आप स्वयं वकील हैं, जानती हैं।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, नजीर तो एक ही कायम होती है आसन की।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न आसन से क्या व्यवस्था दी है उस पर नहीं उठता, इसलिये निरस्त किया जाता है।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, एक ही केस में दो व्यवस्थाएं अलग अलग, दो नजीर अलग अलग, यह कैसी व्यवस्था है आखिर।

श्री अध्यक्ष : एक दफा मद्य निषेध का कानून बनाया दूसरी दफा वापस लिया।

सुश्री पुष्पा जैन : आप इस पर पुनर्विचार करें।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, यह मसला बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष : महत्वपूर्ण मैं समझ गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह केवल नगरपालिकाओं को सहायता देने तक सीमित नहीं है। यह प्रश्न है दुरुपयोग का। यह जो गवर्नमेंट का ऑर्डर निकला है, उस ऑर्डर को आप पढ़ कर बता दें कि यह ऑर्डर उचित है।

श्री अध्यक्ष : अगर समय होता, विपक्ष के नेता महोदय तो . . .

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दो दो मिनट।

श्री अध्यक्ष : मैं कोई यहां पर किसी पक्ष की टीका टिप्पणी, आलोचना करने के लिये नहीं हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं नहीं, वह नहीं है।

श्री अध्यक्ष : किस दृष्टि से काम किया गया उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैंने स्थगन प्रस्ताव को पढ़ा, समझा कि इसमें कुछ हो सकता है, इसलिये मैंने उस विषय के महत्व को देखते हुए दो मिनट का समय दे दिया। इसमें कितने माननीय सदस्यों ने अलग प्रस्ताव दिये होंगे उसके बारे में मैंने क्या व्यवस्था दी होगी, वह एक अलग से चीज है। अब उस पर लम्बी चर्चा करना चाहें. . . .

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लम्बी चर्चा होगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, उस पर मैं इजाजत नहीं दे सकता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक एक, दो दो मिनट में क्या है ?

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट के बाद ऐसा होता है वह वापस एक मिनट देने के लिये कहते हैं। एक मिनट वापस लेना किसके हाथ की बात है।

श्री समर्थलाल : दो दो मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे, साहब।

श्री अध्यक्ष : दो दो मिनट लेंगे तो आप शांति से बैठें। मैं विचार कर लूंगा।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा : आयोग ट्राइब्स कास्ट्स की रिपोर्ट पर विचार का यह लोग टाइम ले रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं यही कोशिश कर रहा हूं।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा : हमें क्यों बोलने का मौका नहीं देंगे ?

श्री अध्यक्ष : मैं यही कोशिश कर रहा हूं।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा: हमारी रिपोर्ट पर हमको बोलने का अधिकार नहीं हो तो आप रिपोर्ट मत पेश करिये।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। श्री राम कंवार बैरवा।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा : हमारा अधिकार है। हम लास्ट में इसलिये रुके हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपका अधिकार तो हमने दिलाया है सरकार देने वाली नहीं थी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायं।

श्री राम कंवार बैरवा, भर्तृहरी मेले में धर्मशाला के विषय में।

श्री रामकंवार बैरवा : अध्यक्ष महोदय, अलवर जिले में भर्तृहरी का मेला वर्ष में एक बार लगता है। यह ऐतिहासिक और धार्मिक मेला है। वहां सभी समाजों को अपने अपने हिसाब से सामुहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से धर्मशालाएं बनी हुई हैं। जो यात्री, नागरिक मेला देखने आते हैं वह सभी अपने अपने समाज की धर्मशालाओं में ठहर कर विश्राम करते हैं और वहीं एक दो रात बिताते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने कल यह स्थगन प्रस्ताव देकर सरकार से मांग की थी, मैं पिछले 6 साल से बराबर इस बात का प्रयत्न कर रहा हूं कि दिल्ली में रहने वाले राजस्थान के मूल निवासी रामगोपाल ठेकेदार ने करीबन 1 लाख रुपया लगा कर वहां धर्मशाला निर्मित की है लेकिन सरपंच और अन्य असामाजिक तत्वों ने मिल कर उस धर्मशाला में अलवर से मेले की व्यवस्था के लिए पुलिस आती है उस का दफ्तर कायम कर लेते हैं, इसलिए बैरवा समाज के समस्त लोगों को बहुत कठिनाई हो रही है। धर्मशाला निर्मित करने वाले रामगोपाल और उनकी पत्नी इतने दुखी हैं और बैरवा समाज के लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। इसलिये मैंने 4-5 महीने पहले मुख्य मंत्री जी को पत्र भी लिखा था। उनका जवाब यह आया कि मैं दिखवा रहा हूं। अभी तक मुख्य मंत्री जी की इस बात की कोई गारण्टी नहीं आई कि आने वाले मेले में अपना दफ्तर कायम नहीं करेंगे। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इस पर पूर्ण रूप से पाबन्दी लगावें। दफ्तर ही खोलना हो तो अन्य धर्मशालाओं में खोल लें। बैरवा सामाज की इतने बड़े समाज की एक ही धर्मशाला बनी हुई है। भादवा महीने में बरसात में मेला लगता है, इस समय बैरवा समाज के लोगों को बड़ी

(श्री रामकंवार बैरवा)

भारी कठिनाई होती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि सरकार इस बात की पूरी गारंटी देवे और जो थाने का दफ्तर वहां खोल लेते हैं इससे स्वतंत्र करें ताकि बैरवा समाज के लोगों को धर्मशाला में रुकने की सुविधा मिल सके और जिस उद्देश्य से धर्मशाला बनाई गई है उसका लाभ मिल सके।

श्री अध्यक्ष : मैं 6 मिनट का समय देता हूं उस प्रस्ताव के लिये। जिन माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव रखा है नगरपालिका के सम्बन्ध में उन में से 3 माननीय सदस्य बोलेंगे। मैं बार बार निवेदन नहीं करूंगा कि 2 मिनट हो गये, 4 मिनट हो गये। 6 मिनट पूरे होते ही मैं समझूंगा, सभी माननीय सदस्य बोल लिये।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, गृह निर्माण सहकारी समिति के स्थगन प्रस्ताव पर आपने व्यवस्था दी।

श्री अध्यक्ष : वह हो गया सो हो गया, माननीय सदस्य। कृपा करें।

श्री मेघराज तावड़ : महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष : महत्वपूर्ण है तो आगे आता रहेगा, अब क्या बतावें।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, 19-3-83 को राज्य सरकार ने एक आदेश के मार्फत नगरपालिकाओं को 21.65 लाख रुपये विशेष अनुदान के रूप में वर्ष 82-83 में सड़कों एवं नालियों की मरम्मत के लिये दिये हैं। यह फायदा इन्होंने 121 नगरपालिकाओं को दिया है। इसमें विशेष कन्डीशन यह रखी है कि नगरपालिकाएं, परिषदें स्वीकृत राशि का 40 प्रतिशत अतिरिक्त अंशदान अपने बजट से व्यय करेंगी। अंशदान राशि का उपयोग 31-3-84 तक किया जायेगा एवं 30-4-84 तक उपयोगिता प्रमाण-पत्र निदेशालय में प्रस्तुत किये जा सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, कुल 143 नगरपालिकाएं हैं उनमें से 121 नगरपालिकाओं को यह राशि प्रदान की गई है और 22 को छोड़ दिया गया है। एक विशेष बात जो उन्होंने 40 प्रतिशत अतिरिक्त अंशदान के लिये कही। अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहती हूं जिन 121 नगरपालिकाओं को विशेष अनुदान दिया है उनके पास 40 प्रतिशत अंशदान सम्मिलित करने के लिये है या नहीं, इसकी जानकारी आपने प्राप्त की या नहीं? मेरा आरोप है कि राज्य सरकार ने सिर्फ राजनैतिक आधार पर विशेष अनुदान की राशि विभाजित कर दी। न तो यह जानकारी हासिल की कि उनके पास 40 प्रतिशत अंशदान शामिल करने के लिये है या नहीं। दूसरा मेरा एतराज है, सड़कों और नालियों की मरम्मत करने के लिये यह राशि प्रदान की, तो क्या उन 121 नगरपालिकाओं ने सरकार को डिमाण्ड पत्र भेजा कि यह राशि प्रदान की जाय सड़कें और नालियां बनाने के लिये। अगर 121 नगरपालिकाओं ने भेजा है तो सरकार यह बताने का कष्ट करे कि बाकी जिन 22 नगरपालिकाओं को छोड़ दिया गया है, क्या उनका कोई डिमान्ड लैटर आपके पास नहीं था या उनके पास 40 प्रतिशत अंशदान सम्मिलित करने के लिये राशि नहीं थी? किस आधार पर आपने इन 22 को छोड़

(सुश्री पुष्पा जैन)

दिया और इन 121 को बिना यह जानकारी किये कि उनको जरूरत है या नहीं, 40 प्रतिशत अंशदान सम्मिलित करने के लिये है या नहीं, आपने विशेष अनुदान दे दिया। तीसरी खास मुद्दे की बात है, उन्होंने कहा है कि 31-3-84 तक यह राशि खर्च कर दी जाय। मैं जानना चाहूंगी, अध्यक्ष महोदय, 19-3-83 को आदेश निकाल रहे हैं। कई दिन तो नगरपालिकाओं को राशि रिलीज करने में लग जायेंगे। उसके पश्चात् तारीख 31 तक यह सारी की सारी राशि कैसे खर्च हो जायेगी जब आपके निदेशालय ने प्रमाण-पत्र भी मांग लिये। अध्यक्ष महोदय, यह राशि खर्च नहीं होगी, अनाप-शनाप गलत तरीके से फर्जी सर्टिफिकेट तैयार कर दिये जायेंगे। यह सारा का सारा फर्जी कार्यक्रम राज्य सरकार ने तैयार किया है।

श्री हीरालाल देवपुरा : 83 नहीं, 84 है। एक साल का समय है।

सुश्री पुष्पा जैन : हां, तो एक साल में कैसे खर्च हो जायेगी। आपने उनसे कोई डिमान्ड लैटर नहीं लिया। उनकी कोई डिमान्ड नहीं। अध्यक्ष महोदय, इनमें से कई नगरपालिकाओं के पास 5-5, 6-6 लाख की राशि बची हुई है वह खर्च नहीं कर पाई उसके बाद विशेष अनुदान की राशि दे दी गई। विशेष अनुदान उन्हीं को दिया जाता है जिनको आवश्यकता हो। जिनके पास अपनी बकाया राशि पड़ी है, 4-5 लाख कोष में पड़े हैं, उनको खर्च नहीं करते इसके बावजूद बिना किसी जानकारी के यह विशेष अनुदान किस कारण से दे दिया? महज राजनैतिक आधार पर, जैसा माननीय सदस्य ने कहा, 40 हजार सिर्फ राजाखेड़ा में प्रदान किये गये। क्यों, किस कारण से? सिर्फ सत्ता का दुरुपयोग करके मन्त्री महोदय ने राजाखेड़ा और तारानगर में, तारानगर में उनके रिश्तेदार हैं, राजाखेड़ा स्वयं की कांस्टीट्यूएंसी है, 40 हजार प्रदान कर दिये। अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार पर आरोप लगाना चाहती हूं कि राजनैतिक आधार पर, भेद-भाव करके राशि प्रदान की है। आने वाले समय में यही फन्दा आपके गले में पड़ेगा। शासन शासक नहीं होता, सरकार शासक नहीं होती। आज आप उधर बैठे हैं कल इधर भी होंगे या बाहर होंगे। यह फांसी का फन्दा आपके गले में भी पड़ेगा। इसलिये आप ने जो आदेश निकाला उस पर पुनर्विचार करें और जिन 22 नगरपालिकाओं को छोड़ा है, आपके पास कई लाख की राशि बची हुई है नियमानुसार न्याय के हक में बाकी बची हुई नगरपालिकाओं को प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष : श्री समर्थलाल !

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, बैठ जायं, मैं इजाजत नहीं दूंगा। आपका पाइन्ट नहीं है। अंकित न हो।

श्री चाव खां : X X X

श्री अध्यक्ष ; दो मिनट का समय बचा है, कृपया सदुपयोग कीजिये।

X X X माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री समर्थलाल : अध्यक्ष महोदय, नगरपालिकाओं को जो अनुदान राशि दी है उसके अन्दर राज्य सरकार के मन्त्री द्वारा घोटाला, भ्रष्टाचार किया गया है, अध्यक्ष महोदय, यह सही है, मैं इसको घोटाला या भ्रष्टाचार इसलिये कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी उन्होंने अनुदान राशि दी है विभिन्न नगरपालिकाओं को वह एक मन्त्री की हैसियत से नहीं दी। ऐसा लगता है कि कांग्रेस के आफिस में बैठ कर कांग्रेस के मैम्बर की हैसियत से नगरपालिकाओं को अनुदान दिया है। केवल कांग्रेस की नगरपालिकाओं को अनुदान की राशि देना और गैर कांग्रेसी अध्यक्ष जहां हैं उनको नहीं देना, अध्यक्ष महोदय, यह सबसे बड़ा अन्याय है। राजस्थान विधान सभा के इतिहास में यह पहली घटना है कि माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री जी ने दूसरी नगरपालिकाओं, विशेष तौर से जो भारतीय जनता पार्टी की नगरपालिकाएं हैं, के साथ इस प्रकार का भेदभाव किया। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि राजगढ़ के अन्दर 13 वार्ड्स हैं उनमें से 6 वार्ड एस. सी. और एस. टी. बहुल क्षेत्र में एक भी पैसा अनुदान राशि के रूप में नहीं देना सबसे बड़ा अन्याय है। दूसरे, नगरपालिका राजगढ़ में कोई पुराना कर्जा निकाल कर 35 हजार जो देने चाहिये थे वह भी उसी समय काट लिये गये। इस प्रकार से नगरपालिका राजगढ़ को फेल करने का कुप्रयास किया जा रहा है राज्य सरकार की तरफ से।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस सरकार की इस प्रकार की गैर-प्रजातांत्रिक नीतियां राजस्थान के अन्दर जनतांत्रिक संस्थाओं के प्रति रहेंगी यह, अध्यक्ष महोदय, कतई सहन नहीं होंगी और इनका डट कर विरोध होगा।

श्री अध्यक्ष : समय समाप्त हुआ।

श्री नंदलाल मीणा : प्रतापगढ़ में...

श्री अध्यक्ष : मैं एक-दो मिनट के बाद विवाद में नहीं पड़ सकता। कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य। अंकित न हो।

श्री नंदलाल मीणा : XXX

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। आसन पैरों पर है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आन ए पाइन्ट ऑफ ऑर्डर...

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है तब तक कोई पाइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं उठाया जा सकता। मैं व्यवस्था दे रहा हूँ।

ऐसा है आज कई छोटे-मोटे सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र हैं, दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और एक सरकार द्वारा वक्तव्य है, इन तीनों के लिये एक घंटे का समय निश्चित करता हूं, मंत्री महोदय उत्तर देंगे इसका समय भी इसमें सम्मिलित है...

श्री चाव खां : अध्यक्ष महोदय, मेरे दो स्थगन प्रस्ताव थे...

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अङ्कित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाये, माननीय सदस्य ।

मैं इतनी सुविधा पिछली पंक्ति में बैठने वालों को देता हूं, बोलने का अवसर देता हूं फिर भी जब वे चाहे बोलने का इरादा रखते हैं । जो नियम और विधान है, वह सब पर लागू होते हैं । उसी हिसाब से आपको इजाजत दूंगा । आपको बोलना है तो कृपया आप नियम पढ़ कर आवें । यह नहीं कि जब इच्छा हुई बोलना शुरू कर दिया । माननीय सदस्य, आप वयोवृद्ध हैं । जब आपकी राय की जरूरत होती है मैं आपको अवसर दे देता हूं । यह गांव की चौपाल होती है तो कहते हैं फलां बात होगी । यहां लिखाई पढ़ाई होती है और उसका उत्तर दिया जाता है । जब कभी आवश्यकता होगी इस सदन को आप जैसे वयोवृद्ध की राय प्राप्त करने की उस समय मैं आपकी इच्छा न होते हुए भी आपको अवसर दूंगा ।

जो यह तीन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और वक्तव्य हैं प्रत्येक के लिये बीस-बीस मिनट का समय रहेगा और दो बजे रेगुलर बिजनेस है, संकल्प के बारे में और शिड्यूल्ड कास्टस कमिश्नर के प्रतिवेदन के बारे में, उस पर चर्चा शुरू होगी । चूंकि आज अन्तिम दिवस है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है सदन के समक्ष विचारणीय । बहुत से माननीय सदस्य, इस पक्ष के और उस पक्ष के इस सदन के सामने आपना मत व्यक्त करना चाहेंगे । यह छोटे छोटे विषय पहले आते हैं उनमें समय धिक चला जाता है । आज यह दोनों विषय लेना जरूरी है । आज महत्वपूर्ण विषय है । मेरा नम्र निवेदन है कि समय का ध्यान रखें । समय की बचत करके मैं कोई बोलना चाहता हूं, ऐसा नहीं है । आप बोल रहे हैं । मुझे सभी सदस्यों का सब विषयों का, जो पूर्व में निर्धारित कार्य है उसका, ध्यान रख कर चलना पड़ता है । मैं सहयोग की आपसे अपेक्षा करता हूं ...

श्री चाव खां : और समय बढ़ा दीजिये ...

श्री अध्यक्ष : आप और हम बैठ सकते हैं । सरकार तो बैठेगी नहीं ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य । अपनी कार्य सलाहकार समिति होती है, वह निश्चित करती है कि इस अवधि में वह कार्य हो । इधर-उधर से माननीय सदस्य बहुत दिनों तक बोले, अपनी बात रखी ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ।

श्री महाराम !

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र ।

मुख्य मंत्री एक रिपोर्ट सदन की मेज पर रखेंगे ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है । जिस समय आप स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था दे रहे थे उस समय मैंने यह निवेदन किया था राजस्थान के पांच आयुर्वेदिक कॉलेजों में जो नियम हैं जिस तरह से ...

(४५)

श्री अध्यक्ष : प्रवेश के बारे में · · ·

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे दो स्थगन प्रस्ताव थे। एक जे. डी. ए. के बारे में था, सैशन का एक महीने का समय निर्धारित था इसके बाद सैशन होगा नहीं। यह तत्काल समय देने का मामला है। और दूसरा एक जोधपुर का मामला था। इन दोनों को आप रिजेक्ट कर दें · · ·

श्री अध्यक्ष : आगे समय होगा तो मैं देख लूंगा। तत्काल ही कैसे रिजेक्ट कर दूं। बिना रीजन्स के सदन के समक्ष कैसे रिजेक्ट कर दूं। क्षमा करें। अब समय न लें। कृपया बैठ जायें · · ·

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : आपको मैंने बताया था · · ·

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं सदन की कार्यवाही स्थगित कर दूं। मैं भी तंग आ गया हूं।

यह कोई पॉइन्ट ऑफ, ऑर्डर नहीं है। इस तरह सदन की कार्यवाही नहीं चलायी जा सकती। · · ·

(व्यवधान)

ऑर्डर। समय न लें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : · · · अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आयुर्वेद मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के पांच आयुर्वेदिक कॉलेजों में जो अभी तक प्रवेश देने की प्रक्रिया थी, यह राजस्थान यूनिवर्सिटी से एफीलिएटेड है और यूनिवर्सिटी आफ राजस्थान के सिलेबस में नियम में हैं इनको एडमिशन देने का उसमें है।

"PUC preferably with Sanskrit or an examination equivalent Upadhyaya Uttar Madhyama, Higher Secondary thereto. They are eligible to appear for three pre-Ayurvedic Examinations after a period of one year."

यह रूल्स थे अभी तक। इसके आधार पर राजस्थान के सभी आयुर्वेदिक कॉलेजों में एक समान पद्धति से चाहे आयुर्वेद का उपाध्याय पास हो, उत्तर मध्यमा हो या हायर सेकण्डरी हो, इनकी एक मैरिट लिस्ट बनती थी और उसके आधार पर प्रवेश दिया जाता था। लेकिन पिछले साल आपने जो संस्कृत को इन्टरप्रेट किया है उस इन्टरप्रिटेशन के आधार पर जो लोग एलीजेबल हैं 70 पर्सेंट से पास हैं वे तो रह गए और जो 50 पर्सेन्ट से पास हैं उनको एडमिशन मिल गया। यह मैं आपको पढ़ कर सुनाना चाहूंगा।

1. Students securing min. 50% marks aggregate in Upadhyaya (Ayurveda group) of Board of Secondary Education, Rajasthan, Ajmer.

2. Students securing min. 50% marks in aggregate in Upadhyaya of Board of Secondary Education, Rajasthan, Ajmer/Uttar Madhyama of Banaras.

इन्होंने केटेगरी फिक्स की है :

3. Students securing min. 50% marks in aggregate in Higher Secondary (with optional Sanskrit) of Board of Secondary Education, Rajasthan, Ajmer/PUC (with optional Sanskrit) University of Rajasthan, Jaipur.

4. In case there remains seats vacant after admitting the students in the above order of preference, students securing min. 50% marks in aggregate in Higher Secondary Education, Rajasthan, Ajmer, can be admitted in order of the merit of the marks obtained by them.

जो अब तक का नियम था उसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनती थी। उसके आधार पर जयपुर के कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ है। राजस्थान के जो दो-तीन-चार कॉलेज जयपुर से बाहर हैं उनमें मेरिट लिस्ट बनी और समान मेरिट लिस्ट बनाकर एडमिशन दिया गया परन्तु जयपुर में जो आयुर्वेदिक संस्थान है उसमें मेरिट लिस्ट इस हिसाब से न बनने के कारण जिसके 69 पर्सेन्ट मार्क्स थे जिस लड़के के 69.66 पर्सेन्ट मार्क्स थे उसको एडमिशन नहीं मिला और जो उपाध्याय पास करके आया, जिसके 69 पर्सेन्ट नम्बर आये वह उपाध्याय वाला, हायर सैकन्डरी में 69 पर्सेन्ट संस्कृत विषय में मार्क्स होते हुए भी एडमिशन पा गया। इस तरह से राजस्थान के कई टेलेन्टेड विद्यार्थी एडमिशन से वंचित रह गये। दिनांक 22-9-1982 को सेन्ट्रल कौन्सिल ने एक लैटर लिखा राजस्थान यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार को उस पत्र में स्पष्ट लिखा है :

"It has been brought to the notice of the Central Council that the University of Rajasthan, Jaipur vide its Ordinance No. O. 329 N-3 has laid down the qualification for admission to Pre-Ayurved Coures as "Uttar madhyama or Higher Secondary/PUC preferably with Sanskrit or an examination equivalent thereto".

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया...

श्री गुलाबचन्द कटारिया : उसमें यह है। मैं इसे छोड़ देता हूं लेकिन उसमें नीचे लिखा है।

"In this connection, it is requested that the prescribed regulations for admission to Undergraduate Course of Ayurved be followed strictly without any amendment and there should not be any anomaly in this regard. You are also requested to please clarify the position as stated above.

The action taken by you to this effect may please be intimated at your earliest.

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

11 तारीख को इस प्रकार गलत काम किया और विद्यार्थियों ने इसकी शिकायत की व मांग की कि मेरिट लिस्ट बनाकर एडमिशन दिया जाय । आज भी राजस्थान के बाकी चार कॉलेजों में इसी हिसाब से एडमिशन दिया गया लेकिन···

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : कम से कम सभी लड़कों का मैरिट के आधार पर प्रवेश हो ।

श्री दाऊदयाल जोशी : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर। यही बात मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा···

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । अब माननीय सदस्य पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर वगैरह ज्यादा उठायेंगे तो मैं समय दूंगा किन्तु सुविधानुसार सूची को बदलकर···

श्री दाऊदयाल जोशी : एक ही बात कहूँगा ।

श्री अध्यक्ष : मुख्य विषय पर जो भी माननीय सदस्य तीन वक्तव्य सुनना चाहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण समझकर मैंने उनको रखा है उनको लेने दें तो आपकी मेहरबानी होगी वरना मैं कार्य सूची में परिवर्तन करके मुख्य विषय पर आ जाऊंगा ।

एक माननीय सदस्य : एक मिनट ।

श्री अध्यक्ष : एक एक कृपया । इसमें कोई थापना हो तो मारवाडी में कह देऊं कि थाप जाओला । यह तो है नहीं । ऑर्डर ऑर्डर ।

(व्यवधान)

मैंने निवेदन किया, मेरे पास एक विकल्प बचता है वह यह है कि मैं इस सूची को सस्पेन्ड करूं ।

श्री नाथूसिंह : एक मिनट ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । माननीय सदस्य, बैठ जायं । कृपया आप बैठ जायं । अब इसके लिये एक घन्टे का समय निश्चित किया गया है, 20-20 मिनट एक-एक विषय के लिये है। महत्वपूर्ण विषय है अपनी बात 20 मिनट में कह दें लम्बा चौड़ा भाषण नहीं होगा । जो वक्तव्य है उसको सुन लीजिये । उसके पश्चात् किसी तरह की कोई कठिनाई हो तो उसके बारे में आप कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं । इस पर लम्बी चौड़ी डिबेट का अवसर नहीं दूंगा ।

अब सबसे पहले सदन की····

श्री नाथूसिंह : पुलिस में भयंकर····

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । कृपया बैठ जायं ।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, तीन व्यक्तियों के····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जायं ।

(व्यवधान)

ऑर्डर ऑर्डर । नियमों की पुस्तक दीजिये इसके सिवाय मेरे पास कोई चारा नहीं है । I will have to do it.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आज आप क्यों नाराज हो रहे हैं। सारा हाउस शान्ति से चला है।

श्री अध्यक्ष : चला है इसी का मुझे अफसोस है, सारा हाउस अच्छी तरह से चलाया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हमें अफसोस इस बात का है कि आप जाते जाते नाराज हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि थोड़ा शान्त हो जायं तो ····

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। मैं निवेदन करूंगा, लम्बी कार्य सूची है, माननीय सदस्य शिड्यूल्ड कास्ट व ट्राइब के हैं उनकी चिन्ता है, बड़ी मुश्किल से इस विषय को लगाया जा रहा है। अब यह मुख्य विषय तो रह जायेगा और अन्य विषयों ····

(व्यवधान)

मैं माननीय सदस्यों की कठिनाई को समझता हूं लेकिन यथासम्भव कोशिश कर रहा हूं जितना मेरे पास समय है उसमें लेने की।

एक माननीय सदस्य : आप तो यह नियमों की किताब वापिस दे दीजिये।

सदन के पटल पर रखे गये पत्र
प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

सदन की मेज पर रखे जाने वाला पत्र

मुख्य मन्त्री जी !

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (राज्य मंत्री, गृह) : अध्यक्ष जी, आपकी आज्ञा से मैं राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12 की उपधारा 5 के अन्तर्गत श्री एम. एल. जोशी, लोकायुक्त, राजस्थान की उक्त अधिनियम की धारा 12 (4) द्वारा यथाअपेक्षित वर्ष 1979-80 के दौरान उनके द्वारा कार्य सम्पादन के सम्बन्ध में सप्तम वार्षिक रिपोर्ट सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : इसमें यह आपत्ति की गई थी उस दिन भी कि इतनी देर से यह क्यों प्रस्तुत किया जा रहा है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : वह तो कल पेश हो चुका है, आपत्ति वाला तो कल पेश हो चुका है। यह तो उसके बाद वाला है।

श्री अध्यक्ष : पहले वाला ठीक है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो सेटिस्फाइड हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं सेटिस्फाइड हूं।

खनिज मंत्री जी !

श्री हीरालाल देवपुरा (खनिज मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा—6 की उप-धारा—3 का भाग बी के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट डवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड का तीसरा वार्षिक प्रतिवेदन 30 मार्च, 1982 को समाप्त हुए वर्ष के लेखे सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : वित्त मंत्री जी।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं वर्ष 1981-82

(श्री हीरालाल देवपुरा)
के लिए भारत के नियंत्रण महा लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन राजस्व प्राप्तियां सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। श्री महाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा नागौर क्षेत्र में पेय जल योजना की क्रियान्वति प्राथमिकता में अवहेलना बरतने व अव्यवहारिकता की ओर जन स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करेंगे। कृपया समय का ध्यान रखें।

व्यवस्था का प्रश्न
पेयजल की पाइप लाइन के पानी की जांच गटर लाइन का पानी

श्रीमती उजला अरोड़ा: अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

नियम 289 के तहत मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहती हूं। मेरा निवेदन है कि जयपुर की चौकड़ी मुन्नालाल मूर्तिकार राजा राम धर्मशाला के पीछे रहने वाले व्यक्तियों के नाम मेरे पास हैं इनके घर में गटर की लाइन का पानी मिला हुआ पेय जल के नलों में आ रहा है। मुख्यतः सारी बस्ती ने पत्र लिखकर मुझे दिया है। मैं कहूंगी कि इन व्यक्तियों ने अपने घर से भरकर दिया है। मैं इस बात को कहूँगी, मैंने उस दिन पेयजल के तहत भी रखा था कि यहां गटर का पानी नलों के पेयजल में आ रहा है। हमने सीधे विभाग से सम्पर्क किया लेकिन उन्होंने कहा कि 5-6 बाल्टी पानी निकाल कर फेंक दीजिये। आपको वही पीना पड़ेगा, हम ठीक नहीं करेंगे। इसलिए यह मैं आपसे निवेदन करूंगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, यह व्यवस्था के प्रश्न की परिभाषा में नहीं आता। कृपया बैठ जायें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : तो इसकी जांच करायें, टैस्ट करायें, ठीक करायें यह तो आदेश इनको दीजिये।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि मंत्री महोदय उन बस्तियों के पानी को टैस्ट करवा लें, यह मैं मंत्री महोदय से कह रहा हूं। जिस बस्ती की शिकायत पेयजल की है वहां के जल को प्राप्त करके उसकी जांच करवाने का कष्ट करें।

श्री परसराम मदेरणा (मंत्री, जन स्वास्थ्य) : जयपुर से आने वाली माननीय सदस्या मुझ से मिली थीं। जहां पर सीवरेज और रीजनल पाइप लाइन पास पास है, वहां लीकेज की वजह से आपस में मिल जाती हैं। ऐसी स्थिति में पानी मिक्स हो जाता है। उनको यह बात कही थी कि इस प्रकार की समस्या जहां पर है उनके लिये मैंने विभाग को आदेश दिये है कि जांच करें। यदि माननीय सदस्य किसी विशेष जगह के लिये कहेंगी तो मैं उसकी जांच कराऊंगा और उसको तुरन्त देखूंगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने विभाग को यह और कह दें कि वे लोगों पर इस बात के लिये दबाव नहीं दें कि वे गटर का ही पानी पीवें, सात बाल्टी निकालने के बाद उस पानी को पिया जाय।

पुरोहित जी की ढाणी में पेयजल

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पाईन्ट ऑफ ऑर्डर।

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

मैं, अध्यक्ष महोदय, एक क्षण में ही मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहा हूं कि जिस जगह से मैं आता हूं, पुरोहितजी की ढाणी में पाइप लगा हुआ है लेकिन दो महीने से वहां पर पानी नहीं आ रहा है। लोगों को काफी तकलीफ हो रही है। अकाल की परिस्थिति है पीने का पानी तो पहुँचे, इसकी व्यवस्था करा दें।

श्री अध्यक्ष : उनके यहां पर 8-8 साल से पानी की योजनायें हैं लेकिन आज दिन तक पानी नहीं पहुंचा है। कोटा तो पानी में तैरता है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

नागौर क्षेत्र में पेयजल योजना की क्रियान्विति

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : मैं राजस्थान विधान सभा के नियम 131 के अन्तर्गत••• •••

(व्यवधान)

आपका ध्यान नियम 131 के अन्तर्गत आकर्षित करना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, नागौर क्षेत्र के अन्दर जो पेयजल की योजनायें बनी हैं या बन रही हैं वे पूरी तौर पर अव्यावहारिक हैं, परिस्थितियों को ध्यान में रखे बगैर स्रोतों को कायम किये बगैर ही सिविल वर्क शुरू कर दिये गये हैं। इसके सम्बंध में मैंने जो इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में लिखा है उसका जवाब तो देंगे ही लेकिन इसके साथ साथ कुछ थोड़ा सा और स्पष्टीकरण कर देता हूँ।

मैं इस विधान सभा के अन्दर 1980 के अन्दर जब पहली बार आया और जल योजनायें और जल योजनाओं के अन्दर हैंड पम्प के कार्यक्रम शुरू हुए, उस वक्त से ही इस सदन, पंचायत समिति और जिला परिषद् के मार्फत अधिकारियों और सरकार का इस ओर ध्यान दिलाता रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, मार्च, 81 के अन्दर इस विधान सभा में स्थगन प्रस्ताव के जरिये हैण्ड पम्प की अव्यवस्था और अव्यावहारिकता के मामले के अन्दर मैंने सदन में यह निवेदन किया था कि यह जो व्यवस्था चल रही है, ये जो पेयजल योजनायें बन रही हैं ये हमारे क्षेत्र के अन्दर अव्यावहारिक हैं। इस प्रकार मैंने हर स्तर पर कार्यवाही की लेकिन सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं देने की वजह से और भी ज्यादा गड़बड़ी होती गयी। उससे असंतोष उत्पन्न हो गया। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि समय सीमा है इसलिये मैं जो कुछ मेरा मुद्दा है सीधे उसकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, विद्युत मंडल द्वारा जो ग्राम विद्युत प्राप्त हैं और जिन गांवों के ऊपर से लाइन जा रही है उन गांवों के विद्युतीकृत नहीं होने की वजह से कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। विद्युत मंडल ने मुझे एक प्रश्न के जवाब में यह बताया है कि जन अभियांत्रिकी विभाग में अस्वीकृत गांव है जिन्होंने पैसा जमा नहीं कराया है इसलिये उनको विद्युतीकृत नहीं किया जा रहा है। इस लिये मैं आपके माध्यम से यह तवज्जोह चाहता हूँ कि ऐसे गांव, जिनके ऊपर से लाइन निकलती है और जो विद्युतीकृत हैं, को विद्युत मंडल लाइन देने को तैयार है तो पी. एच ई. डी. को तुरन्त आवेदन करके

(श्री महाराम चौधरी)

पैसे जमा कराने चाहिये। यह काम तुरन्त करें जिससे की उनको पीने के पानी की सुविधा मिल सके।

(1. 13 म. प.)

(श्री देवदत्त तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, विभाग वाले प्राथमिकता की अवहेलना करते हैं ग्राम दातौड़ा, मंडाऊ कांवरियां, माजरा, खन्नी, सादड़ी, फलानू, ढेरवा, खाड़िया, खारीकरण सोता, वाम्बनयाला अचीरा, खटोला यह करीब 36 गांव हैं जो सबसे ज्यादा समस्याग्रस्त थे, इन गांवों को प्राथमिकता नहीं देकर दूसरे गांवों में अव्यावहारिक योजना, जिससे पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है, लागू कर दी। इसलिये मेरा इसके अन्तर्गत यह निवेदन है कि इन गांवों की योजना बनाकर विभाग ने प्राथमिकताओं की अवहेलना की है। सभापति महोदय, योजना के अन्तर्गत सरकार ने ग्राम डागाल और आंकल के अन्दर पी. एन. टी. की स्कीम के आदेश जारी कर दिये थे। आदेश जारी करने के उपरान्त भी स्थानीय अधिकारियों ने लापरवाही से अव्यावहारिक योजना लागू करके ऐसे हैंड पम्प लगा दिये जो करीब-करीब सब खराब पड़े हैं जिनमें पूरे पाइप लगाये नहीं गये हैं। इस तरह सरकार के आदेश की अवहेलना की है। जो पत्र मुझे साथ में मिला है नम्बर 7216 दिनांक 19-5-81 जिसके द्वारा राज्य सरकार ने आदेश प्रसारित किया उसके अन्दर ग्राम डागला और आकला दो गांव हैं जिनका जल स्तर 200 फीट गहरा है। उसके बावजूद पी एन. टी. की स्कीम को खारिज करके अपने आप हैंड पम्प की योजना लागू कर दी जो कि आज भी खराब हालत में हैं। कुछ हैंड पम्प तालाव के आस आस लगा दिये गये। जहां आबादी बसती है उसकी अवहेलना की है।

सभापति महोदय, मैं इसके साथ साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ गांव ऐसे हैं साथीण, खटोड़ा, आचीण, जिन गांवों के मैंने इस ध्यानाकर्षण के अन्दर नाम दिये हैं केवल इन गांवों के अन्दर ही हैंड पम्प योजना बनाकर स्वीकृति के लिए भेज दी। वह योजना स्वीकृत हो गयी लेकिन वास्तविकता यह है कि उस जगह पर पानी तीन सौ फीट गहरा है। उससे क्या हुआ, सभापति महोदय, जिन गावों को मार्च, 1982 तक पानी उपलब्ध हो जाता, लेकिन अव्यावहारिक योजना बना कर हैंड पम्प बना दिये, योजना स्वीकृत हो गई लेकिन कामयाब नहीं हुई, इस कारण आज नौबत यह आ रही है कि इन गांवों के अन्दर दूसरी योजना बनानी होगी।

आपको दूसरा यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि कई गांवों के अन्दर क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना है। अलाय क्षेत्र है जहां मंगोरी, वारानी, सोकड़ा, सिदरा या अलाप से ऊंटवाल जाती है उस सड़क के सम्बन्ध में पिछली 19 मार्च को रखे गये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि ऐसे गांव, जिनके नजदीक ढाणियां हैं और जिनके पास में से पाइप लाइन जाती है, में पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे। लेकिन वह भी नहीं हुआ है। सभापति महोदय, उस पूरे क्षेत्र के अन्दर जनसंख्या को मद्दे नजर रखते हुए

(श्री महाराम चौधरी)
आपने यह पाइप लाइन निकाली है तो इस ढाणी में रहने वाले लोगों को छोटी हौदी बना कर पानी उपलब्ध करा दें तो कोई बड़ी समस्या वाली बात नहीं होगी। इससे होगा क्या कि आज 15 और 20 प्रतिशत लोगों को पानी उपलब्ध हो रहा है और इस तरह से छोटी पाइप लाइन देने से 25 प्रतिशत और लोगों को और पानी मिल जायेगा सभापति महोदय, मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

इस बुकलेट के अन्दर पेयजल उपलब्ध कराने से जनसंख्या कितनी लाभान्वित होगी उसके अन्दर पूरे गांव को सम्मिलित कर लिया है। लेकिन वास्तव में यदि किसी गांव के अन्दर 3 हजार की आबादी है तो वहां की 15 प्रतिशत जनता को ही पानी प्राप्त हो रहा है बाकी 85 प्रतिशत जनता को तो एक बूंद भी पानी उपलब्ध नहीं होता है। उस 85% आबादी को भी आपने अपनी बुकलेट के अन्दर अपनी उपलब्धि में गिन लिया है कि उनको पानी मिल रहा है जब कि उनको पानी नहीं मिल रहा है। सभापति महोदय, इन गावों की पूरी जनसंख्या को आपने राजस्थान के आंकड़ों में सम्मिलित कर लिया कि पानी सभी को दिया है लेकिन वास्तव में अधिकतर आदमियों को पानी नहीं मिल रहा है।

सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं अब जो गांव हैं, उन गांवों की जितनी भी स्थानीय योजनायें बनायी हैं यह पंचायत समिति तो उस वक्त नहीं थी। तो जो योजना हैं, उन योजनाओं को स्वीकृत करके काम करना चाहिए था लेकिन इन अधिकारियों, जिन्हें ग्रामीण क्षेत्र की जल प्रदाय योजनाओं को कभी बनाने का, देखने का काम नहीं पड़ा, ने जो स्रोत कायम किये और सफल नहीं हुए, उसके पहले ही इन्होंने सिविल वर्क कर दिया। सभापति महोदय, कुआं तो है ही नहीं कुआं है तो सक्सेस नहीं होगा लेकिन 5-10 किलोमीटर के अन्दर पाइप लाइन बना दी है। इस नीयत से वह पाइप लाइन बना दी कि इन पाइप लाइनों को बनाने में कन्स्ट्रक्शन वर्क करने से हमको कमीशन मिलेगा। सभापति महोदय, यही नहीं उन्होंने जो सिविल वर्क में टैंक बनाये, दूसरे वर्क किये हैं वह काम इतने घटिया स्तर के किये गये हैं जिनको कभी आप क्वालिटी कन्ट्रोल से टैस्ट करायें तो दावे के साथ कह सकता हूँ, उनके अन्दर सीमेन्ट की जगह राख डाली गयी मिलेगी। मतलब घटिया स्तर का काम हुआ है। उदाहरण के तौर पर निवेदन करना चाहता हूं, ग्राम फासला सिड़ांके अन्दर इन्होंने ट्यूब वैल खोदे जो फेल हो गये, सक्सैसफुल नहीं हुए। दो साल से कुए खुदे पड़े हैं। उनके सक्सैसफुल नहीं होने के बाद उन्होंने आसमान से गिरती हुई टंकी बना दी। जब उस टंकी में पानी डाला गया, तो पानी टपक-टपक कर झर रहा है......

श्री सभापति : शुरुआत में तो थोड़ा झरता ही है।

श्री महाराम चौधरी : मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूँ, तकनीकी विकास के जरिये काम तो करना चाहते हैं लेकिन उसकी यथार्थता को कभी न स्वीकार किया है, न समझने की कोशिश की है, उसको अगर कोई जानता है, उससे भी जानने की कोशिश इन्होंने नहीं की है।

(श्री महाराम चौधरी)

सभापति महोदय, अब मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय को सिर्फ यही निवेदन करना चाहता हूं, मैंने पेयजल के संबंध के अन्दर समय-समय पर सरकार को इस विधान सभा के जरिये, अधिकारियों को, चीफ मिनिस्टर को अवगत कराया था। सबसे पहला पत्र 2 जून, 1981 को मुख्य मंत्री को लिखा, पत्र लिखने के बाद भी अखबारों की मार्फत यह निवेदन किया गया था, आज तो, सभापति महोदय, हैण्ड पम्पों की इन गड़बड़ घोटालों की तरफ सभी ध्यान दे रहे हैं लेकिन मैंने उस वक्त के अन्दर ध्यान आकर्षित कर दिया था। हैण्ड पम्प योजना बिल्कुल अनसक्सेसफुल हुई, पाइप पूरे नहीं लगाये जा रहे हैं, जमीन के अन्दर पूरे पाइप नहीं लगाये जा रहे हैं, यह सब मैंने निवेदन कर दिया था। लेकिन यह अंधाधुंध काम चलता ही गया और इस नौबत में जाकर यह गड़बड़ी सब के सामने आयी। मैं इस सम्बन्ध में ध्यान दिलाना चाहता हूं, मेरे क्षेत्र के अन्दर हैण्ड पम्प के जितने भी काम किये गये, वह सिर्फ सरकारी अधिकारियों के सरकारी मशीनों के मार्फत हुए थे। उसके अन्दर से पाइप गये हैं, डीजल गया है, मोटरों में से, जो इसके अन्दर पाइप लगता है वह गया है, पाइप पूरा नहीं लगाया, इस सम्बन्ध में जितने भी पत्र मैंने सरकार को लिखे कागजों के जरिये से, पत्रों के जरिये से, सरकार का ध्यान आकर्षित किया, उनका भी आपने अवलोकन किया होगा। इसके अन्दर एक दो बातें मेरी रह गयी होंगी जिन्हें समय के अभाव के अन्दर पूरी नहीं कर सकता ...

श्री सभापति : पर्याप्त है, माननीय सदस्य।

श्री महाराम चौधरी : इसलिए इन सब समस्याओं, जिनके प्रस्ताव मेरी तरफ से दिये हुए हैं, आपके विभाग को दिये हुए हैं, का भी आप इसके साथ में निराकरण करें। सभापति महोदय ....

श्री सभापति : बस समाप्त करें।

श्री परसराम मदेरणा : 20 मिनट का समय तो हम दोनों को दिया है, इसका मतलब मुझे आधा मिनट बोलना पड़ेगा।

श्री महाराम चौधरी : आप घण्टे भर बोलो तो अच्छा रहेगा।

श्री परसराम मदेरणा : आप तो सब बातें बोल सकते हो। नियम बने हुए हैं।

श्री महाराम चौधरी : मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं। आम श्री बालाजी, कुछ गांवों के नाम बता देता हूँ, उसके बाद बन्द कर देता हूँ, पांचोली, ट्यूब वैल, मेड़, इन सब गांवों के अन्दर आपने स्रोत कायम किये बगैर या स्रोत सक्सेसफुल नहीं हुए तो भी सिविल वर्क कर दिये घटिया वर्क कर दिये। सभापति महोदय, थोड़ा सा, इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, पी. एन. टी. स्कीम के अन्दर 5 किलोमीटर के अन्दर पाइप लाइन ले गये लेकिन सार्वजनिक स्थान पर जिस जगह पर हम स्थानीय आदमियों ने लगाने का कहा था उस जगह की उन्होंने अवहेलना की है। इसलिए मैं इतना ही निवेदन करता हूँ कि मेरे जो कागजात हैं, उनको तवज्जोह देकर समस्याओं का निराकरण करने की चेष्टा करें।

व्यवस्था का प्रश्न

लाबीज में पर्चों का वितरण

श्री नाथूसिंह : On a point of order. very serious point. सदन में यह नियम है कि जिस समय सदन की कार्यवाही चल रही हो, लाबीज में इस तरह से पर्चे नहीं बांटे जा सकते। सभापति महोदय, ऐसे पर्चे आये हैं, जिनमें मुख्य मन्त्री जी की फोटो छपी है और उन पर करप्शन के चार्जेज हैं। यह बांटे जा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से···

श्री सभापति : यह कोई सचिवालय की तरफ से नहीं बांटे जा रहे हैं।

श्री नाथूसिंह : सचिवालय नहीं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बांटे गये है। कांग्रेस (ग्र.ई) के माननीय सदस्य बांट रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : ग्राप लोग बांटते हो ग्रौर कांग्रेस को बदनाम करना चाहते हो···

(व्यवधान)

जैसे ग्रापकी पार्टी के लोगों में फूट पड़ी है, वैसी हमारे में नहीं पड़ेगी।

(व्यवधान)

श्री सभापति : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है; माननीय सदस्य, ग्रॉर्डर।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, ग्रॉर्डर प्लीज। मंत्री जी,

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, मैं पढ़ कर सुना सकता हूं। करप्शन के चार्जेज मुख्य मंत्री पर, फोटो स्टेट कॉपी बनाकर कांग्रेस के सदस्य पर्चे बांट रहे हैं। इस पर व्यवस्था दें, यह पर्चे किसने बांटे, क्या मामला है ?

श्री सभापति : सचिवालय से सम्बन्ध नहीं है।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, इसमें करप्शन के चार्जेज हैं मुख्य मन्त्री पर, उनकी फोटो छपी है। सदन में कांग्रेस (ग्राई.) के मेम्बर्स बांट रहे हैं। मुख्य मन्त्री जी बंटवा रहे हैं या उनके विरोधी लोग··

श्री सभापति : ग्रङ्कित न हो। माननीय सदस्य बैठ जाये। व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री नाथूसिंह : ×××

श्री सभापति : सचिवालय की तरफ से नहीं बांटे गये हैं। माननीय सदस्य, बैठ जाये···

(व्यवधान)

(1.26 म.प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, ग्रध्यक्ष, पदासीन)

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रॉर्डर प्लीज।

××× माननीय सभापति के ग्रादेशानुसार ग्रङ्कित नहीं किया गया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : झगड़ा है तो आपस में बैठकर सुलझा लो, बुरा है तो ठीक करो···

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। स्थान ग्रहण कीजिए। यदि इस सदन के अन्दर कोई माननीय सदस्य अथवा अन्य व्यक्ति अनधिकृत कार्यवाही करता है तो उसके लिए अपने नियमों में पर्याप्त प्रावधान है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : लॉबीज में रख सकते हैं, अध्यक्ष महोदय ?

श्री अध्यक्ष : रख सकते हैं; नहीं रख सकते हैं, इसका जबानी उत्तर नहीं होना। किसी नियम का हनन हुआ है, किसी विशेषाधिकार का हनन हुआ है, कृपया, नियमों के अन्दर इस विषय को लाइये। यह नहीं कि बात अपने ध्यान में है, कोई घटना हो गई, रेडियो भी माननीय सदस्य सुन रहे हैं, टी. वी. देख रहे हैं, तो उससे तत्काल विचारणीय विषय हो जाता है क्या ? अपने कार्य की एक विधि सभा ने तय कर दी है, उस विधि के अनुसार सभा का कार्य सम्पादित किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण घटना भी हो सकती है, माननीय सदस्य ने देख ली हो, सुन ली हो, कर ली हो, इस पर इस तरह से कार्यवाही···

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, ऑर्डर प्लीज। कृपया···

श्री नार्यूसिह : बिलकुल आपकी व्यवस्था को शिरोधार्य करते हैं लेकिन, अध्यक्ष महोदय, यह जो पर्चे बांटे जा रहे हैं। मुख्य मन्त्री जी की फोटो छपी है···

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। यदि किसी माननीय सदस्य अथवा व्यक्ति···

श्री नार्यूसिह : इसलिए आपके सामने रखना, मैं समझता हूं···

श्री अध्यक्ष : कृपया, माननीय सदस्य··

श्री दुलाराम : क्या पता आप ही फोटो स्टेट कराकर लाये हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार चार्जेज लगाये हुए पर्चे हमारी लॉबी में रख सकते हैं क्या, कोई भी आदमी ?

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। कृपया बैठ जायें। मन्त्री जी उत्तर देंगे। ऑर्डर प्लीज।

नागौर क्षेत्र के पेय जल योजना की क्रियान्विति

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, नागौर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रक्रिया नियमावली के नियम 131 अन्तर्गत अपने निर्वाचन क्षेत्र नागौर में चल रही या बनायी गयी 5 प्रकार की योजनाओं के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित किया है। आपका किया तो मेरा स्वतः ही हो जाता है। उन्होंने जिन 5 प्रकार की जिन 5 श्रेणी में निर्वाचन क्षेत्र के गांवों को विभाजित किया है, अपने इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में उसका उल्लेख किया है। उनका पहला बिन्दु यह है कि जिन कुछ गांवों की संख्या इनके द्वारा दी गई है, उनको प्राथमिकता नहीं दी गई, जब कि समस्या बहुत जटिल है उन गांवों में। दूसरा यह है कि पानी बहुत गहरा है लेकिन वहां हैण्ड पम्प लगा दिये।

(श्री परसराम मदेरणा)

तीसरा यह है कि हैण्ड पम्प योजनायें जिन गांवों में लागू की गई हैं उन गांवों में हैण्ड पम्प असफल हो गये हैं। चौथा मुद्दा उन्होंने यह उठाया है कि जहां पर क्षेत्रीय जल प्रदाय योजनायें प्रारम्भ की जा चुकी हैं वह योजनायें वहां सुचारु रूप से नहीं चल रही हैं। पांचवां मुद्दा उन्होंने यह उठाया है कि 16 गांवों में हैण्ड पम्प योजना से पानी उपलब्ध कराया गया है उन गांवों में पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से राज्य सरकार का वक्तव्य इस प्रकार से है :—

"निर्वाचन क्षेत्र नागौर में ग्रामीण जल प्रदाय योजनायें विभागीय मापदण्ड तथा गाइड लाइन को आधार मान कर ही बनाई गई हैं, तथा स्वीकृत योजना में लिये प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति के मौहल्लों में पाइप लाइन, हैण्ड पम्प लगाकर पेयजल से लाभान्वित किया गया है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में विभिन्न योजनायें दर्शाई गई हैं उनके बारे में विवरण निम्न प्रकार से है :—

(1) ग्राम बामनियालाल, इसरनाड़ा तथा कालड़ी में हैण्ड पम्प योजनायें स्वीकृत की गई थीं, लेकिन उक्त तीनों ग्रामों में करवाये गये विस्तृत सर्वेक्षण के अनुसार तथा उपलब्ध गंवाई कुओं में पानी का स्तर 150 फीट से ज्यादा होने के कारण हैण्ड-पम्प नहीं खुदवाये गये हैं। ग्राम डेरवा व थलांजू के लिये वर्ष 1981-82 में क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना, थलांजू डेरवा के नाम से 7.00 लाख लागत की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी। इस योजना के लिये उपयुक्त स्रोत नहीं मिलने के कारण वरिष्ठ भू-जल वैज्ञानिक से राय लेकर नल कूप बनाया जा सकेगा। सुखवासी, जोशीयाद व भवाद ग्राम के लिये क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना रायधनु सुखवासी इसी वित्तीय वर्ष में 17.02 लाख लागत की स्वीकृत की गई है। योजना का कार्य प्रगति पर है।

(2) ग्राम खारी करमसोता के लिये विस्तार योजना जल खारीकरम सोता इसी वित्तीय वर्ष में 3.74 लाख लागत की स्वीकृत की गई है। चालू वर्ष में योजना पर 3.00 लाख का बजट आवंटन है। योजना का स्रोत ग्राम गुड़ा भगवानदास में लिया गया है। ग्राम गुड़ा भगवानदास में सफल नलकूप बनाये जाने के बाद गुढा भगवानदास से खारी करम सोता तक पाइप लाइन बिछाई जावेगी।

(3) पोटलियां मांजरा के लिये . . .

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, गुढ़ा भगवानदास का तो ट्यूब वैल अनसक्सेस फुल गया है . . . .

श्री परसराम मदेरणा : आप बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। गुढ़ा भगवानदास ही नहीं, गढ़लियासर से श्री बालाजी से और बटवटा से लेकर और उधर जो आपके गांव हैं भावंडा तक, सभी गांवों को मैं जानता हूँ।

मैं स्टेटमेन्ट दे रहा हूँ और आप बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, गुढ़ा भगवानदास . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! प्रगति काफी संतोषजनक प्रतीत होती है इसलिये ऐसे कह रहे हैं ।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, संतोषजनक प्रगति · · ·

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर ;

श्री परसराम मदेरणा : पोटलियां मांजरा के लिये, ठीक है गुढ़ा भगवानदास के पास ये गांव हैं, इस वर्ष विस्तार जल योजना पोटलियां मांजरा 4.50 लाख लागत की स्वीकृत की गई है तथा चालू वर्ष में योजना पर 2.00 लाख का बजट प्रावधान है। इस योजना का स्रोत ग्राम गुढ़ा भगवानदास तथा भूण्डेल के बीच में लिया गया है। नलकूप बनाये जाने के पश्चात्, पाइप लाइन बिछाकर लाभान्वित किया जावेगा और इन गांवों को लाभान्वित किया जायेगा।

(4) ग्राम नन्दवानी, गोधन, बरबटा, इन्डास व चरड़ा, पुलिस स्टेशन के पास वाले गांव के पास हैं। आपके अलग विस्तार जल प्रदाय योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है। लेकिन वर्ष 1982–83 में प्रावधान नहीं होने के कारण कार्य चालू नहीं करवाया गया है। ग्राम कोटिया के लिए 12.00 लाख की पी. एण्ड टी. योजना स्वीकृत की गई है। चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना पर बजट प्रावधान नहीं है।

(5) ग्राम आंकला, हमीराना एवं टांकला की पी. एण्ड. टी. योजनायें वर्ष 1981-82 में स्वीकृत की गई थीं। उक्त दोनों ग्रामों का विस्तृत सर्वेक्षण करवाये जाने के पश्चात् इन दोनों ग्रामों में हैण्ड पम्प लगाया जाना फिजिबल पाया गया। ग्राम आंकला हमीराना के लिए हैण्ड पम्प योजना 1.80 लाख रुपये की स्वीकृत की गई व ग्राम टांकला की हैण्ड पम्प योजना को स्वीकृति 1.85 लाख लागत की जारी की गई। ग्राम आंकला हमीराना में 9 स्थानों पर तथा ग्राम टांकला में 8 स्थानों पर सफल हैण्ड पम्प लगा दिये गये हैं। हैण्ड पम्प अनुसूचित जाति की ढाणियों में भी लगाये गयेहैं। ग्राम आंकला में पानी का स्तर 42 मीटर पर है तथा ग्राम टांकला में पानी का स्तर 40 मीटर है। अतः इन दोनों में हैण्ड पम्प लगाया जाना फिजिबल है व दोनों ग्रामों को वर्ष 1981-82 में लाभान्वित कर दिया गया है।

(6) ग्राम आचीणा, खटोडा साटिका कलां, व गुडला के लिए वर्ष 1981-82 में तथा ग्राम साटिका खुर्द के लिए वर्ष 1980-81 में हैण्ड पम्प योजनायें स्वीकृत की गई थी। केवल ग्राम गुडला को 3 हैण्ड पम्प वर्ष 1981-82 में लगाकर लाभान्वित कर दिया गया है। इस ग्राम में हैण्ड पम्पों में पानी का स्तर 36 मीटर के आस-पास है। तीनों ही हैण्ड पम्प चालू हालत में ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित कर दिये गये हैं।

शेष ग्राम आचीना, खटोडा साटिका कलां व साटिका खुर्द में विस्तृत सर्वेक्षण करवाने तथा इन ग्रामों में उपलब्ध गंवाई कुओं में पानी का स्तर 150 फीट से ज्यादा पाये जाने के कारण इन सभी ग्रामों में हैण्ड पम्प नहीं खुदवाये गये हैं, इन ग्रामों को हैण्ड पम्प योजना से कनेवन्शनल

(श्री परसराम मदेरणा)

योजना में बदलने के प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं।

(7) ग्राम अलाय, गुढा भगवानदास, पांचलासिद्धा, श्री बालाजी, माडपुरा, बिरलोका, कुरची में पी. एण्ड टी. योजनायें स्वीकृत हैं। ग्राम अलाय, गुढा भगवानदास एवं श्री बालाजी की योजनाएं विद्युतीकृत हैं। वर्तमान समय में औसतन 5 घन्टे बिजली ही ग्रामीण क्षेत्र में मिल रही है जिससे पानी के उत्पादन में कमी हुई है। अतः उपलब्ध पानी ही गांवों को वितरित किया जा रहा है। ग्राम श्री बालाजी, तथा गुढा भगवानदास में स्रोत की कमी होने के कारण श्री बालाजीके लिए आगुमेन्टेशन योजना स्वीकृत की गई है। आगुमेन्टेशन का कार्य प्रगति पर है। ग्राम गुढा भगवानदास आगुमेन्टेशन योजना प्रस्तावित की गई है।

ग्राम पांचला सिद्धा, माडपुरा, बिरलोका, तथा कुरची की पी. एण्ड टी. जल योजनायें डीजल जनरेटिंग सैट्स से चलाई जा रही हैं। ग्राम पांचला सिद्धा को छोड़कर अन्य सभी ग्रामों में जल वितरण सुचारु रूप से तथा नियमित किया जा रहा है। ग्राम पांचला सिद्धा में एक ओपन वेल तथा एक नलकूप योजना के स्रोत हैं। ओपन वेल में पानी की कम आवक होने से 24 घण्टे में मात्र 4 घन्टे ही चल पाता है। तथा नलकूप की क्षमता भी 1000 गैलन प्रति घन्टा है। जिससे दैनिक आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती है अतः ग्राम पांचला सिद्धा के लिए आगुमेन्टेशन योजना 2.00 लाख लागत की प्रस्तावित की गई है।

(8) नागौर क्षेत्र में 89 हैण्डपम्प पंचायतों को चालू हालत में हस्तान्तरित किये गये है। हैण्ड पम्पों का रख रखाव पंचायतों द्वारा किया जा रहा है। इसके लिये 100/- रुपये प्रति हैण्ड पम्प पंचायतों को उपलब्ध कराये जाते हैं व वर्ष 1982-83 में 8900 रुपये पंचायतों को दिये गये। जिला प्रशासन ने हैण्ड पम्पों की मरम्मत हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नागौर में "ट्राइसम" ट्रेनिंग योजना प्रारंभ की है, जिसके अन्तर्गत ग्रामीणों को हैण्ड-पम्पों की मरम्मत हेतु प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : समय काफी हो गया है।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, नागौर से आने वाले माननीय सदस्य ने ध्यानाकर्षण करते वक्त बहुत सी बातें कही। एक तो, हैण्ड पम्प योजना बन्द कर दी जाय, अध्यक्ष महोदय, और उन्होंने यहां पर हैण्ड पम्प में घोटाले की बात भी कही। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इसे बहुत गंभीरता से लिया है। माननीय सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में जिन 16 गांवों के 89 हैण्ड पम्प जो हस्तान्तरित किये गये हैं उनके सम्बन्ध में तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि 1980 में····

(व्यवधान)

यह हमने तय किया कि राजस्थान के सम्पूर्ण क्षेत्रों को कवर करने के लिये बाकी बचे हुये बीस हजार गांवों में इस योजना को लागू करें। सबसे पहले सेप्टेम्बर में

(श्री परसराम मदेरणा)

निर्णय लिया गया, और यह प्रश्न कल भी सदन के सामने आया, कहा गया; दस्तावेज सदन के सामने, सदन की मेज पर रखे जायें। इसलिए मैं बताना चाहता हूं फाइनेन्स कमेटी की जो रिपोर्ट है, उसमें क्या निर्णय लिया गया। किस प्रकार से लागू करने के लिये एक नीति सम्बन्धी निर्णय लिया वह इस प्रकार है कि:—

"At the outset S. S. (S & PHED) enquired why the Chief Engineer has brought the case to Government when there is a set procedure to allot the work after calling tenders in the department. The Secretary (M & H) informed that the Chief Minister has desired to cover all the twenty thousand problemetic villages with drinking water supply arrangement within a period of five years. Out of these 20 thousand villages approx 9,700 villages are suitable for coverage through Handpump schemes. As the Handpump schemes are cheapest of any other type of schemes and it does not involve any maintenance expenditure, it was therefore proposed to cover all the villages suitable for Handpump within four years"

अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं, यह निर्णय लिया गया सेप्टेम्बर, 1980 में, 4 सितम्बर, 1980 में लेकिन किसी भी मुख्य मंत्री ने निर्णय में यह नहीं कहा है कि हैण्ड पम्प किसी को देने है और किसको नहीं देने हैं। उन्होंने केवल इतना कहा कि इस छठी पंचवर्षीय योजना के अन्दर 20 हजार प्रोब्लेमेटिक विलेजेज को कवर करना है और उसी सन्दर्भ में हमने हर साल में चार-चार हजार···

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर! पाइन्ट ऑफ ऑर्डर, मन्त्री महोदय!

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप विरोधी दल के सदस्यों को तो, जब वे इर्रेलेवेन्ट होते हैं तब रोकते हैं लेकिन माननीय मन्त्री महोदय इर्रेलेवेन्ट हो रहे है और दस मिनट से उन बातों का जिक्र करना चाहते हैं जिनकी तरफ महारामजी ने उनका ध्यान आकर्षित नहीं किया। उन्हें किस प्रकार की अनुमति दी जा रही है?

श्री अध्यक्ष : मैंने तो मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मन्त्री महोदय का आपने तो ध्यान आकर्षित कर दिया और कहना नहीं मानें तो?

श्री परसराम मदेरणा : क्या इर्रेलेवेन्ट है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिल्कुल इर्रेलेवेन्ट है।

श्री परसराम मदेरणा : क्या इर्रेलेवेन्ट बोल रहा हूं? हैण्ड पम्प की ही बात चल रही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हैण्ड पम्प का टैण्डर, टैण्डर इन्वाइट करने की····

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : टैण्डर इन्वाइट की नहीं है, हैण्ड पम्प का निर्णय लिया है। बीस हजार हैण्ड पम्प····

(व्यवधान)

हैण्ड पम्प की योजना को क्रियान्वित कर रहे हैं, यह इर्रेलेवेन्ट नहीं है।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी समझ में नहीं आता एप्रोप्रिएशन बिल के ऊपर सरकार को मौका मिला, उसके पहले बोलने का मौका मिला, कल स्टेटमेन्ट दिया, स्टेटमेन्ट देने का चान्स दे दिया, फिर भी अभी तक हैण्ड पम्प की बात चलती आ रही है। तो, अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा, हैण्ड पम्प के विषय में चार्जेज, जो इस सदन में लगाये गये हैं, के उत्तर रूप में अगर माननीय मंत्री महोदय अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो हमें भी बोलने का अधिकार दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, कृपया, ध्यानाकर्षण का विषय है उसी तक अपने आपको सीमित रखें।

श्री परसराम मदेरणा : मैं तो, अध्यक्ष महोदय, उसी तक अपने आपको सीमित रख रहा हूं। चीफ मिनिस्टर की डिजायर यह थी······

श्री अध्यक्ष : मैंने जो प्रस्ताव में व्यवस्था दी थी·····

श्री परसराम मदेरणा : पंचवर्षीय योजना में बीस हजार गांवों को कवर करना है। और उन बीस हजार को करने के लिए इस साल, अध्यक्ष महोदय, 3400 गांवों को इसमें लिया था। 3400 के अलावा तीन हजार और तीन हजार के आस पास जो गांव और हैं वे जानबूझ कर कवर किये गये हैं। कॉस्टली स्कीम है इसलिए सब गांवों को कवर नहीं कर सकते। हैण्ड पम्प की जो स्कीम बनाई गई है यह लो कास्ट स्कीम है जिसकी मेन्टीनेन्स और संधारण का कम से कम खर्चा है इसलिये यह निर्णय लिया गया था। राज्य सरकार ने निर्णय लेने के बाद 8-9-82 को सबसे पहले यह आदेश दिये कि इन्हें पंचायतों को हस्तान्तरित कर दिया जाय। कुल 89 हैण्ड पम्प हैं 16 गांवों के 89 में से 86 हैण्ड पम्प तो डिपार्टमेन्ट रिग्स ने खोदे हैं। और, जहां तक बाकी 3 हैण्ड पम्पों का सवाल है, माननीय सदस्य खुद भी जानते होंगे, खण्डाला के हैं शायद वे तीन हैण्ड पम्प और वे प्राइवेट पार्टी ने खोदे हैं। आज जो यह कह रहे हैं कि हैण्ड पम्प ठीक तरह से वर्क नहीं कर रहे हैं, जैसा कि मुझे आज बताया गया, यहां पर वहां के डिवीजनल आफिसर्स मौजूद हैं वे मुझे कह रहे हैं, 89 में से 95 पर्सेंट हैण्ड पम्प ठीक तौर से काम कर रहे हैं। तो भी आप यहां कह रहे हैं कि ये हैण्ड पम्प ठीक तौर से काम नहीं करते तो उन्हें दिखवा लेंगे।

दूसरी बात आपने यह कही है।

श्री अध्यक्ष: मन्त्री महोदय, संक्षेप में। समय जा रहा है।

(60)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिल्कुल इर्रेलेवेन्ट बात कह रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : मैं इर्रेलेवेन्ट नहीं बोल रहा हूँ, अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत रेलेवेन्ट बोल रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष : बीस-बीस मिनट का समय दिया है, प्रत्येक पर। उसमें सब ...

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, ज्यादा समय तो दूसरी बातों में चला गया। ज्यादा गांव कवर हुए हैं और वहां हैण्ड-पम्प खराब पड़े हैं ...

(व्यवधान)

कमेटी भेजकर जांच कराई ...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज। चर्चा समाप्त हुई।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, बार-बार हैण्ड पम्प का मामला चल रहा है, इसलिए सरकार ने हैण्ड पम्प कवर करने के लिए, चार साल के अन्दर जो नीति सम्बन्धी निर्णय लिया है वह मैं सदन की मेज पर रखता हूँ। और अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रोसीडिंग्ज हैं फाइनेन्स कमेटी की इसे भी सदन की मेज पर रखता हूँ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फाइनेन्स की नहीं, नागौर की जो जांच हुई उस कमेटी की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

श्री परसराम मदेरणा : वह सब रख दूंगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। ऑर्डर, ऑर्डर। सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित की गई।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्याह्न पश्चात् 1.46 बजे 15 मिनट के लिए स्थगित की गई)

विधान सभा की कार्यवाही मध्याह्न पश्चात् 2.01 बजे पुनः प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : अगला विषय ले लिया गया है।

श्री महाराम चौधरी : मेरा जो प्रस्ताव ...

श्री अध्यक्ष : काफी हो गया है। 20 मिनट का समय था।

श्री महाराम चौधरी : सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है। हैण्ड पम्पों के बारे में ....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। कृपया बैठ जाये।

श्री महाराम चौधरी : दो-चार चीजें बाकी रह गई हैं।

जैसलमेर व बीकानेर जिले की कोलायत तहसील को भूतपूर्व रियासत जैसलमेर के काश्तकारों को राजस्थान नहर के राजस्व एवं अन्य उपनिवेशन क्षेत्र में खातेदारी अधिकार

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य चर्चा समाप्त हुई।

(श्री अध्यक्ष)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, महत्वपूर्ण मुद्दों पर कई माननीय सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है जिसका राजस्व मन्त्री जी उत्तर देंगे। मैं समझता हूं जिस तरह से समय सीमा बांधी है 20 मिनट की, उसमें सब माननीय सदस्य नहीं बोल सकेंगे क्योंकि इसका भूतपूर्व जैसलमेर स्टेट से सम्बन्ध है। इसलिए मैं 5-5 मिनट का समय श्री देवीसिंह और श्री चन्द्रवीर सिंह को दूंगा। उनके बाद में मन्त्री महोदय का उत्तर होगा। 20 मिनट समाप्त होते ही वह प्रसंग स्वतः ही समाप्त समझा जावेगा।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, नियम 131 के अन्तर्गत मैं माननीय राजस्व मन्त्री का ध्यान टिनेंसी एक्ट की धारा 15 (ए) की तरफ आकर्षित करना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, भूमिहीन काश्तकारों को भूमि आवंटन की बात होती है, कई आँकड़े पेश किये जाते हैं, प्रसारित किये जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया समस्या पर सीधे आ जाय, समय की बचत होगी। मेरा यही आपसे निवेदन है, माननीय सदस्य।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, आपका अगर यही आदेश है तो मैं आपके आदेश की पूर्ण पालना करते हुए राजस्व मन्त्री जी से केवल एक चीज की जानकारी लेना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही के वृत्तान्त-षष्ठम् सत्र 1979 बुधवार, दिनांक 10 अक्टूबर, 1979 में 15 (एएए) की धारा में अमेण्डमेण्ट के सम्बन्ध में जो बहस हुई थी उसमें विपक्ष के तत्कालीन नेता और वर्तमान सिंचाई मन्त्री जी ने अपने जो विचार व्यक्त किये थे उनको पढ़कर सुनाने की अनुमति दी जाय।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, वह कार्यवाही जो है उसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। मूल रूप से जो समस्या है उस समस्या के बारे में उस वक्त के विपक्ष के नेता के विचार होंगे लेकिन कृपया आपकी समस्या आज क्या है, किस तरह से है, यह अपने शब्दों में बतायें।

श्री देवीसिंह भाटी : राजस्व मन्त्री जी से खातेदारी राइट देने की घोषणा करवा दें, हम यहीं समाप्त करते हैं।

श्री अध्यक्ष : एक कोमा का ही प्रश्न है।

श्री हीरालाल देवपुरा : स्पष्ट कर देता हूँ अभी। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य और कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया है उसका सीधा सम्बन्ध राजस्थान टिनेंसी एक्ट की धारा 15 एएए से है। और वे चाहते हैं कि दाय-योग्य तथा स्थानान्तरण, यह सब लिखा है उसमे, दाय-योग्य अथवा स्थानान्तरण कर दिया जाय। इस संबंध में मेरा निवेदन करना यह है, राज्य सरकार की ओर से मैं कह सकता हूँ कि सिद्धांततः हमने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि जो ट्रांसफरेबल है, और जो नॉन ट्रांसफरेबल है, विरासत से मिलने वाली है, इन दोनों को साथ

(श्री हीरालाल देवपुरा)
जोड़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि और दोनों तरह के किसान, चाहे वह विरासत से मिलने वाली हो, चाहे अदरवाइज ट्रांसफरेबल राइट उनको मिले हों, यह कुछ कारण थे पहले, इसलिए यह अलग-अलग माने जाने लगे थे लेकिन टिनेंसी एक्ट के एराइज होने के बाद हमने किसान को जो खातेदारी हक दिये उसमें, उस समय गंग कैनाल और कोलानाइजेशन का जो एरिया है, चम्बल आदि का जो एरिया है, इसके अन्दर प्रतिबन्ध लगाये थे, क्योंकि वहां जमीन की कीमतें ऊंची हो जाती थीं और यह ठीक नहीं होता। लेकिन बाद में उन पर भी खोल दिया कि उनको भी खातेदारी राइट मिल जायेंगे। यह एक एनोमोली ऐसी रह गई थी जिससे यह मानकर चले थे कि वहां पर शायद दोनों तरह के राइट साथ होंगे। लेकिन जब यह ज्ञात हुआ कि दोनों तरह के राइट साथ नहीं हैं तो इन दोनों तरह के किसानों को, चाहे वह राइट साथ हैं या नहीं, सिद्धांततः यह स्वीकार लिया कि इनको खातेदारी हक मिल जाने चाहिये। उसमें जो कानूनी तब्दीली करनी हैं, उसके लिए व्यवस्था चल रही है। केबिनेट में यह मामला आ चुका है और मैं समझता हूं बहुत जल्दी इस पर निर्णय ले लेंगे और आपकी समस्या का समाधान भी हो जायेगा।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : यह निर्णय कितनी अवधि में हो जायेगा ?

(व्यवधान)

श्री हीरालाल देवपुरा : मंत्रिमण्डल के विचाराधीन है, शीघ्र हो जायेगा।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, जहां तक शीघ्र का प्रश्न है यह संशोधन 1979 में आया आज 1983 चल रहा है।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न पूर्व में भी सदन के समक्ष आया था, सभी माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये थे, मैंने भी कुछ आब्जर्वेशन किया था। क्योंकि यह जन-हित का मसला है, इसलिए यदा-कदा मैं भी पता करता रहता हूं इस संबंध में और मैं समझता हूं कि स्पष्टीकरण के बारे में कुछ पूछना चाहें तो पूछें, वरना मुझे पूर्ण आशा है कि संतोषजनक हल निकलेगा। इतने बरस आप ठहर गये तो कुछ दिन, कुछ महीने ठहर सकते हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : ऐसा है, अध्यक्ष महोदय, जो राजस्व मंत्री जी ने फर्माया, मैं मानता हूं कि उनकी नीयत साफ है। परन्तु, अध्यक्ष महोदय, आपको पता है, पूर्व में भी 18.3.81 को इसी मामले पर बहस हुई थी। जो आज राजस्व मंत्री जी ने फरमाया है, तत्कालीन राजस्व मंत्री जी ने भी यही बात कही थी कि एक केबिनेट मीमो तैयार किया गया है जो कि केबिनेट के सामने प्रस्तुत होगा, उस पर भी निर्णय होगा। यह मार्च, 1981 की बात है। उसमें भी, अध्यक्ष महोदय, बाद में फिर जब बज्जू क्षेत्र में तत्कालीन राजस्व मंत्री जी पधारी तो उस वक्त भी उन्होंने किसानों को यह आश्वासन दिया था और उसमें यह खुली घोषणा की थी, हमें इस बात से कोई एतराज नहीं है, उसमें यह फर्माया कि

(श्री देवीसिंह भाटी)
भूतपूर्व जनता सरकार थी जिन्होंने किसानों को बढ़ाने के लिए काला कानून टिनेंसी धारा (एएए) लागू किया है। जब यह मानते हैं ऐसा और 81 में ऐसी बात कहते हैं तो आज सरकार को क्या हो गया है कि तुरन्त इसका निर्णय नहीं लेते? जैसा आपने फर्माया कि transferable and heritable की जगह transferable or heritable कर दिया जाए, तो. सबकी समस्या का समाधान हो जायेगा। इनके अधिकारी जो शंका इनके दिमाग में उत्पन्न करते हैं, वह क्या कहते हैं कि इनको खातेदारी राइट्स देते ही यह जमीन बेच देंगे और यह भूमिहीन हो जायेंगे।

(व्यवधान)

आपके दिमाग में जो भी मुद्दे हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

श्री हीरालाल देवपुरा : कोई भी मुद्दा नहीं है, बात साफ है।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : यह समय बता दें और कह दें कि हो जायेगा, जिस तरह से भी आप करना चाहते हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह तो बता दिया कि हो जायेगा।

श्री चन्द्रवीर सिंहभाटी: यह चौथा साल चल रहा है, इसलिए निश्चित समय का हम आपसे आग्रह कर रहे हैं और कोई बात नहीं है।

श्री देवीसिंह भाटी : इसमें दिक्कत यह आ रही है, अध्यक्ष महोदय, जो गैर खातेदार हैं, हमें यह माना जा रहा है कि आप तो सिर्फ राज की भूमि पर बैठे हुए हैं और उनकी जमीन पर काश्त कर रहे हैं। इसके कारण हमारी जमीन किसी भी कार्य के लिए, किसी भी परियोजना के लिए अवाप्त की जाती है उसका हमें न तो कोई मुआवजा मिलता है, न··

श्री अध्यक्ष : इन सब कठिनाइयों से मंत्री महोदय और सरकार परिचित है। एक अवसर इनको और दे देते है, माननीय सदस्य।

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। आप सन्तुष्ट हैं इनके जवाब से और आपका यह विचार है कि यह जल्दी ही कर देंगे तो हम आपको पूर्ण सहयोग देते हुए सन्तुष्ट होकर अपना स्थान ग्रहण करते हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अगला सत्र आने से पहले राज्य सरकार इस पर कार्यवाही कर लेगी, यह तो बता दें।

श्री हीरालाल देवपुरा : आप फिर एतराज मत करना आर्डिनेन्स निकल जाय तो।

शासकीय वक्तव्य

राज्य के विभिन्न भागों में कृषि भूमि का रूपान्तरण

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। चर्चा समाप्त हुई।

मंत्री द्वारा वक्तव्य। राजस्व मन्त्री जी कृषि भूमि रूपान्तरण के सम्बन्ध में वक्तव्य देंगे। इसमें समय 20 मिनट का निश्चित किया जाता है।,

एक माननीय सदस्य : It is very important.

श्री अध्यक्ष : इससे ज्यादा नहीं। माननीय सदस्य, मेरी मजबूरी है। माननीय सदस्य, पहले वक्तव्य सुन लें उसके बाद 2।। बजे इस पर चर्चा समाप्त हो जायेगी। तत्पश्चात् जो रेगुलर बिजनेस है वह लिया जायेगा। माननीय सदस्य, समय का अभाव है।

(व्यवधान)

आज आखिरी दिन है। आॅर्डर प्लीज।

इसमें स्थगन प्रस्ताव है माननीय सदस्य,

(व्यवधान)

श्री बन्शीलाल जी पटवा का और ध्यान-आकर्षण प्रस्ताव है श्री नाथूसिंह, श्री गुलाब चन्द कटारिया, श्री अनंग कुमार जैन और श्री रामधन चौधरी का।

श्री हीरालाल देवपुरा (राजस्व मन्त्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आसन के निर्देश के अनुसार स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में मैं स्थिति निम्न प्रकार स्पष्ट करता हूं:—

पिछले 25-30 वर्षों में राज्य के प्रायः सभी नगरीय क्षेत्रों में कई व्यक्तियों ने कृषि भूमि को आवासीय अथवा वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए बिना अनुमति के इस्तेमाल कर लिया है। इनमें से कई ऐसे व्यक्तियों अथवा गृह निर्माण सहकारी समितियों ने धारा 42, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के विरुद्ध या तो छोटे टुकड़ों में, या अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों से अवैधानिक रूप से कृषि भूमि का क्रय कर रूपान्तरण करा लिया है। क्योंकि इस प्रकार के अवैधानिक हस्तान्तरणों के बेचाननामें नियमानुसार पंजीकृत नहीं किये जा सकते थे और क्योंकि 1973 से गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा भूमि रूपान्तरण पर रोक लगी हुई थी, कई व्यक्तियों, विशेषकर गृह निर्माण सहकारी समितियों ने विक्रय करार पत्र निष्पादित कर भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया तथा विभिन्न कृषि कार्यों हेतु भूमि का इस्तेमाल कर लिया। कुछ ऐसे भी मामले हैं जिनमें कानूनी बन्दिशों के विरुद्ध भूमि का क्रय कर अथवा विक्रय करार-पत्र लिख कर भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया, जैसे कि भूमि की अवाप्ति की अधिघोषणा हो जाने के पश्चात् नगर विकास अधिनियम के अन्तर्गत घोषित मास्टर प्लान के प्रावधानों के विरुद्ध अथवा अरबन (लैंड सीलिंग एण्ड रेगूलेशन) एक्ट, 1976 के प्रवधानों के विरुद्ध, इत्यादि, इन सब कार्यवाहियों से समस्या ने जटिल रूप धारण कर लिया।

वर्षों से चली आ रही इस समस्या पर गम्भीरतापूर्वक तथा सर्वांगीण रूप से राज्य सरकार ने विचार किया। तत्पश्चात् विभिन्न न्यायिक तथा प्रशासनिक निर्णय लिये ताकि इस समस्या का यथा सम्भव व्यावहारिक, मानवीय तथा न्यायिक समस्त पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए उचित निराकरण हो सके। पहले तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में उपयुक्त संशोधन आपके सम्मुख रखे गये। आप से मेरा मतलब सदन से है। उन्हें पारित किया गया। तत्पश्चात् राजस्थान भू-राजस्व (नगरीय क्षेत्रों में आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए कृषि भूमि का आवंटन) (सम्परिवर्तन एवं नियमितीकरण) नियम, 1981 घोषित किये गये। इन नियमों

(श्री हीरालाल देवपुरा)

में यह तो प्रावधान रखे ही गये थे कि भविष्य के लिए उपरोक्त प्रयोजनों हेतु उपयुक्त व्यवस्था हो, परन्तु इसके अतिरिक्त ये भी प्रावधान रखे गये थे कि विगत वर्षों में जो इस प्रकार की कार्यवाही कर ली गई है और वे न्यायिक व सैद्धान्तिक रूप से बहुत ही आपत्तिजनक नहीं हैं, उन्हें उपयुक्त शर्तों के साथ नियमित कर दिया जावे। इस प्रयोजन हेतु सम्बन्धित व्यक्तियों को एक अवसर दिया गया था कि वे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर नियमन की कार्यवाही करवा लें। इस प्रकार राज्य में 1,02,106 प्रार्थना-पत्र सक्षम अधिकारीगण को निर्धारित तिथि यानि 31 मई, 1982 तक प्राप्त हुए।

प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की वैधानिक रूप से जांच की जानी थी जो कि प्रायः सक्षम अधिकारीगण द्वारा अब तक पूर्ण कर ली गई है। काफी बड़ी संख्या में प्रार्थना-पत्र अपूर्ण थे, जिन्हें प्रार्थीगण को बुलवाकर पूर्ण करवाया गया। इसके पश्चात् विचाराधीन भूमि के सम्बन्ध में जितने न्यायिक प्रावधान लागू होते थे, उनके परिप्रेक्ष्य में भी प्रार्थना-पत्रों का अध्ययन किया गया तथा उपयुक्त निष्कर्ष निकाले गये। साथ ही सुनियोजित रूप से क्षेत्रवार इन प्रार्थना-पत्रों को व्यवस्थित करके अभिलेखित किया गया तथा सूचियां बनाई गई। एक ओर तो सक्षम अधिकारीगण द्वारा यह समस्त न्यायिक कार्यवाही की गई साथ ही, दूसरी ओर इन प्रार्थना-पत्रों की एक एक प्रतिलिपि सम्बन्धित नगरपालिका, नगर विकास न्यास तथा नगर आयोजना विभाग को भी उनकी सम्मति हेतु भेजी गई। उनकी सम्मति प्राप्त हो जाने पर तथा समस्त न्यायिक पहलुओं का अध्ययन करके अब तक उपलब्ध सूचना अनुसार 5,867 प्रार्थना-पत्रों पर निर्णय लिया जा चुका है। शेष प्रार्थना-पत्रों के बाबत उपर्युक्त निर्णय लेने में जो कठिनाइयां उपस्थित हो रही हैं वे संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :-

(1) कुछ प्रार्थीगण द्वारा अभी तक अपूर्ण प्रार्थना-पत्रों की कमियों का निराकरण नहीं किया गया है।

(2) कई प्रार्थीगणों ने प्रस्तावित भूमि के बाबत अपने न्यायिक अधिकार सम्बंधी दस्तावेज अभी तक प्रस्तुत नहीं किये हैं। क्योंकि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-ए के अन्तर्गत केवल एक टिनेन्ट ही कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों हेतु रूपान्तरण करवाने का अधिकारी है, अतः रूपान्तरण के मामलों में तभी कार्यवाही सम्भव हो सकती है जब कि प्रार्थीगण प्रस्तावित भूमि का टिनेन्ट होने का प्रमाण प्रस्तुत करें।

(3) इस सन्दर्भ में यह भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि जिन प्रार्थीगण ने विक्रय करार पत्रों द्वारा कृषि-भूमि प्राप्त की है, उनके लिए एक अवसर दिया गया है कि वे उपरोक्त नियम के लागू होने की तिथि से 40 दिवस के अन्दर या तो पंजीकृत विक्रय पत्र प्रस्तुत कर दें, अथवा विक्रय करार पत्र के आधार पर दीवानी अदालत में दावा प्रस्तुत करके उसकी प्लेन्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत कर दें। यह इसलिए आवश्यक था कि विक्रय करार पत्र के आधार पर कानूनी रूप से आधिपत्य के अधिकार प्राप्त नहीं हों तो प्रायः यह

(श्री हीरालाल देवपुरा)
देखा गया है कि इस प्रकार के अधिकतर प्रार्थीगण ने निर्धारित समय के अन्तर्गत न तो पंजीकृत विक्रय पत्र और न ही प्लेन्ट प्रस्तुत किये हैं, ऐसी परिस्थिति में ऐसे प्रार्थीगण को एक अन्तिम अवसर और दिया गया है कि वे 31 मई, 1983 तक उपरोक्त कार्यवाही कर लें, नहीं तो उनके प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत करते हुए आगामी न्यायिक कार्यवाही करने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं रहेगा। अधिकतर गृह निर्माण सहकारी समितियों के प्रार्थना-पत्रों पर इसी कारण से आगामी कार्यवाही सम्भव नहीं हो सकी है।

(4) ऐसे कई दृष्टान्त हैं कि नगरीय क्षेत्रों में इस प्रकार से कृषि भूमि पर आवासीय तथा वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु इस प्रकार के भू-खण्ड बनाये गये हैं तथा आंशिक अथवा पूर्ण रूप से निर्माण भी कर लिये गये हैं। अनिवार्य आम सुविधायें जैसे सड़क, ड्रेनेज, बिजली, पानी, स्कूल, औषधालय, पार्क आदि का भी कोई प्रावधान नहीं रखा है। जनसाधारण की सुविधाओं तथा नगर आयोजना के मूल सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुए ऐसी कालोनियों की रूपरेखा में कुछ अनिवार्य परिवर्तन करने अत्यन्त आवश्यक थे। अतः ऐसे मामलों में यह प्रक्रिया अपनाई गई कि विशेष रूप से बड़े शहरों को क्षेत्रवार विभाजित किया जाय। तत्पश्चात् समस्त सम्बन्धित अधिकारीगण द्वारा प्रत्येक क्षेत्र का निरीक्षण कर, उपस्थित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कम से कम परिवर्तन करके, क्षेत्रीय नक्शे तैयार किये जाय और तदनुसार प्रत्येक क्षेत्र के लिए जो प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं उन पर रूपान्तरण सम्बन्धी निर्णय लिये जायें। इस प्रक्रिया से प्रार्थना-पत्रों के निष्पादन में कुछ विलम्ब होना तो आवश्यक था, परन्तु दूरगामी दृष्टि से सर्व-साधारण को वांछित सुविधायें उपलब्ध कराना तथा अपने नगरों की शोभा कायम रखना व अनियोजित विकास को रोकना भी अनिवार्य था। अब इस कार्य में बहुत काफी प्रगति हो चुकी है और आशा की जाती है कि आगामी कुछ महीनों में काफी बड़ी संख्या में प्राप्त प्रार्थना-पत्रों पर निर्णय लिया जा सकेगा।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होगा कि इस गम्भीर तथा पेचीदा मामले का सुनियोजित रूप से निराकरण करने का हर सम्भव प्रयत्न किया गया है। क्योंकि प्रारम्भिक कठिनाइयां तथा औपचारिकतायें प्रायः सम्पूर्ण हो चुकी हैं अतः हर सम्भव चेष्टा की जायेगी कि शेष रहे प्रार्थना-पत्रों पर शीघ्रातिशीघ्र उचित निर्णय ले लिये जायं। इस कार्य की प्रगति का हर पहलू से सिंहावलोकन लगातार राज्य स्तर पर किया जा रहा है। शेष मामलों को शीघ्रातिशीघ्र निपटाने हेतु आगामी तीन माह में एक विशेष अभियान भी आयोजित किया जा रहा है।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई): अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कोई स्पष्टीकरण चाहें तो....

श्री नाथूसिंह: हां स्पष्टीकरण ही...

श्री अध्यक्ष: एक एक माननीय सदस्य को अवसर दे दूंगा जिनके प्रस्ताव आये हुए हैं।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननिय मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में बताया कि कई प्रार्थना-पत्र अपूर्ण हैं....

श्री अध्यक्ष : एक बार ही अवसर मिलेगा इसलिए जो भी आप पूछना चाहें थोडे समय में पूछ लें।

श्री नाथूसिंह : फार्म्स कई हैं जो अपूर्ण हैं पूरे नहीं हुए हैं उनकी कार्यवाही हम पूरी कर रहे हैं तो जो फार्म्स अपूर्ण नहीं हैं, जो हर दृष्टि से पूरे हैं जिनकी सारी औपचारिकतायें पूर्ण हो चुकी हैं, जो अधिकतर इस तरह के फार्म हैं उनके बारे में आज तक, अध्यक्ष महोदय, कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ? अध्यक्ष महोदय, करीब 30 करोड़रुपया जनता का इन्होंने इकट्ठा किया एक साल में, एक साल से लेकर अब तक उस पर ब्याज देय था वह एक भी पैसा नहीं दिया। क्या यह जनता के साथ खुली लूट नहीं है ? एक साल से 30 करोड़ रुपया जनता का लेकर आप बैठ जायं और आज तक....

श्री अध्यक्ष : लेकिन इसमें ऐसा है, जमीन उनके कब्जे में है जो उनकी होनी नहीं थी। अपनी व्यवस्था होती थी कि रकम पर ब्याज नहीं और जमीन का किराया नहीं।

श्री नाथूसिंह : लेकिन, अध्यक्ष महोदय, उन बेचारों को पता नहीं कि जमीन उनके पास रहेगी या नहीं रहेगी। अध्यक्ष महोदय; आज तक एक भी मकान को इन्होंने रेगुलेराइज नहीं किया, नियमन नहीं किया। इतना विलम्ब किया। दूसरा; अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही कि एक बार आप अवाप्ति का नोटिस देते हैं और फिर अवाप्ति का नोटिस विथड्रा कर लेते हैं....

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, इससे अवाप्ति का कहां संबन्ध है ?

श्री नाथूसिंह : आपके डिपार्टमेंट से नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : समय की बचत करें।

श्री हीरालाल देवपुरा ; जो स्टेटमेंट है उसमें अवाप्ति का सवाल कहां है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस पर चर्चा 2।। बजे समाप्त हो जायेगी।

श्री नाथूसिंह ; अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं, जो आप ने पैसा लिया है, अब कठिनाइयां आ रही हैं आपके सामने पैसा लेने के बाद। क्या आपको यह पहले पता नहीं था कि यह कठिनाइयां आयेंगी ?

श्री अध्यक्ष : पैसा लेने के बाद कठिनाई आती है। पहले पैसा दिया हुआ नहीं था तब कठिनाई नहीं थी।

श्री नाथूसिंह ; अध्यक्ष महोदय, पहले पैसा ले लिया....

श्री अध्यक्ष : पैसा जब ले लेते हैं तो अनुबन्धित हो जाते हैं, कर्त्तव्य बन जाता है तभी कठिनाई आती है। पैसा लिया नहीं, दिया नहीं, काहे की कठिनाई ?

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, इनको पहले रूल्स बनाने चाहिये थे....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। आप प्रश्न पूछ लीजिये। लेकिन चर्चा नहीं होगी, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय; क्या यह सही है कि रूपान्तरण के जो नियम बने हुए हैं उनके तहत जितनी एप्लीकेशन्स आपको मिली हैं मकानों की, उनमें से आधे मकानों का नियमन हो सकेगा ? नहीं हो सकेगा ? अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : आप ही उत्तर दे रहे हैं, आप ही प्रश्न पूछ रहे हैं; माननीय सदस्य ! ऑर्डर ऑर्डर । बैठ जायं । ऐसा है, नीति संबन्धी इसमें क्या होगा, क्या नहीं होगा, इस पर मन्त्री महोदय ने एक वक्तव्य दिया है । इस पर अब सम्पूर्ण रूप से चर्चा नहीं होगी । अगर कोई शंका माननीय सदस्य को रह गई हो इस विषय में····

श्री नाथूसिंह : वह पूछ रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : वही तो नहीं पूछ रहे हैं ।

श्री नाथूसिंह ; पाइंटेड प्रश्न पूछ रहा था । माननीय अध्यक्ष महोदय; क्या यह सही है कि आपने जो नियम बनाये हैं उनके तहत यह नियमन संभव हो सकेगा ? अगर नहीं, तो क्या इन नियमों में परिवर्तन करने का आप विचार कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष ; श्री गुलाब चन्द कटारिया !

श्री गुलाबचन्द कटारिया ; अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने स्वयं वक्तव्य में कहा है कि एक कारण और है कुछ लोगों ने पैसे जमा कराये । यह भी कहा कि उन फार्मों में कुछ कमियां थी । तो जिस समय आप फार्म ले रहे थे उस समय क्या यह व्यवस्था नहीं कर सकते थे कि फार्म कम से कम देख कर लेते ? लाखों लोगों का पैसा आपने लेकर अपने खजाने में जमा कर लिया, इसको आप उचित मानते हैं ? केवल 5,800 एप्लीकेशन्स को आपने डिस्पोज ऑफ किया है । एक लाख और कुछ फार्म भरकर लोगों ने पैसा जमा कराया और एक साल में आप 5,800 एप्लीकेशंस को ही डिस्पोज ऑफ कर पाये हैं । मंत्री महोदय, यह बतायें कि उदयपुर में फार्म जमा हुए····

श्री अध्यक्ष ; अलग प्रश्न ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया ; इसी से संबन्धित है । मैंने तो····

श्री अध्यक्ष ; ऑर्डर प्लीज । **अलग** प्रश्न ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : भूमि रूपान्तरण का जो पैसा हमारे यहां जमा हुआ; एक भी फाइल नहीं निकली ! उदयपुर के आपने कितने मामले निपटाये; यह बतायें ? दूसरा, कृषि भूमि पर जिन्होंने मकान बना लिये; जो 10-10; 20-20 साल से रह रहे हैं; जिन्होंने आपको पैसे भी जमा नहीं कराये, क्या उनको आप गिराने जा रहे हैं, या और कोई कार्यवाही करने जा रहे हैं ? यह बतायें ।

श्री अध्यक्ष ; श्री अनंग कुमार !

(अनुपस्थित)

श्री रामधन चौधरी ।

(अनुपस्थित)

श्री बंशीलाल पटवा !

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो पाइंटेड स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद।

श्री बंशीलाल पटवा ; भीलवाड़ा नगर में लगभग 3100 फाइलें भूमि रूपान्तरण के लिये विभाग में आई। उनमें से 500 फाइलों के चालान बन कर रकम भी जमा हो गई। 700 केस ऐसे हैं जिनका पैसा भी जमा हो गया लेकिन उनकी फाइलें नहीं ली जा रही हैं। जो 500 फाइलें ले ली गई हैं उन पर कोई विचार नहीं हो रहा है। 31-5-82 को उन्होंने चालान के द्वारा पैसा जमा करा दिया। पैसा जमा कराया, किसी अधिकारी ने चालान पर दस्तखत किये होंगे तभी पैसा जमा हुआ होगा। इन 1,200 फाइलों को छोड़कर बाकी जितनी फाइलें हैं वे भी समय पर दाखिल हो गई थीं, किन्तु पैसा जमा होने के बावजूद उन फाइलों को नहीं किया जा रहा है। इस दृष्टि से उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, कार्यवाही नही हो रही है।

दूसरा मेरा एक और निवेदन है···

श्री अध्यक्ष : मैंने आपसे निवेदन कर दिया, भाषण नहीं होगा। आप समस्या एक मिनट में बता दें।

श्री बंशीलाल पटवा : एक मिनट।

यह सारी फाइलें पेंडिंग हैं। इसके अतिरिक्त मेरा एक और निवेदन यह है, वहां पर जो सर्वे किया गया जोन बनाये गये, जयपुर में जो जोन हैं मुख्य मन्त्री का जहां पर निवास है, मकान बना हुआ है वहां तो आप 6 रुपये ले रहे हैं लेकिन भीलवाड़ा में 11 रुपये कुछ पैसे ले रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जोन के बारे में सर्वे करने के लिये आपसे पूर्व जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे उन्होंने री-सर्वे के आर्डर्स दिये थे, उस पर कलेक्टर ने रिपोर्ट भी दे दी लेकिन री-सर्वे की दृष्टि से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। हार्ट ऑफ दी सिटी, इन्दिरा मार्केट में भी वही रेट····

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर आर्डर, बैठ जायं, माननीय सदस्य।

श्री रामकंवार।

(व्यवधान)

श्री बंशीलाल पटवा ; आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं, जो फाइलें पेंडिंग हैं उन पर ? कितने मामले निपटाये हैं····

श्री अध्यक्ष : श्री रामकंवार का नाम लिया है।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी); अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, इन्होंने अवाप्ति की तो रकम जमा कर लो, वह दूसरी बात है। 5-6 रोज पहले एक विज्ञप्ति निकाली है। रेवेन्यू रिकार्ड के गांव चैनपुरा, खोखावास में विकास प्राधिकरण ने सर्वे किया है कि कौन-कौन सी जगह मकान बने हैं। गवर्नमेंट के मास्टर प्लान के अनुरूप वहां प्लान नहीं चल सकता है क्योंकि वहां मकान काफी तादाद में बनालिये गये हैं इन्होंने हाउसिंग सोसाइटीज से प्रतिलिपियां मांगी हैं वह रेवेन्यू रिकार्ड के हिसाब से मांगी हैं। तो मेरा निवेदन यह है मंत्री महोदय से, क्या

(श्री रामकंवार बैरवा)
जहां कहीं भी मकान बने हुए हैं उनको अगर मास्टर प्लान····

श्री अध्यक्ष : आपकी बात समझ में आ गई। कृपया स्थान ग्रहण करें। समय हो रहा है।

श्री रामकंवार बैरवा ; समाप्त कर रहा हूं।

मास्टर प्लान में जो मकान बन गये, गवर्नमेंट की असावधानी के कारण ऐसा हुआ है। तो अब उनका आप जल्दी से जल्दी नियमन करें, जो प्रतिलिपियां मांगी हैं। दूसरा, जो आपने कन्वर्शन चार्जेज खोले है····

श्री अध्यक्ष : समय हो रहा है फिर उत्तर नहीं देंगे।

श्री रामकंवार बैरवा : क्या अब कन्वर्शन चार्जेज खोल रहे हैं या नहीं खोल रहे हैं ? क्या कर रहे हैं, यह आप बतायें।

श्रीमती उजला अरोड़ा (उदयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय, यह बताने की कृपा करें, आपने अखबारों में विज्ञप्ति निकाल कर लोगों को आकर्षित किया था कि बड़ा सुनहरा अवसर है, हम नियमों में ढील देंगे, जमीन सीलिंग में आ गई है तो भी और बाई लॉज के खिलाफ है तो भी···

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होगा, माननीय सदस्य।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अन्य नियमों के खिलाफ है तो भी···

(व्यवधान)

नियमन करेंगे।

श्री अध्यक्ष : ऐसी कोई भी योजना हो····

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने वह विज्ञप्ति प्रकाशित की थी जिससे आकर्षित

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, आर्डर। बैठ जायं, कृपया। मन्त्री महोदय अगर उत्तर देना चाहें···

(व्यवधान)

ऑर्डर, ऑर्डर। विषयान्तर हो रही हैं। ऑर्डर, ऑर्डर। अंकित न हो।

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायं! मन्त्री महोदय।

(व्यवधान)

आपसे सम्बन्धित नहीं है। आपका कोई प्रस्ताव नहीं है। माननीय सदस्य, क्षमा करें। समय का अभाव है।

श्री हीरालाल देवपुरा : मूल में यह क्वेश्चन उठाया गया था कि आपने पैसा ले लिया और अब तक दरख्वास्तों का नियमन नहीं किया तो क्या यह जनता के प्रति लूट की संज्ञा में नहीं आता ? मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय सदस्यों को

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री हीरालाल देवपुरा)
मालूम है कि फार्म पेश करते हैं उनके साथ ही पैसा जमा कराया जाता है। किस जोन के हिसाब से कितना पैसा बनता है वह पैसा जमा कराते हैं। पैसा तो लेना ही है इसलिए लूट का सवाल नहीं है। नियमन करना है इसी मंशा से यह कानून बनाया है। उसमें लूट की कोई बात नहीं है। अब यह हो सकता है कि नियमन में देरी हो रही हो। नियमन में देर होने पर भी जिनकी दरख्वास्तें आ गई हैं उनको किसी तरह के बेदखल करने या हटाने का नोटिस नहीं दिया जा रहा है....

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपकी देरी से मकान टूट रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, ऑर्डर, प्लीज।

श्री हीरालाल देवपुरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे डिस्टर्ब करेंगे तो कैसे चलेगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा था....

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : ... अगर आप थोड़ी बहुत भी बुद्धि रखते हैं तो...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, ऑर्डर प्लीज।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं निवेदन कर रहा था कि जिन लोगों ने अपने नियमन कराने के लिये, भूमि रूपान्तरण कराने के लिये कन्वर्शन चार्जेज जमा कराये हैं उनको किसी तरह की कोई परेशानी इसलिये नहीं है कि उन्हें कोई बेदखल करने के नोटिस जा रहे हों जिससे रोजमर्रा परेशानी हो ऐसी कोई स्थिति नहीं है। नियमन होगा तो पैसे जमा कराने होंगे। नियमन किया भी है। अब कुछ इरेंगुलरिटीज हैं, फार्मों में कमियां हैं उनकी जांच हो रही है। नियमों के अनुसार कुछ कार्यवाही करनी है इसलिये उसकी जांच हो रही है। मैंने यहां तक कह दिया कि मैं खुद महसूस करता हूं देरी हो गई है। एक अभियान चलाकर तीन महीने के अन्दर इस प्रक्रिया को पूरा करने का हम फैसला कर रहे हैं। फिर कोई सवाल पैदा नहीं होता कि इसमें कोई देरी होगी। दूसरी बात..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऑर्डर प्लीज।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, ये इस तरह से डिस्टर्ब करती हैं। अफसोस है।

श्री अध्यक्ष : मुझे भी बहुत अफसोस है।

श्री हीरालाल देवपुरा : दूसरा सवाल उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया कि हर डिस्ट्रिक्ट का लेखा-जोखा नहीं बताया। कमियां तो सब जगह हैं। कुल एक लाख फार्म मैंने बताये हैं। उनमें पांच हजार आठ सौ डिस्पोज ऑफ हुए हैं, यह मैंने स्वयं कहा है। मैंने यह तो नहींकहा तो है कि बहुत कुछ हो गया। यह बात मैंने स्वयं कह दी। जोन के बारे में कहा गया कि जोन ठीक नहीं बनाये गये। जोन जब बनाये गये थे तब साया कर दिये गये थे। नियमानुसार इस पर कोई आपत्ति आई

(श्री हीरालाल देवपुरा)
या नहीं आई, मैं नहीं कह सकता। अगर कोई ऐसी बात लगती है कि जोन के बारे में है तो यह तो प्रोसीजरल बात है। उसके बारे में कोई बात आयेगी तो उस पर विचार किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : उत्तर आ गया, पर्याप्त है। ऑर्डर प्लीज। चर्चा समाप्त हुई। कृपया स्थान ग्रहण करें। चर्चा समाप्त हो गई।

श्री हीरालाल देवपुरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट...

(व्यवधान)

बान्दीकुई से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे...

(व्यवधान)

आप गुस्सा मत होइये। मैं यह कह रहा हूं...

श्री अध्यक्ष : समय हो गया है, दो मिनट का समय और दिया जाता है।

श्री हीरालाल देवपुरा : भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि कुछ लोगों के पैसे ले लिये लेकिन उनके फार्म नहीं लिये जा रहे हैं, डेट के अन्दर, यही आपकी आपत्ति थी, 31 मई, 82 तक आने चाहिये थे। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, ऐसी बात नहीं होनी चाहिये। अगर पैसे ले लिये हैं, 31 मई के पहले फार्म दें। फार्म नहीं आये तो क्यों नहीं आ पाये, मैं इसकी जांच कर लूंगा। उसमें कोई कमी होगी, गलती होगी तो वह निकालकर उन फार्मों के बारे में बात कर लेंगे।

ये कुछ मोटी बातें थी।

एक बात नियमों में संशोधन की कही गई। जो नियम बने हैं, पूरे ठीक तरह के बने हैं। मैंने और स्वयं माननीय सदस्य ने इन नियमों को एक्जामिन किया है, यह भी आपके ध्यान में है। कहीं कमी नहीं है। उनकी पालना में कहीं कमी रह गई है तो उसको हम देखने की बात करते हैं, उसको देखेंगे।

(व्यवधान)

याचिका का उपस्थापन
बारी से कुंजेड़ सड़क का निर्माण

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। कृपया बैठ जायं। माननीय सदस्य, श्री छीतरलाल आर्य याचिका का उपस्थापन करेंगे।

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू) : अध्यक्ष महोदय, मैं बारी से कुंजेड़ सड़क का निर्माण कार्य करवाये जाने सम्बन्धी पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

शासकीय संकल्प
संसद द्वारा राजस्थान राज्य में पशु चिकित्सा संबंधी प्रशिक्षण और व्यवसाय तथा उससे सम्बद्ध या सहायक और आनुषंगिक सभी का कानून द्वारा विनियमन

श्री अध्यक्ष : शासकीय संकल्प। इस पर कल आसन की तरफ से भी कुछ एतराज किया गया था उसके पश्चात् देखा

(श्री अध्यक्ष)

गया कि यह बिल्कुल सीधी-सादी सी बात है। जो पशु चिकित्सा सेवायें हैं, उसमें कार्यरत व्यक्तियों को भी जैसा आल इण्डिया मेडिकल कौन्सिल द्वारा चिकित्सकों को संगठित किया जाता है उस प्रणाली से संगठित करने की बात है। इसमें कोई बात है नहीं। विपक्ष के बहुत से माननीय सदस्य-गण, विपक्ष के नेता महोदय सबसे बात हुई थी इसलिये मैं समझता हूं इस संकल्प में समय न लगाकर मुख्य विषय पर आ जायेंगे। संकल्प प्रस्तुत करेंगे, पशुपालन मंत्री।

श्री श्रीराम गोटेवाला (राज्य मंत्री, पशुपालन) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत करता हूं :—

यतः विधान सभा का विचार है कि पशु चिकित्सा सम्बधी प्रशिक्षण और व्यवसाय के विनियमन और उससे सम्बद्ध या सहायक और आनुषंगिक सभी विषयों के लिये सम्पूर्ण भारत में एक समान कानून होना चाहिये,

और यतः ऐसे कानून की विषय वस्तु मुख्य रूप से भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची–2 की प्रविष्टि 15 और 32 तथा सूची 3 की प्रविष्टि 26 में उल्लिखित विषयों से सम्बन्धित है;

और यतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 249 तथा 250 में किये गये प्रावधान को छोड़कर संसद को पूर्वोक्त सूची 2 में उल्लिखित प्रविष्टि 15 तथा 32 से सम्बन्धित विषय पर राज्यों के लिये कानून बनाने की शक्ति नहीं है,

और यतः इस विधान सभा को यह वांछनीय प्रतीत होता है कि संसद राजस्थान राज्य में पशु चिकित्सा सम्बन्धी प्रशिक्षण और व्यवसाय तथा उससे सम्बद्ध या सहायक और आनुषंगिक सभी विषयों को कानून द्वारा विनियमित करे,

अतः अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह विधान सभा एतद्द्वारा प्रस्ताव पारित करती है कि संसद राजस्थान राज्य में पशु चिकित्सा सम्बन्धी प्रशिक्षण और व्यवसाय तथा उससे सम्बद्ध या सहायक और आनुषंगिक सभी विषयों को, जिसमें पूर्वोक्त सूची 2 की प्रविष्टि 32 में उल्लिखित विषय भी शामिल है, कानून द्वारा विनियमित करे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है, उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संकल्प स्वीकार किया गया।

व्यवस्था का प्रश्न

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के आयुक्त के 26वें प्रतिवेदन पर विचार के लिये पर्याप्त समय

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के आयुक्त के प्रतिवेदन पर विचार।

(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र कुमार !

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (सराड़ा) : अध्यक्ष महोदय, आपको मेरा निवेदन यह है, गत सत्र में मांग की गई थी कि अनुसूचित

(श्री देवेन्द्र कुमार मीणा)
जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त की रिपोर्ट को पहले लिया जाय। हर वक्त इस रिपोर्ट को बाद में लिया जाता है। अब हमको एक दो घंटे मिलेंगे जिनमें सारी बात कह नहीं सकते हैं। आपसे यही निवेदन करता हूं कि इसके लिये टाइम दिया जाय या इसको बाद में रखा जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरूलाल।

श्री भैरूलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आज हमें ये दो पोथे मिले, विषय है कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के आयुक्त की रिपोर्ट पर चर्चा की जाय। हम इनको किस वक्त पढ़ें कि इनमें क्या क्या लिखा है? क्या समझेंगे और क्या समय मिलेगा जिसमें हम बोल सकेंगे या हमारे विचार रख सकेंगे? क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, हमें पता ही नहीं है। कम से कम इसे बीच में कहीं रखते या किताबें पहले मिलती तो कुछ जानकारी होने से हम चर्चा कर सकते थे। हमने विधान सभा में कई दफा कहा कि जनजाति विकास विभाग द्वारा··

श्री अध्यक्ष : आपका विचार यह है कि इस पर आज विचार नहीं किया जाय। यह है न?

(व्यवधान)

बाद में लें?

श्री नानालाल।

श्री नानालाल (राजसमन्द) : मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के आयुक्त की रिपोर्ट्स जो 276 और दूसरी 274 पेज के करीब हैं, के लिये आपने सिर्फ ढाई घंटे का समय दिया है···

श्री अध्यक्ष : ढाई घंटे में पूरा नहीं होगा तो कुछ टाइम बढ़ा देंगे।

श्री नानालाल : उसमें भी पूरी नहीं होगी। मेरा निवेदन सुन लीजिये। यदि सभी की इच्छा देखें कि इसको अभी ले लिया जाय या नहीं तो मैं निवेदन करना चाहता हूं हम सभी लोग, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, अपने विचार रखना नहीं चाहते हैं। मेरा इसमें निवेदन यह है कि इस पूरे देश में जो सरकार चला रहे हैं, जो पार्टी सत्ता में है उसका फाउन्डेशन स्टोन जो है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बताया गया है। आज जो उनकी उपेक्षा की जा रही है और जिस प्रकार उनके साथ जो अन्याय किया जा रहा है, जो इतनी बड़ी रिपोर्ट प्रकाशित की है उसकी भी उपेक्षा की जा रही है, यह किसी भी प्रकार उचित नहीं है। सदन का सारा डेढ़ महीने का समय निकल गया है उसके बाद में रिपोर्ट ली जा रही है, अन्त में ली जा रही है, इसलिए हम लोगों की यह भावना है कि इसको आज की कार्य सूची से हटा दिया जाय।

श्री अमरचन्द (गंगरार) : मेरा निवेदन है कि वास्तव में जो नीति निर्धारित की गई है राज्य सरकार द्वारा पिछड़े को पहले की, यहां मैं यह मानता हूं कि हमारा नम्बर पहला नहीं है, सबके बाद में है। अगर ऐसी उपेक्षा राज्य सरकार की ओर से की जा रही है तो मैं समझता हूं यह हमारे साथ न्याय नहीं है।

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) : मेरी भावना तो वैसी है जैसी माननीय सदस्य ने अपनी भावना प्रकट की है। मैं भी निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिये कम से कम दो दिन दिये जायं ताकि अपने विचार तो कह सकें राज्य सरकार कुछ भी करे लेकिन चर्चा ठीक प्रकार से हो इसके लिये दो दिन का समय दिया जाय। यह मेरा सुझाव है।

श्री पीरूराम (टीबी): अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में कम से कम दो दिन की चर्चा होना अत्यन्त जरूरी है। इस रिपोर्ट के अन्दर काफी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और उन लोगों को जो काफी कठिनाई है उसके बारे में हम लोग यहां बताना चाहते हैं। मेरा तो इतना ही कहना है कि इस पर कम से कम दो दिन की चर्चा होना अत्यन्त जरुरी है।

श्री अध्यक्ष : श्री तुलसीराम।

श्री तुलसीराम (केकड़ी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति के साथ ऐसा वर्ताव किया जा रहा है, सदन में लास्ट टाइम में इस रिपोर्ट को रखा गया है। इस सदन के अन्दर मान-मर्यादा हमारी नहीं है, पहले विधायक की बात तो रिकार्ड पर आनी चाहिए। यही भेदभाव हो रहा है तो बाहर गांवों के अन्दर, देहात के अन्दर बहुत ज्यादा हो रहा होगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम दो रोज इस रिपोर्ट पर विचार के लिए रखें।

श्री अध्यक्ष : हम तीस तारीख को रखने का भी विचार करें।

(व्यवधान)

ऐसा है कि उसमें तो फिर कार्य सलाहकार समिति की बैठक बुलानी पड़ेगी। क्योंकि यह जो रखा गया, जिस दिन····

एक माननीय सदस्य : सारा हाउस कह रहा है।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : हाउस सहमत है, अध्यक्ष महोदय। कार्य सलाहकार समिति की बैठक बुलाने की कोई जरुरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, इस सदन की जो कार्य सूची है, विधान सभा की तरफ से जो कार्य सलाहकार समिति है वह निश्चित करती है। उसके बाद में वह सदन के समक्ष आती है कि कार्य सूची यह है। जब आप सब उस पर स्वीकृति फर्मा देते हैं तो उसके बाद में आसन का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि उस कार्य सूची में जिस दिन के लिए जो कार्य निश्चित किया गया है उसके अनुसार कार्यवाही करें। आज प्रातःकाल से ही आपने हमारी तो कम से कम तत्परता देखी होगी, कई माननीय सदस्यों की आखिर में जाकर नाराजगी भी ली····

एक माननीय सदस्य : बोलने नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : बोलने नहीं दिया, ऐसी तो बात नहीं है लेकिन मैंने समय सीमा निर्धारित की। कई माननीय सदस्यों को शायद याद नहीं होगा, यह रिपोर्ट विचाराधीन है, इस पर कोई नयी चर्चा नहीं हो रही है।

(श्री अध्यक्ष)
यह मालूम है या नहीं माननीय सदस्यों को ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा): यह मालूम है।

श्री अध्यक्ष : मालूम है। इस पर माननीय सदस्य पहले बोल चुके हैं।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : एक माननीय सदस्य बोले थे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य; मेरे पास तो सब रिकार्ड है। रामकंवार जी ने आज बोलने को कहा है। रामकंवारजी साहब, उस दिन मेरे खयाल से सबसे पहले इस पर चर्चा की शुरुआत आपने की थी। उनके बाद में नन्द लाल जी, भूतपूर्व मन्त्री बोले थे, वह काफी लम्बा भी बोलते हैं। उनके बाद में प्रोफेसर सी. पी. जोशी साहब बोले थे। गोपालजी पचेरवाल भी काफी लम्बा अध्ययन करके बोलते हैं। उस वक्त रिपोर्ट्स की हमारे पास इतनी कापीज नहीं थीं, शायद 25-30 या इतनी ही कुछ कापियां थीं इसलिए दलवार हमने बंटवारा भी किया था। माननीय सदस्य, जब अपन छोटे थे, कई दफा किताबें लेकर पढ़ते थे। किताबें सबके पास नहीं होती थीं तो फिर आज इसने पढ़ली, कल इसने पढ़ली, इस तरह की व्यवस्था भी की गयी थी। इस बार हमने शुरू से ही सरकार को इस बात के लिए बाध्य किया कि जितने माननीय सदस्य हैं, उतनी कापियां आनी चाहिए। 200 के लगभग आयी थीं लेकिन दो सौ से कार्य नहीं चलता है। हमारी विभिन्न शाखाओं के अन्दर भी रखी जाती हैं, सरकार के पास भी कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स रहती हैं, कई जगह भेजी भी जाती है। जैसे लड्डू बनते हैं तो कइयों को भेंट स्वरूप भेजते हैं न, उस तरह से भी भेजी जाती है। तो विचाराधीन जो विषय है, इसमें यह है नहीं कि आज आप कह देंगे तो यह विषय समाप्त हो जायेगा। यह विषय आगे भी लिया जा सकता है। अगर पर्याप्त चर्चा नहीं होती है तो मुझे अधिकार है मैं कह दूंगा पर्याप्त चर्चा नहीं हुई, डिबेट पकी नहीं। चाशनी पके नहीं तब तक उसमें जलेबी नहीं डालते। हम यह कह देंगे कि अभी डिबेट पकी नहीं है, इसमें कच्चापन रह गया है, बहुत से माननीय सदस्य बोलते हैं। यह तो शुरूआत हो गई, माननीय सदस्य बोल लिये, अभी ढाई घण्टे का समय है। मेरी तरफ से मैं कोशिश करूंगा, अन्तिम दिन है इसलिए माननीय सदस्य चाहेंगे तो 4-5 घण्टे और भी बैठ सकता हूं। मैं माननीय सदस्यगण, यह भी नहीं है कि इसको आगे कभी लिया नहीं जायेगा। खूब पढ़ लीजिये, लिख लीजिए, उसके बाद में फिर कभी अवसर आयेगा तब सबसे पहले इसे लेंगे। यह भी मैं निवेदन कर दूं कि मेरी तरफ से तो यह ताकीद की गई थी कि यह रिपोर्ट ली जायेगी। यह अब यहां खोलने की बात नहीं है। दो दफा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई, दोनों दफा ही मैंने इस बात के लिए बाध्य किया, पक्ष को, विपक्ष को सब सदस्यों को कि यह रिपोर्ट जरूर आनी चाहिए। अभी आपने कोई प्रश्न उठाया और तब से मेरी तत्परता बनी हो, ऐसी भी बात नहीं है। सुबह से ही मैंने काफी कठोरता बरती नियमों का अनुपालन कराने में, काफी माननीय सदस्यों की नाराजगी मैंने ली, मैं समझता हूं कि दो घण्टे और समय बढ़ा देंगे और फिर भी पर्याप्त नहीं समझेंगे

(श्री अध्यक्ष)
तो इसको आगे कभी ले लेंगे। मैं समझता हूं कि कम से कम 7-7, 8-8 कॉपी दलवार मिली थीं, किसी दल को दो कॉपी मिली थीं। मैं यह मानकर चलता हूं कि 22 कॉपी आयीं, 22 माननीय सदस्यों ने तो उसको अवश्य ही पढ़ा होगा. वह तो अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। जब यह हो जाय कि 22 ने बोल लिया आगे वालों को अध्ययन का मौका नहीं मिला है तो डिबेट को आगे और बढ़ा देंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : संशोधन दिया है।

श्री अध्यक्ष : श्री तावड़ कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तो यही निवेदन है कि····

श्री अध्यक्ष : आपकी तो तैयारी है न ? आपको तो कॉपी एक मिल ही गयी थी पहले।

श्री मेघराज तावड़ : नहीं, वह तो है, माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन माननीय सदस्य दूसरों को भी जो कठिनाई है, उनका कहना है कि हम लोग उपेक्षित तो हैं और शुरू से हैं, अब तक हैं। आपने तो कृपा करके इसको दिला दिया, मैं आपका तो आभारी हूं कि आपने रिपोर्ट बहस के लिए दी है।

श्री अध्यक्ष : आपको रिपोर्ट भी भिजवायी है पूर्व में।

श्री मेघराज तावड़ : जी हां। मिल गयी।

श्री अध्यक्ष : आप अपने····

श्री मेघराज तावड़ : यह समय काफी नहीं है। लास्ट में मैं तो यह कहना चाहता था, माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी डिपार्टमेन्ट के कैबिनेट स्तर के मन्त्री भी यहां होते तो उचित रहता। डिपार्टमेन्ट सम्बन्धी बात आती है तो हमारी बात कहां तक सुनी, यह सब के ध्यान में आती है। उनका डिपार्टमेन्ट···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जब विधान सभा का सत्र चले तो जिम्मेदार मन्त्रियों को सदन में उपस्थित रहना चाहिए, यह बार-बार कहा जा चुका है। मैं समझता हूं, विषय के महत्व को समझते हुए मन्त्रीगण ठीक हैं माननीय मन्त्री बाहर हो सकते हैं लेकिन जो होंगे वह उपस्थित रहेंगे, यह मैं मानकर चलता हूं।

श्री मेघराज तावड़ : आखिरी दिन होने की वजह से रिजर्वेशन करवाकर भागने की···

श्री अध्यक्ष : हां तो यह फरमायें कि हमने रिजर्वेशन करवा लिया है।

श्री मेघराज तावड़ : इसलिए सबके रिजर्वेशन हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री रामकंवारजी।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी) : अध्यक्ष महोदय, पिछले सैशन में इस पर चर्चा शुरू हुई थी· · ·

श्री हरसहाय मीणा (किशनगंज) : माननीय सदस्य, जरा मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इनको बोलने दीजिए, माननीय सदस्य को मैंने अवसर दिया है।

श्री रामकंवार बैरवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले सैशन में इस रिपोर्ट पर चर्चा शुरू हुई। हमें तो यह आशा थी कि इस सैशन में आते ही इसको पहले लेंगे या बीच में लेंगे। तो एक ओर तो सरकार कहती है कि पिछड़े को पहले और दूसरी ओर आपने आखिरी दिन इसको लिया और समय भी थोड़ा रखा। इसलिए मेरा यह निवेदन है, क्या आप हमें यह आश्वासन देंगे, जैसा आपने अभी यह आश्वासन दिया है कि आज चर्चा होने के बाद इस पर चर्चा होगी, अगले सैशन में पहली बार ही· · ·

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि जितना· · ·

ऑर्डर प्लीज। विराज जाएं। जितनी

(व्यवधान)

नाराजगी आपने व्यक्त कर दी, जितनी नाराजगी माननीय सदस्यों ने प्रकट कर दी कि इसको बाद में लिया गया, पहले लेना चाहिए था· · ·

श्री रामकंवार बैरवा : दूसरा मेरा निवेदन है· · ·

श्री अध्यक्ष : यह सत्र के प्रारम्भ में फरमा देते तो इसको पहले भी ले लेते। ऐसी कोई बात नहीं है। श्री हरसहाय मीणा !

श्री हरसहाय मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो मीटिंग होती है उसमें ट्रेजरी बैंचेज के माननीय सदस्य होते हैं और अपोजीशन के माननीय सदस्य भी होते हैं और आप भी विराजते हैं। वहां डिस्कस होकर मैटर हाउस में आता है। इस रिपोर्ट पर पिछली बार भी सबसे बाद में समय दिया था। हमने यह निवेदन पिछली बार भी किया था कि रिपोर्ट के बारे में जो चर्चा हाउस में की जाय वह एण्ड में न रखी जाय, सबसे पहले रखी जाय या बीच में रखी जाय· · ·

श्री अध्यक्ष : सबसे पहले तो पहले ही दिन गवर्नर साहब का अभिभाषण होता है।

श्री हरसहाय मीणा :· · · उस पर कोई गौर नहीं फरमाया और सबसे बाद में इसको रखा। तो मैं निवेदन करूंगा कि अगर हाउस को एक्सटेंड नहीं कर सकें तो हमारे हितों को प्राथमिकता देते हुए जैसा संसद में, इस पर दो दिन तक बहस होती है, उसी तरीके से यहां भी कम से कम दो दिन का समय मिलना चाहिए।

श्री दुलाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि यह बात सही है पूरी कॉपीज पिछले सत्र में न मिलने की वजह से इस सत्र में आई। यह तय करना आपका और उस कमेटी का अधिकार है, मेरा अधिकार नहीं है। मैं यह जरूर महसूस करता हूं कि समय कम है। आज जिस रिपोर्ट पर हम विचार कर रहे हैं वह राजस्थान की वन थर्ड पोपूलेशन से

(श्री दुलाराम)

सम्बन्धित है। उसके बारे में आज राजस्थान में चर्चा की जाय और उसको हम दो घण्टे या एक घण्टे दे करके फिर आगे ले जावें तो यह अच्छी परम्परा नहीं हो सकती। आप हाउस का टाइम बढ़ा दीजिए, मुझको इसमें कोई ऐतराज नहीं है। मैं तो तैयार हूं हर तरह से। इसके बाद 27वीं रिपोर्ट भी भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को भेज दी है। तो मेरा निवेदन है कि अगले सत्र में तीन दिन का समय दे करके सबसे प्रथम में इसको ले लें। यही मेरा आपसे निवेदन है।

(व्यवधान)

जनता पार्टी के माननीय सदस्य जो बड़ी चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं' सन् 77, सन् 78 और सन् 79 में तो रिपोर्ट ही पेश नहीं हुई। आपने तो रिपोर्ट ही पेश नहीं की। हम तो रिपोर्ट भी पेश कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय ! अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : मेरे खयाल से, ऐसा है, चार घण्टे यदि हम चर्चा कर लेते हैं···

(व्यवधान)

नहीं तो कई दफा कहते हैं कि अभी तो तुमको टिकट नहीं दे रहे हैं अगली दफा सबसे पहले टिकट देंगे, उससे क्या फायदा। इसलिए मेरे खयाल से चार घण्टे का जो समय है उसका उपयोग कर लिया जावे, उसके पश्चात् अगर डिबेट अपूर्ण रह जाती है तो इसको आगे ले लेंगे।

(व्यवधान)

श्री अमरचन्द : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी थोड़ी देर बाद में तो कौन बैठेगा। अभी जो यहां बैठे हुए हैं शरीर से बैठे हुए हैं, मन से यहां बैठे हुए कोई नहीं हैं। तीन बजने के बाद में सब अपने-अपने स्थानों पर पहुँच जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : मैं तो कम से कम मन से यहां हूं।

श्री अमरचन्द : इसलिए आने वाले टाइम में ही रखा जावे इसको।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मन्त्रीजी।

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने सदन को सूचित किया, इस पर डिस्कशन पूर्ण नहीं हुआ था। जब पिछले सत्र में इस पर चर्चा हुई थी, आज भी आप समय की कुछ अवधि बढ़ा सकते हैं। राज्य सरकार को आपके इस सजेशन, 31 तारीख को एक दिन और रखा जावे आज का समय बढ़ा कर, पर हमको कोई एतराज नहीं है, एक बात।

श्री अध्यक्ष : वह तो बात की बात कही थी मैंने।

श्री परसराम मदेरणा : एक बात और, आगे अगले सत्र में···

श्री अध्यक्ष: अगले सत्र में चूंकि होली आ जाएगी फिर पढ़ाई होगी नहीं।

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, दो दिन का टाइम बढ़ा दिया जावे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : फिर होली में पढ़ाई होगी नहीं, यह मैं और बता दूं।

(व्यवधान)

पढ़ाई होगी नहीं, आने जाने में ही समय लग जायगा। यहां से एक दिन जाने में लगेगा दूर दराज इलाकों में, एक दिन आने में लगेगा। आज चार घन्टे चर्चा कर लें उसके बाद में इस डिबेट को अपूर्ण मान लें और अगले सत्र के अन्दर इसको उच्च प्राथमिकता दे दें।

श्री भैरोंसिह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : यह बात नहीं है। हम होली में भी पढ़ेंगे। होली के मूड में तो कोई दिखता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : पहले यह बताओ कि आपके राज में यह प्रस्तुत हुई थी या नहीं ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी और उस पर विचार हुआ था।

श्री श्रीराम गोटेवाला (राज्य मन्त्री, पशु पालन) : साहब, ये तो यों ही फालतू बात करते हैं।

(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा : कोई भी बात होती है, हमारी बात में ये एक दूसरे को नहीं बोलने देते। शिड्यूल्ड ट्राइब्स और कास्ट्स वाले जो बातें कहते हैं तो ये लोग टाइम ज्यादा ले लेते हैं। हमको नहीं बोलने देने का कारण ये दूसरे लोग हैं।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन दिन का समय तो ज्यादा रहेगा, दो दिन अगले सत्र में इस पर चर्चा कर ली जाय।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको तो कोई आपत्ति नहीं है. सरकार कह रही है कि दो दिन के लिए समय बढ़ा दिया जावे, तो बढ़ा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : अगले सत्र में।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अगले सत्र में नही, इसी सत्र में।

श्री अध्यक्ष : अगले सत्र में ले जाने का कह रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : अगले सत्र में दो दिन के लिये...

श्री भैरोंसिह शेखावत : अगले सत्र का तो सवाल ही नहीं है। इसी सत्र में विचार होगा।

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स का मामला बहुत गम्भीर है...

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी सत्र में आज ही विचार हो तो सरकार को कोई एतराज नहीं है। लेकिन माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि होली के त्यौहार में जा कर के...

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ : दो दिन का समय और बढ़ा दिया जावे ।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : इस सत्र में चर्चा नहीं होती है तो फिर आने वाले छः महीने बाद में चर्चा होगी, यह बात न्याय संगत नहीं है । जो आरोप गवर्नमेंट पर लगे हैं, जो चार्जेज माननीय सदस्यों ने सदन में लगाये हैं उन पर सरकार साल भर बाद जवाब देगी । फिर साल भर में आदिवासियों की स्थिति क्या बन जाएगी, इसका स्वरूप क्या होगा; अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में आप फैसला कर लें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : तो फिर क्या सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जावे ?

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं साहब । अध्यक्ष महोदय, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि स्थगित का प्रश्न कहां से आ गया ?

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : आज पांच बजे तक विचार कर लें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : स्थगन की बात कहां से पैदा हो रही है ? माननीय सदस्य ज्यादा समय चाहते हैं । अगर सरकार ज्यादा समय नहीं देना चाहती है तो साफ कहे । लेकिन जो समय निर्धारित है उसमें तो चर्चा होगी । स्थगन का सवाल ही पैदा नहीं होता ।

श्री दुलाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के माननीय नेता का यह कहना बिल्कुल गलत है । माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए, उन्होंने जो दो दिन की इच्छा जाहिर की है उसके अनुसार ही हमने निवेदन किया है । हमने अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहा है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अपनी मर्जी से नहीं कहा है लेकिन···

श्री दुलाराम : अभी हाउस कहीं चला नहीं गया । पूछ लीजिये, उनकी इच्छानुसार ही हमने निवेदन किया है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उनकी इच्छा अगर यह है, आपके अनुसूचित जाति और जनजाति के माननीय सदस्यों की यही इच्छा है कि इस पर चर्चा नहीं की जाय तो यह मेरी समझ में नहीं आता ।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य···

श्री अमरचन्द : अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष की बात नहीं है । आज हम चर्चा नहीं करना चाहते । आगे आने वाले दो दिनों के लिए समय बढ़ा दिया जावे यही सब की भावना है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अगले सत्र में तो सरकार दूसरी आ जाएगी हम तो इसी सरकार से सुनना चाहते हैं ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह तो आप भरोसे ही बैठे रहो । आप परेशान मत हों ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : X X X

X X X अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(82)

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं तो × × × के कहने का बुरा नहीं मानता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, अध्यक्ष महोदय, आप डिबेट शुरू करवा दीजिए अभी आज का अजेंडा तो कट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। समय बढ़ायें न बढ़ायें लेकिन चार घण्टे की डिबेट तो चालू करायें आप।

(व्यवधान)

यह नहीं होगा कि जो बिजनेस लिया हुआ है वह बिजनेस आप हाउस के अन्दर डिसाइड करें। यह नहीं चलेगा। आज की डिबेट तो चालू करवाइये। अगर सरकार उस समय तक विचार कर ले · · ·

श्री पीरूराम : अध्यक्ष महोदय, सारे माननीय सदस्यों की एक ही राय है कि 30, 31 तारीख को यह चर्चा रख दी जाय तो अच्छा रहेगा।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, इस सदन के अधिकांश माननीय सदस्यों की · · ·

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री परसराम मदेरणा : अधिकांश माननीय सदस्यों कि यह राय है और आसन भी · · ·

श्री अध्यक्ष : नहीं, आसन तो निष्पक्ष है इसमें हमारा तो यह कर्त्तव्य है कि जो निर्धारित कार्य है उसको पूरा करवायें।

श्री परसराम मदेरणा : आसन, जो कि निष्पक्ष है, अधिकांश माननीय सदस्यों की राय का आंकलन करके अपनी व्यवस्था देता है। माननीय सदस्यों की ऐसी राय है कि जो दो दिन बढ़ाने की बात कह रहे हैं टीवी से · · ·

श्री अध्यक्ष : दो दिन में तो हम यह मानते हैं कि फिर पढ़ाई तो होगी नहीं।

श्री परसराम मदेरणा : इसलिए अधिकांश माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि अभी नहीं अगले सत्र के अन्दर जो है · · ·

श्री अध्यक्ष : मैं घर आकर देखूंगा कोई भी पढ़ेंगे नहीं, यह मैं आपको बता देता हूँ ;

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आप उस समय हमें रिजेक्ट कर देना, हम तो आज ही पढ़े हुए हैं।

श्री परसराम मदेरणा : अगले सत्र के लिए · · ·

श्री मेघराज तावड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर पूरी तरह से बहस हो, सही ढंग से बहस हो · · ·

श्री नन्दलाल मीणा : दो दिन का समय बढ़ा दिया जावे, सबकी यही राय है।

श्री मेघराज तावड़ : शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के बारे में लोग क्या जानते हैं। हम जानते हैं कि हमारे साथ कुठाराघात हो रहा है · ·

(व्यवधान)

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री नन्दलाल मीणा : आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है, यह अहम मसला है। बन्धुआ मजदूरों को सरकार मुक्त नहीं करा पा रही है। जो शैक्षणिक दृष्टि से उनको छात्रावासों में प्रवेश मिलना चाहिए, ऐसे मसलों पर सरकार आज विचार नहीं करके अगले सत्र में विचार करने के लिए कह रही है। अध्यक्ष महोदय, आखिर होगा क्या ? ऐसी विषम परिस्थितियां आदिवासियों और हरिजनों के साथ हो रही हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं...

(व्यवधान)

श्री मेघराज तावड़ :...संसद में दो दिन का समय दिया जाता है तो यहां क्यों नहीं दिया जा सकता। इससे ही राज्य सरकार की मंशा का पता चल जाता है...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर, माननीय सदस्य। अब मैं नाम पुकार रहा हूँ बोलने वालों के।

(व्यवधान)

श्री तुलसीराम : चुप होकर क्यों बैठे थे।

श्री. परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में अगर मैं गलत नहीं हूं आदिवासी सदस्य 23 हैं।

एक माननीय सदस्य : 24।

श्री परसराम मदेरणा : मैं कास्ट की बात बाद में करूंगा। 23 में से 17 इस तरफ बैठते हैं। उन सब आदिवासियों की बात...

(व्यवधान)

आप आदिवासियों की बात कह रहे हैं, आदिवासियों की बात जानते नहीं हैं या कोई आदिवासियों की बात कहने का आपने ही अधिकार ले लिया वह बात नहीं है। हमारे सदन के माननीय सदस्य भी निश्चित तौर से अपने इलाके की बात कहते हैं। आदिवासियों के कल्याण के सम्बन्ध में वह भी अपने विचार यहां पर रखेंगे। मैं निवेदन कर रहा था, अध्यक्ष महोदय, अधिकांश माननीय सदस्यों का ऐसा मत है कि इस पर दो दिन के लिए चर्चा हो और वह अगले सत्र में हो।

कई माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपका प्रस्ताव रख दिया जाय, कौन-कौन इस रिपोर्ट पर डिस्कशन के पक्ष में हैं।

श्री अध्यक्ष : यह अधिकार तो आसन को है। जब कार्य सूची तय हो गई, उसके पश्चात् उसको निरस्त करने का ऐसे अधिकार नहीं हैं। ऑर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, ऐसा अधिकार कभी-कभी प्रयोग किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : कार्य सूची में होने...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कार्य सूची में आपने रखा, हम तैयार हैं। आपने कल कह दिया होता कि चर्चा नहीं होगी। हम आज तैयार होकर आये हैं, इसलिए आयें हैं कि आप इस चर्चा को स्थगित कर दें ?

(84)

श्री अध्यक्ष : मैं नाम से इसको सम्पादित करवा रहा हूं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां करवा दीजिये । अध्यक्ष महोदय, उनकी भी नियत है कि रिपोर्ट डिस्कस नहीं हो । वह अपने लोगों से कहलवा दें इसका मतलब यह नहीं कि हाउस अपने राइट से चला जाय ।

श्री अध्यक्ष : यह तो आसन पर है, विपक्ष के माननीय नेता ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, तो अध्यक्ष महोदय, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : मैं कह रहा हूं, मैं सुन कर करूं · ·

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप करवाइए चर्चा ।

श्री परसराम मदेरणा : आप राय और मत ले लीजिये, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : बिना सुने तो मैं फैसला नहीं कर सकता ।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा : हम अपने आप पढे लिखे है । हम XXX नहीं जो दूसरे के कहने से कहेंगे ।

हमारी इच्छा से कहेंगे । हमारी भावना, हमारी बातों को कहने के लिए दो दिन का टाइम दें ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । श्री यदुनाथ सिंह ।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम आज जिस रिपोर्ट पर चर्चा करने जा रहे हैं इसका विषय कोई राजनैतिक नहीं है, एक राष्ट्रीय विषय है । जो बुजुर्ग माननीय सदस्य इस सदन में ऐसे बैठे हैं जिन्होंने आजादी की लडाई में भाग लिया था उनको याद होगा कि आज से लगभग 50-51 वर्ष पहले महात्मा गांधी ने जो अंग्रेजों का एक षडयन्त्र चला था कि राष्ट्रीय आन्दोलन से दलितों को अलग कर दिया जाय, उसको आराम से विफल बनाया था ।

(3.03 म. प.)

(श्री माधवसिंह दीवान, सभापति, पदासीन)

सफलता से अंग्रेजों के षडयन्त्र का मुकाबला किया था उन्होंने, माननीय सभापति महोदय ।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : निर्णय क्या हुआ ?

श्री यदुनाथ सिंह : बहस चालू रहे ।

श्री सभापति : बहस चालू हो गई ।

श्री परसराम मदेरणा : अधिकांश माननीय सदस्यों की ऐसी राय थी कि यह आज नहीं · · ·

(व्यवधान)

तो इसको अगले सत्र में लिया जाये ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन में संशोधन का माननीय सदस्यों को अधिकार नहीं है ।

(व्यवधान)

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

माननीय मन्त्री महोदय कार्य सलाहकार समिति · · ·

श्री रूपलाल परमार (खेरवाड़ा) : हम लोग तैयार नहीं हैं।

एक माननीय सदस्य : दो दिन का प्रस्ताव लाइये आप लोग।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य यह चाहते हैं · · ·

श्री सभापति : यह अगले सत्र में चालू · · ·

(व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण करें। इस तरह सब एक साथ बोलेंगे तो कोई हल नहीं निकलेगा इसका। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री यदुनाथ सिंह : जब मेरा बोलने का राइट है, मेरे को आसन ने आज्ञा दी बोलने की तो बोलने दीजिये।

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें माननीय सदस्य।

श्री यदुनाथ सिंह : मेरी समझ में नहीं आ रहा इस राष्ट्रीय विषय पर यह सदन कोई चर्चा क्यों नहीं करना चाहता।

एक माननीय सदस्य : व्यवस्था दे दी गई है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें।

एक माननीय सदस्य : यह बात हमारी है, आज हाउस में इस सम्बन्ध में डिस्कशन नहीं होगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हम करेंगे चर्चा।

एक माननीय सदस्य : इसमें व्यवस्था दे दी गई है कि अगले सत्र में · · ·

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह व्यवस्था दे दी गई है कि चर्चा आज ही होगी।

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री हीरालाल आर्य : इनके लोगों का मानना है, सभापति महोदय, दो दिन बढ़ाने में क्या दिक्कत है ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : आसन पैरों पर है। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य, आप क्या ट्राइब्स से आ रहे हैं ?

एक माननीय सदस्य : ट्राइब्स से क्या मतलब। हमारे हक की बात हम कहेंगे, तुम कौन होते हो कहने वाले।

श्री तुलसीराम : सभापति जी, चर्चा नहीं होगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आज ही होगी।

एक माननीय सदस्य : आप · · · बात कहते हो आदिवासी की।

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें, चार-चार सदस्यगण बोलें · · ·

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसमें चर्चा आज होगी।

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय सदस्यों का कोई मतलब नहीं है, शिड्यूल्ड ट्राइब्स से कोई मतलब नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री रूपलाल परमार : माननीय सदस्य, आप बैठो !

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : क्या समस्या है आप जानते भी नहीं हैं, समझते भी नहीं हैं । क्यों X X X करते हो ?

एक माननीय सदस्य : उनकी आपको चिंता नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर ।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्यों की राय नहीं, अनुमति नहीं तो...

(व्यवधान)

अगले सत्र में चर्चा की जाय ।

श्री यदुनाथ सिंह : बिजनेस तय हो चुका है, हम तैयारी करके आये हैं...

श्री सभापति : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर ।

श्री रूपलाल परमार : आपकी बात हम नहीं सुनना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

श्री रूपलाल परमार : अगर आप आदिवासियों को...

एक माननीय सदस्य : बैठिये, बैठिये, बैठिये-बैठिये ओ अनुसूचित जाति के रखवालो ।

(व्यवधान)

...की बात पैदा करते हो ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, पाइन्ट ऑफ ऑर्डर आने दीजिये ।

एक माननीय सदस्य : सभापति जी, कार्यवाही स्थगित की...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें । श्री यदुनाथ सिंह जी स्थान ग्रहण करें । पाइन्ट ऑफ ऑर्डर ।

श्री यदुनाथ सिंह : यह क्या बात हुई, आपकी समस्या हल हो, इसमें हमारा योगदान होना जरूरी नहीं है क्या ?

श्री सभापति : श्री यदुनाथ सिंह जी कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री यदुनाथ सिंह : मैं भी आपकी वकालत करने के लिये बोल रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री रूपलाल परमार : माननीय सदस्य, पांच मिनट बैठ जायें, मैं अपनी बात बोलूंगा ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य इस तरह से बोलने में कोई फायदा नहीं है ।

X X X शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

श्री रूपलाल परमार : कृपया आप बैठ जाइये। आदिवासियों की समस्या मैं आपको सुना दूं। आपने पूर्व में क्या किया है आदिवासियों के लिये? हरिजनों के साथ आप लोग क्या कर रहे हो?

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : X X X

श्री भैरूलाल मीणा : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : उनके नाम पर यहां टिके हुए बैठे हो।

श्री रूपलाल परमार : आप पूंजीपतियों की नाव में बैठकर के आदिवासियों...

(व्यवधान)

श्री भैरूलाल मीणा : पाइन्ट ऑफ आर्डर।

श्री सभापति : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर, श्री ललितकिशोर जी का आया हुआ है उसके बाद...

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : इनका पहले आया है।

श्री सभापति : यह आसन को देखने का है पाइन्ट ऑफ ऑर्डर पहले किसका आया है। पाइन्ट ऑफ ऑर्डर श्री ललितकिशोर जी!

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति महोदय, कार्य सलाहकार समिति ने...

(व्यवधान)

क्या हो रहा है?

श्री रूपलाल परमार : ये ही बोलेंगे... आप हमारी बात को तो दबाना चाहते हो और आपकी बात कहना चाहते हो।

श्री सभापति : आपको भी मौका देंगे।

एक माननीय सदस्य : बाहर निकालो इनको।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं। मैं आपको मौका दूंगा। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : सभापति महोदय, कार्य सलाहकार समिति ने...

(व्यवधान)

श्री शिवराम शर्मा (बनीपार्क) : सभापति महोदय, यह हरिजनों से सम्बन्धित मामला है। सवर्ण क्या बोलेंगे?

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : सभापति महोदय, इनको अध्यक्षीय आज्ञा का पालन करना नहीं आता।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप हाउस को कन्ट्रोल करिये, साहब।

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : सभापति महोदय, पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर में फिर खड़े हो गये वे। बीच में खड़े हो रहे हैं। आप इनको निकालिये सदन से बाहर।

(व्यवधान)

X X X अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री सभापति : कृपया शान्त रहें। आप बोलिये।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : वे फिर खड़े हो गये।

(व्यवधान)

श्री रूपलाल परमार : सभापति महोदय, मैं बोलूंगा। मुझे इजाजत दी जाय।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करिये। मैं आपको मौका दूंगा। आप उनकी बात तो सुनिये।

(व्यवधान)

श्री रूपलाल परमार : हमारी बात पहले सुनें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : ये फिर खड़े हो गये। यह क्या हो रहा है?

(व्यवधान)

श्री रूपलाल परमार : इनको क्या ज्ञान है।

(व्यवधान)

हमारे विचार पहले सुनें। इनको क्या तकलीफ है हरिजनों के मामले में...

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करिये, मैं आपको मौका दूंगा। आप उनकी बात तो सुनिये।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इनको पहले बोलने दीजिये।

(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : विधान सभा में इस प्रकार का दृश्य उपस्थित है...

(व्यवधान)

आप आसन की बात नहीं सुनना चाहते हो, आसन की बात नहीं मानना चाहते हो तो आप बाहर जा सकते हैं लेकिन...

(व्यवधान)

श्री रूपलाल परमार : सभापति महोदय, इन लोगों ने हमेशा आदिवासियों के बाल-बच्चों का शोषण किया है और उनको नौकर रखा है...

(व्यवधान)

पाइन्ट ऑफ आर्डर पहले मेरा है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें, मैं आपको मौका दूंगा। आप उनकी बात तो सुनें।

(व्यवधान)

श्री रूपलाल परमार : हमारी बात पहले सुनिये।

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : फिर खड़े हो गये। यह क्या हो रहा है?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : यह आपकी चौपाल नहीं है, हाउस है। चाहे जब बोलना शुरू कर दिया। हाउस में कैसे बोलते हैं इसकी मर्यादा है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, इनको × × × भेजो।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर।

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें अगर आप लोग आसन के साथ सहयोग नहीं करते हैं तो यह आसन के लिए कतई पॉसिबल नहीं है, सब लोग अगर एक साथ बोलेंगे तो सदन का चलना संभव नहीं होगा। मैं आप सबको बोलने का मौका दूंगा।

(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र सिंह मीणा : आप इनको दबा रहे हैं। आप उनको कह रहे हैं...

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया शांत रहें।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : × × ×

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : तुमने हिंदुस्तान को तोड़ा। समाज के सबसे बड़े दुश्मन तुम हो।

(व्यवधान)

श्री रूपलाल परमार : यह कहां का न्याय है। महात्मा गांधी को मारने वाले ×××और यही लोग आज आदिवासियों की बात कर रहे हैं। महात्मा गांधी देश का पिता था। भारत के लिये बहुत बड़ा काम किया, इस देश को आजाद कराया × × ×

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × ×

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह असत्य है। बिल्कुल सरासर असत्य है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सभापति महोदय, सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने जवाहरलाल नेहरू के लिये जो बात कही है वह सदन की कार्यवाही से एक्सपन्ज करवाई जाय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : × × × परसराम मदेरणा ने..

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : इस प्रकार गैर जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं।

(व्यवधान)

इस प्रकार गैर जिम्मेदार लोग सदन में बैठकर इस प्रकार की बात कर सकते हैं...

(व्यवधान)

× × × शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

मैं निश्चित रूप से कहता हूँ इनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये।

(व्यवधान)

श्री रूपलाल परमार : यह इस तरह समय बढ़ाना चाहते हैं। इस देश में अकाल है। देश भूखा मर रहा है और समय बढ़ाकर टी. ए., डी. ए. लेना चाहते हैं। लोग भूखे मर रहे हैं गांवों में ··

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ×××

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : सभापति महोदय, इनको ××× भिजवाओ।

(व्यवधान)

(3.20 म.प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

माननीय सदस्यगण, मैं आपका सहयोग चाहूंगा। कार्य सलाहकार समिति ने यह निश्चित किया था कि आज के दिन शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स कमिश्नर की रिपोर्ट पर विचार होगा। कई माननीय सदस्यों ने यह राय व्यक्त की कि उनकी तैयारी पूरी नहीं है लेकिन कुछ माननीय सदस्यों का कहना यह है कि वे इस वाद-विवाद के अन्दर, इस चर्चा के अन्दर हिस्सा ले सकते हैं। आप इस बात से अच्छी तरह से परिचित हैं, आसन का यह कार्य होता है कि जो कार्य सूची इस सदन द्वारा निर्णित की जाती है उस कार्य को पूरा करायें। प्रारंभ से ही जब आज की बैठक शुरू हुई, मैंने काफी कठोरता से समय की पाबन्दी रखी। मैं चाहता था कि दो बजे के लगभग इस पर चर्चा शुरू हो जाये। जैसा कि मैंने पूर्व में माननीय सदस्यों को निवेदन किया, यदि चर्चा पूरी नहीं होती है अथवा वाद-विवाद परिपक्व नहीं होता है तो उसके लिए कोई अन्य दिन भी निश्चित किया जा सकता है। जनतंत्रवाद में आप जानते हैं कि सत्ता पक्ष की विशेष जिम्मेदारियां होती हैं। ऐसे उदाहरण तो सामने आते हैं जब विपक्ष वाले कई कारणों से असन्तुष्ट होकर सदन के अन्दर कई दफा नियमों का उल्लंघन कर देते हैं लेकिन सत्ता पक्ष को ऐसा नहीं करना चाहिये। यदि माननीय सदस्यों की तैयारी नहीं है, इस पक्ष से कुछ माननीय सदस्य तैयार भी हो सकते हैं, तो कृपया इस समय का सदुपयोग करें। क्योंकि यह आसन का उत्तरदायित्व है कि जो कार्यसूची है उसको वह पूर्ण करावे उस दिन, इसलिए मैंने माननीय सदस्य श्री यदुनाथसिंह जी का नाम पुकारा था कि वे इसमें चर्चा प्रारम्भ करें। बीच में लगभग आधा घंटा से काफी अव्यवस्था फैली हुई है। माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि इतना लम्बा सत्र बहुत ही शान्ति से चला, अब केवल डेढ़ घंटा का समय और शेष रहता है। मेरी यह कोशिश होगी कि इस प्रतिवेदन को दुबारा जल्दी से जल्दी लिया जाय। सत्र का समय तो आखिर तय सरकार करती है, जब सत्र आयेगा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेरी यह कोशिश होगी इसको प्रथम अवसर दिया जाये किसी तरह से। इसलिये दो, तीन, चार जितने माननीय सदस्य किसी भी पक्ष के माननीय सदस्य की तैयारी है वे बोलें। यह कोई निश्चित मत तो माननीय

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री अध्यक्ष)
सदस्यों का था नहीं लेकिन कुछ माननीय सदस्य यह कहते सुने गये कि शिड्यूल्ड कास्ट्स वाले माननीय सदस्य ही इस पर बोलें। ऐसा कोई निश्चित मत नहीं था लेकिन यह सुझाव था कि जो शिड्यूल्ड, कास्ट्स के नहीं हैं वे अपनी राय व्यक्त नहीं करें ऐसा नहीं होता है। इस सदन के अन्दर सभी जातियों के, वर्गों के, सभी धर्म वाले माननीय सदस्य बैठते हैं। जब कोई विषय सदन में आ जाता है तो वह सदन की सम्पत्ति बन जाता है। तो ऐसे अवसर पर आप अपने मन की बात कहें, आप अपनी तकलीफ कहें वह एक और बात है लेकिन दूसरे भी उस बात को स्वीकार करें कि भाई यह और भी अच्छी बात है। जिन माननीय सदस्यों ने इस विषय पर तैयारी की है, चाहे किसी भी वर्ग के हों; चाहे शिड्यूल्ड कास्ट्स के हों या नहीं हों, वे सब स्वतन्त्र रूप से अपने विचार व्यक्त करें, यह आपकी और हमारी, सबकी कोशिश होनी चाहिये। मैं आपसे पुनः यह निवेदन करूंगा कि कृपया शान्ति बनाये रखें घन्टे, डेढ़ घन्टे के लिए। इसमें मैं अवसर दूंगा जिन माननीय सदस्यों की तैयारी है उनको आज सरकार की ओर से उत्तर नहीं दिलाया जायेगा और इस चर्चा को अपूर्ण माना जायेगा। इसके बाद में इसके ऊपर जब कभी जल्दी से जल्दी अवसर मिलेगा उस वक्त . . .

(व्यवधान)

आॅर्डर, आॅर्डर, माननीय सदस्य। सरकार है यह तो लीगल एन्टेटी है। इसका कभी अन्त नहीं होता। सरकार वही होगी जो इस पक्ष में बैठेगा। व्यक्तियों से इसका सम्बन्ध नहीं है, पक्ष से सम्बन्ध है। जो यहां बैठेगा वह इसका उत्तर देगा। कोई यह भी नहीं कह सकता था फलां था उसने यह कहा था, वह कहा था, यह भी गलत चीज है। आप जानते हैं यह जनतंत्रवाद है। इसकी महिमा यही है कि इसमें सत्ता में आ सकते हैं, सत्ता से जाने के बाद भी यहां विद्यमान रह सकते हैं अन्य प्रणालियां ऐसी हैं जो सत्ता से गये वह दुनिया से गये। इस तरह की भी शासन प्रणालियां चलती हैं। अपनी महिमा यही है कि चाहें हमारा एक दूसरे के साथ मतैक्य हो अथवा न हो, हम शामिल बैठ करके सब विषयों पर चर्चा करते हैं।

मैं अब माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो कोई भी सुझाव यहां आयें उनको शान्तिपूर्वक सुनें। जिन माननीय सदस्यों की इधर से तैयार हो, बड़ा पक्ष यह है मैं पहले उसको निवेदन करता हूं वह बोले।

श्री पीरूराम !

श्री नानालाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है। प्रश्न यह नहीं था कि लोग तैयारी करके नहीं आये। प्रश्न यह था कि जिस प्रकार से इसकी उपेक्षा की गई है उससे अनुसूचित जाति और जन जाति के सदस्यों में रोष है और उस रोष को इस रूप में व्यक्त किया कि हम आज इस कार्यवाही को यहां नहीं करना चाहते हैं। हम इस पर बोलना नहीं चाहते हैं। यह हमारा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जिस वक्त कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन को स्वीकार किया गया था उस वक्त सदन

(श्री अध्यक्ष)
के अन्दर अधिकतर माननीय सदस्य उपस्थित थे। उस वक्त माननीय सदस्य फरमा देते कि इसको अमुक दिन लेने में एतराज है अथवा जब प्रथम सूची इस सत्र की स्वीकार की गई उस वक्त माननीय सदस्य फरमा देते कि नहीं इसको बीच में किसी दिन लिया जाये तो यह विषय आ जाता जब समय निश्चित हो गया और कार्यसूची निकल गई, कार्यसूची को अनुमोदित कर दिया इस सदन ने, उसके पश्चात् यह आपत्ति नहीं होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि आप तो स्वयं काफी अनुभवी, माननीय सदस्य हैं। क्योंकि कार्य सलाहकार समिति को···

(व्यवधान)

आॅर्डर, आॅर्डर। आसन पैरों पर है···

कार्य सलाहकार समिति को सदन मान्यता देता है। सदन उसके निर्णय को अनुमोदित करता है और कई दफा तो यहां पर उस पर चर्चा भी हो जाती है, माननीय सदस्य सुझाव देना चाहते हैं तो वह सुझाव भी सुन लिये जाते हैं उसके पश्चात् आमतौर से उसको स्वीकार किया जाता है। इसलिये आज यह बात कहना मेरे समझ में नहीं आता। उस दिन यदि माननीय सदस्य एतराज कर लेते कि इस दिन न लेकर और इस दिन इसको लिया जाये तो इस पर किसी को क्या एतराज हो सकता था; मेरे यह बात समझ में नहीं आई। खैर, जो कुछ भी हो, हो सकता है कि माननीय सदस्यों ने आज महसूस किया हो लेकिन अपन सदन के अंग हैं, जैसा गांव कहे कर लेते हैं, सभी लोग उसको मान लेते हैं भई हमारी राय तो नहीं है लेकिन बुजुर्गों ने तय कर लिया वही सही है। यही पंचायत राज है, यही पंचायत राज के पीछे भावना है। मान लीजिये, गलती रह गई तो, इस बात को नजर अन्दाज करके अपन सबने तय कर लिया, कृपया इस बात को छोड़ दीजिये।

श्री पीरूराम जी अपने विचार व्यक्त करेंगे।

श्री नानालाल : अध्यक्ष महोदय, हर सदन के अन्दर इस बात की चर्चा हुई है कि अनुसूचित जाति के आयुक्त की रिपोर्ट को सैशन के बीच में लें, जब सत्र चलता है उसके मध्य में लें, अब आज यह प्रश्न कैसे उठा जब हमेशा हर सैशन में इस बात की चर्चा हो चुकी है।

श्री अध्यक्ष : आप बहुत अनुभवी हैं। आप मुझे पत्र लिख सकते थे, इतनी तो आप में क्षमता थी कि इसको जल्दी ले लें लेकिन आपने भी यह कर्त्तव्य नहीं निभाया। किसी माननीय सदस्य ने मुझे फरमाया हो कि इसको पहले लेना है तो सदन पूरा बैठा है किसी माननीय सदस्य ने मुझे कहा नहीं। यह मैं आपको बता दूं, मेरे कहने की बात नहीं है लेकिन सत्ता पक्ष भी इस बात को कबूल करेगा कि मैंने इस बात पर बहुत जोर दिया था यह मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं। तारीख निश्चित करने के बाद में यदि माननीय सदस्यों के कुछ सुझाव होते तो आप आसन के माध्यम से फरमा सकते थे। मैं उसकी तामील कराता इसमें मेरा यह निश्चित मत है। भविष्य में यदि माननीय सदस्यों के कोई सुझाव कार्य सूची के विषय

(श्री अध्यक्ष)
में आयेंगे तो आप सब की ओर से मैं प्रतिनिधि के रूप में कार्य सलाहकार समिति में बैठता हूं। आमतौर से मैं उसमें नहीं बैठता लेकिन फिर भी बैठूंगा आप मुझे स्वतन्त्रतापूर्वक किसी तरह से फरमा सकते हैं कि इस कार्य को इस तरह से ले लिया जाय। कार्य सलाहकार समिति, जो इस सदन का प्रतिनिधित्व करती है, के सामने वह विचार जरूर जायेंगे।

श्री भैरूंलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, हमने नम्र निवेदन किया था....

श्री रामप्रसाद (रूपवास) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आज इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिये क्योंकि माननीय सदस्य....

श्री अध्यक्ष : मैंने सुना नहीं दुबारा बोलिये। आप माइक के पास रहकर बोलिये।

श्री रामप्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए क्योंकि समय कम रह गया है, यह मेरा निवेदन है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक बात सरकार से कहना चाहूँगा कि आज विधान सभा का सत्र खतम होने जा रहा है, हम एक बात चाहेंगे, 14 अप्रेल आने वाली है, 14 अप्रेल को डॉक्टर अम्बेडकर की समृति में अवकाश सरकार की तरफ से घोषित किया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : यह इस वाद-विवाद में भी कह सकते हैं। इसके लिए आज की तारीख फिर उपयुक्त होगी अगर इस पर चर्चा होती है तो।

श्री भैरूंलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, हमने नम्र निवेदन किया था कि आज आखरी दिन है सदन समाप्त होने जा रहा है और हमको दो घन्टे मिलेंगे। इस पर बोलने के लिये आप समय निर्धारित करेंगे, किसी को दो मिनट तो किसी को पांच मिनट।

श्री अध्यक्ष : मैं ऐसा नहीं करता हूँ आमतौर से जिस दिन मैं समय सीमा बांधता हूं उसकी पूर्व में सूचना देता हूं। यह नहीं करता कि माननीय सदस्य बोल रहे हैं उनको बीच में कह दिया कि आप बैठ जायें, ऐसा कभी नहीं हुआ यह मैं आपको बता देता हूं। जब विषय निर्धारित हो उस अवस्था में यदि पहले समय सीमा बांधी जाती है तो कभी माननीय सदस्यों को यह नहीं कहा जाता कि आपको दो मिनट देंगे। समय सीमा ऐसे बड़े विषय पर अव्वल तो बांधी ही नहीं जाती। पहले जो वाद-विवाद हुआ है, इस विषय पर जो चर्चा हुई है उसकी ही प्रोसिडिंग्स देख लीजिये, ऐसी समय सीमा कभी बांधी नहीं होगी। इस विषय को खुला रखा जायेगा। आज इस पर सरकार की ओर से उत्तर नहीं आयेगा। अब सवाल यह है कि कुछ माननीय सदस्य बोलना नहीं चाहते हैं या वाद-विवद नहीं करना चाहते हैं, तो उसमें हमारी कठिनाई यह है कि जब तक 20 माननीय सदस्य उपस्थित हैं, 19 माननीय सदस्य और 20वां पीठासीन व्यक्ति, तब तक जो पूर्व निश्चित कार्यक्रम है उसके अनुसार हमको इस बैठक को चलाना पड़ेगा। स्थगित करने का तो यह समझ लीजिये जब तक घोर अव्यवस्था न हो जाय तब तक स्थगित नहीं कर सकते मैं रो रहा हूं, अव्यवस्था को कोई

(श्री अध्यक्ष)

नियंत्रण दे रहा हो आप कृपया इससे सजेशन लें। ठीक है, आसन को एक परिस्थिति के अन्दर यह अधिकार है कि उस दिन की बैठक को स्थगित कर सके। जब तक शान्तिपूर्वक सदन चलता है तब तक जो कार्य सूची है उसके अनुसार कार्य संचालित किया जाता है। माननीय सदस्य यदि बहुत से चले भी जायं, जब तक 19 माननीय सदस्य प्रांगण में हों और एक पीठासीन अधिकारी हो तब तक इस सभा की कार्यवाही चलती रहेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि जिन माननीय सदस्यों की तैयारी हो वे माननीय सदस्य कृपया अपने सुझाव दे दें। अन्य माननीय सदस्यों ने जो भावना व्यक्त की है उसको ध्यान में रखते हुए आइन्दा कार्य सूची में जिस स्थान पर जिस समय आप चाहेंगे उस समय इसको रखा जायेगा, इस बात का मैं आपको आश्वासन देता हूँ।

श्री भैरूलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, यह उत्तेजना तब पैदा हुई जब कि हम लोगों ने यह व्यक्त किया कि समय कम मिला है। जो भी आप समय देंगे 12 बजे तक आप बैठेंगे हम भी बैठेंगे इसमें कोई दो राय नहीं है। किन्तु उधर से आवाज आई कि हम लोग भी शिड्यूल्ड कास्ट्स, ट्राइब्स से आते हैं ये सत्ता पक्ष में बैठे हैं इसलिए दूसरे हो गये और ये शिड्यूल्ड कास्ट्स की कोई समस्या जानते ही नहीं। उधर से आवाज आई कि तुम लोग सब ऐसे हो, भ्रष्ट हो, फलानां हो····

श्री अध्यक्ष : आवेश में तनाव रहता है।

श्री भैरूलाल मीणा : इस प्रकार की जब भावना उधर से आई तब उत्तेजना पैदा हुई। कोई भी सदस्य बोले हमें कोई एतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीराम जी को आमंत्रित करता हूँ। आप वयोवृद्ध, बुजुर्ग हैं इसलिए···

(व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह : फिर आप बीच में आ गये। अध्यक्ष महोदय, लगातार सरकारी पक्ष की ओर से इसको टाला जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री श्रीराम गोटेवाला : दो मिनट बात करना चाहता हूँ। बहुत जरूरी बात है उसके बारे में अनुरोध है···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज।

श्री महाराम चौधरी : इनकी तो हमेशा ही यह नीयत रहती है कि···

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। दो मिनट में आप पाइन्ट ऑफ ऑर्डर कह दीजिये···

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं वही अनुरोध कर रहा हूँ कि···

श्री अध्यक्ष : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर है क्या ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज कर रहा हूँ !

श्री यदुनाथसिंह : कौनसे कानून के तहत पाइन्ट ऑफ ऑर्डर है। पाइन्ट ऑफ ऑर्डर मजाक का विषय बना लिया।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर, कृपया।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट ऑफ ऑर्डर जो मैं निवेदन कर रहा हूँ वह यह है, अभी जो वाद-विवाद हो रहा था उस वाद-विवाद में सीकर से आने वाले सम्मानित सदस्य ने जिस प्रकार का वातावरण था उस वातावरण में जोश के अन्दर इस सदन के अन्दर यह बात कही कि × × × मैंने सभापतिजी से भी अनुरोध किया था इस बात के लिए कि उसको एक्सपंज करवाया जाय।

श्री अध्यक्ष : मैंने वह बात सुन ली थी। ऑर्डर प्लीज। मैं प्रोसिडिंग देख कर के उसमें जितने भी शब्द जिस ओर से प्रयुक्त हुए हैं उन सबको नियमानुसार कार्यवाही करके हटाने की व्यवस्था करूंगा। ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री पीरूराम (टोबी) : अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आयुक्त की रिपोर्ट जो हमें मिली वह कल ही मिली है। हमने पूरी इतनी तैयारी इस बारे में नहीं की। आपको इस बारे में हमने यह बताया कि इस पर चर्चा के लिये दो दिन का टाइम रख दिया जावे। तैयारी किये बगैर कोई भी माननीय सदस्य अपने सही विचार नहीं रख सकते। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि दो दिन का टाइम बढ़ा दिया जाय और इस पर आगे चर्चा नहीं की जाय।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आयुक्त के 26 वें प्रतिवेदन पर विचार

श्री यदुनाथसिंह : मैं शुरू करूं, अध्यक्ष महोदय ?

श्री अध्यक्ष : आपने अपना भाषण पूरा कर लिया।

श्री यदुनाथसिंह : मुझे शुरू ही नहीं करने दिया, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री यदुनाथ सिंह। ऑर्डर प्लीज।

श्री यदुनाथसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख है कि जिस तरह की अन्य वर्गों में टकराहट पैदा करने की बात आज इस हाउस में पैदा की गई उसी तरह की टकराहट पैदा करके हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई को तोड़ने का काम अंग्रेजों ने करने की कोशिश की थी तब महात्मा गांधी ने आज से 50 वर्ष पूर्व आमरण अनशन किया था। उस समय उन्होंने वचन दिया था कि मैं वायदा करता हूँ हिन्दू समाज की ओर से कि मैं छुआछूत, ऊंच-नीच के भेद को मिटाऊंगा। अध्यक्ष महोदय, आज हमारा समाज उस वचन को तोड़ रहा है। उसकी परिणति आज मुझे हाउस में नजर आई। मुझे दुःख है, इस समस्या का समाधान वर्गों में टकहराट से नहीं होगा। यह समस्या कोई आर्थिक समस्या नहीं है। महात्मा गांधी ने उस टाइम कहा था कि मैं हिन्दू समाज की ओर से सब समाज को आजादी की लड़ाई में एक रखने का सबसे सहयोग करने का वचन देता हूँ। उस वचन की पूर्ति करने के लिए संविधान की कुछ धाराओं में कुछ वर्गों का रिजर्वेशन करने की नीति रखी गई थी। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, यहां टकराहट की स्थिति पैदा करने की जरूरत नहीं है।

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री यदुनाथसिंह)

जो समस्या है उस पर गम्भीरता से बहस करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, आज हमारे समाज में महात्मा गांधी के उस वचन को हमारा समाज तोड़ रहा है। यह राजनैतिक विषय नहीं है अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में निवेदन करना चाहूँगा, अध्यक्ष महोदय, बहुत से लोग दो वर्गों में लड़ाई पैदा करके जिस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था थी, जिस प्रकार के समाज की संरचना थी और जिसके रहते हुए हिन्दुस्तान गुलाम हुआ आज उसी व्यवस्था को बनाये रखने का षडयंत्र चला रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आज जब कभी बात उठती है बहस होती है तो अनुसूचित जाति और जनजाति में भी टकराव की बात करते हैं। उसके लिये वह बहस कई बार यहां चला देते हैं, अध्यक्ष महोदय, कि हमारे यहां सामाजिक संरक्षण की जो नीति, आरक्षण की जो नीति है वह दोषपूर्ण है। दिखाने को तो वह कई बार समाज में बैठकर यह भी कहते हैं कि हम उसी नीति का समर्थन करते हैं लेकिन उसमें कई तरह की बहस घुसड़ने का काम करते हैं। अध्यक्ष महोदय, वे यह कहते हैं कि कई बार आरक्षण का आधार गरीबी होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, संविधान में आरक्षण की जो कल्पना की गई थी उसका आधार गरीबी नहीं था, आर्थिक कारण नहीं थे। उसका शैक्षणिक और सामाजिक कारण था। उसका उद्देश्य इन लोगों का आर्थिक उत्थान नहीं था, समाज में इनको समता का हक मिले, यह अधिकार देने की बात थी।

अध्यक्ष महोदय, हमने प्रजातंत्र को अपनाया है। जब तक हमारा समाज दो वर्गों में बंटा रहेगा तब तक समाज की अच्छी संरचना नहीं हो पायेगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख है कि 78-79 की रिपोर्ट पर इतने दिनों के बाद हमको सदन में चर्चा करने का टाइम मिला। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब तक हम जाति और वर्गों को समाप्त करके समतावादी समाज का निर्माण नहीं करेंगे तब तक लोकतांत्रिक प्रणाली सफल नहीं होगी। कई बार यह भी बहस चलायी जाती है कि इस देश में आरक्षण की नीति के आधार पर जो सुविधाएं दी जा रही हैं उससे कुछ वर्गों को ही, कुछ लोगों को ही फायदा मिल रहा है। मैं इसको एक त्रुटिपूर्ण तर्क मानता हूं, एक षड़यन्त्रपूर्ण तर्क मानता हूं। वह इसलिए मानता हूं कि जब तक एक पीढ़ी उसकी पैरों पर खड़ी न हो जाये और जब तक उसकी आने वाली पीढ़ी को शिक्षा का अवसर और समाज में स्थापित होने का अवसर नहीं मिले तब तक वह बराबरी नहीं कर सकते इसलिये यह बहस चलाना भी षड़यन्त्रपूर्ण है, इस देश में। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह राजनैतिक प्रश्न नहीं है। इस पर गम्भीरता से विचार कीजिये, रिपोर्ट में जो रिकमन्डेशन की गई है। जो कमियां रही हैं, वह बहुत सी हैं। एक तरह से सरकार को लताड़ा गया है इस रिपोर्ट के माध्यम से। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि समाजवादी समाज बने समता के लिये आर्थिक कारण उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। मैं किसी जाति पर आरोप नहीं लगाना चाहता लेकिन आज ब्राह्मण अगर किसी के घर में नौकर है तो वह "पंडित जी प्रणाम" ही करेगा। चाहे वह हरिजन लखपति है तो भी वह "पंडितजी प्रणाम"

(श्री यमुनाप्रसाद सिंह)

उसको झुककर कहता है। यह जो दोष हमारे यहां है, यह समाजिक दोष है आर्थिक दोष नहीं है। इसको कई बार आर्थिक दोष से लोग जोड़ने का काम करते हैं वह बहुत गलत काम करते हैं।

मैं तो यह भी सुझाव दूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि हमारी जो आरक्षण नीति है उसको न सिर्फ चालू रखा जाय बल्कि उसमें कुछ परिवर्तन भी किये जायं। उसमें वर्गीकरण करने के लिये मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मैं अपनी ओर से यह बात कह रहा हूं, न यह मेरे दल के विचार हैं और न ही किसी वर्ग के विचार हैं। पहला वर्ग बने, पिछड़ी श्रेणियां और अनुसूचित जाति और आदिम जन जातियों का। इसका नम्बर एक पर रिजर्वेशन होना चाहिए। दूसरा नम्बर होना चाहिए, जो पिछड़े वर्ग हैं उसका, पिछड़े वर्ग में बहुत से वर्ग ऐसे रह गये हैं जो कि करीब-करीब इसी श्रेणी में आते हैं लेकिन उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला। सबसे पहले उनको इसका लाभ मिलना चाहिए। इसके बाद दूसरा वर्ग जो हमारे सामने आना चाहिए वह आना चाहिए अन्य जो बहुत पिछड़ी जातियां हैं। उसमें लुहार, बढ़ई, नाई, तेली, कुम्हार केवल आते हैं, बुनकर, दर्जी आते हैं। इस तरह की बहुत सी जातियां आती हैं जो कि आज करीब-करीब इस वर्ग की हैसियत में हैं यद्यपि उनकी सामाजिक स्थिति इनसे ऊंची है, समाज में उनका स्थान इनसे थोड़ा ऊंचा है। लेकिन कुल मिलाकर समाज में जो उनका स्थान है वह नीचा ही है इसलिये दूसरा वर्ग यह होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि एक वर्ग का निर्माण इस संविधान में और किया जाय, उसके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था हो। वह वर्ग हो गांव का किसान, जो खेती करने वाला पिछड़ा वर्ग है। वह आर्थिक रूप से तो इतना पिछड़ा हुआ नहीं है, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ नहीं है लेकिन समाज का एक वर्ग जो बिल्कुल उच्चतर बन गया है उससे वह अलग है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात जब हम करें, स्पर्धा की बात करें, स्पर्धा की जब बात होती है हमारी नीति में एक कमी मैं यह भी मानता हूं, स्पर्धा एक ही वर्ग के अन्दर होनी चाहिये, बाहर नहीं होनी चाहिए। वर्ग के अन्दर ही स्पर्धा और कम्पीटीशन होने चाहिये नौकरियों के लिये और किसी स्थान को प्राप्त करने के अवसर के लिये। वर्ग के बाहर कम्पीटीशन नहीं होना चाहिए। होता यह है कि कई बार वर्ग के बाहर के लोग आकर उस पर प्रभाव जमा करके उसको अपने काम में लेने का काम करते हैं। अगली श्रेणी, चौथी श्रेणी में वह हो। जब तक इस तरह की सामाजिक व्यवस्था नहीं होगी, हमारे यहां संविधान में व्यवस्था नहीं होगी तब तक इनकी समस्या का निदान होना सम्भव नहीं है। आरक्षण वास्तव में उनका होना चाहिए जो बहुत ज्यादा माइनोरिटी में यहां पर हैं और हैं हजारों, करोड़ों साल से इस समाज पर अपना वर्चस्व जमाए हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि इस रिपोर्ट में बहुत सी खामियां मेरे को देखने को मिली हैं। जितनी भी योजनायें आदिवासियों के सामाजिक कल्याण की हैं, उनके बारे में इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जगह-जगह पर जो पैसा इनके लिये अलॉट होता है वह पैसा पहली बात तो पर्याप्त नहीं होता। किसी आदमी

(श्री यदुनाथसिंह)

का उत्थान करना है, उसको समाज में बराबर लाना है तो एक वातावरण देने के लिए, पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिये, उसको थोड़ी आर्थिक मदद भी चाहिए इसके लिये जितना पैसे का हम प्रावधान करते है वह पहली बात तो समुचित नहीं है। यह रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, दूसरा कारण यह है कि उसके लिए जो सरकार को सोचना चाहिए और अपनी नीतियों में परिवर्तन करना चाहिए वह नहीं करती है। जो पैसा आपने अलॉट किया है उस पैसे का उपयोग नहीं कर पाते हैं। 35 साल पूर्व संविधान के अन्दर ऐसी व्यवस्था करके समाज को समानता पर लाना चाहते थे। समाज को ऊपर उठाने में कोई कोताई हम करते हैं तो हिन्दुस्तान को और भी बहुत पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं।

मैं कल्पना नहीं करता, अध्यक्ष महोदय; हमारे प्रजातन्त्र में आज बिहार और अन्य राज्यों में टकराव की स्थिति पैदा हो रही है, वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा हो रही है, यह वर्ग संघर्ष की स्थिति कहीं देश के पैमाने पर फैलने का काम न करे। इसलिए समाज में जो असमानता है उसको दूर करें हमारा लोकतन्त्र इसी से टिका रहेगा अगर समाज के दो टुकड़े नहीं होंगे, समाज विभिन्न वर्ग और जातियों में बंटा हुआ नहीं रहेगा तभी लोकतन्त्र टिक सकेगा वरना जहां ऊंच-नीच का भाव है वहां सही मायने में लोकतन्त्र नहीं है। मैं इतना ही निवेदन करते हुए कहना चाहूंगा कि इस रिपोर्ट में तमाम खामियां हैं, सरकार की बड़ाई किसी राज्य के बारे में नहीं है राजस्थान का चैप्टर तो मैंने खास तौर से पढ़ा है। पूरे देश के स्तर पर योजनाओं को लागू करने के लिए जिस तरह की योजना बनायी गयी है, सारी योजनाओं में या तो पैसा बहुत कम रखने की रिपोर्ट है या पैसे का उपयोग नहीं करने की रिपोर्ट है। मैं यही निवेदन करता हुआ, अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया दिया उसके लिये आपको धन्यवाद दूंगा। मैं चाहूंगा कि इस विषय पर पूरे समाज को मिलकर, सदन अकेला इस समस्या का का समाधान नहीं कर सकता, समाज में जो वर्गीकरण हो रहा है, खासतौर से जिस वर्ग ने हजारों-हजारों साल से इस समाज को तोड़ कर रखा। उसका मुकाबला करना होगा।

अध्यक्ष महोदय, अंग्रेज आये, अंग्रेजों के कितने से सिपाही थे। 100 में 16 सिपाही अंग्रेज थे बाकी तो हमारे देश के ही थे। हमारे देश के, समाज के इस प्रकार से टुकड़े कर रखे थे कि वे ही अपने भाइयों से लड़ने आ जाते थे। पंजाब पर अटैक करना है तो बिहार से सिपाही ले आते थे, जाट से लड़ाना है तो राजपूत को ले आते थे, राजपूत से लड़ना है तो जाट को ले आते थे। इस तरह से वर्गों में आपस में संघर्ष करा कर अंग्रेजों ने हिन्दुस्तान को गुलाम बनाया था। अगर देश को एक रखना है, समाज को एक रखना है तो इस टकराहट को खत्म करना होगा। पिछड़े वर्ग की बहबूदी के लिये जितनी योजनायें बन रही हैं वह समय पर पूरी करनी होंगी वरना हमारे प्रजातन्त्र का कोई महत्व नहीं रहेगा। आज जिस प्रकार से जो विकृत समाज नजर आ रहा है, प्रजातन्त्र के ऊपर से जो लोगों की आस्था उठती नजर आ रही है। लोग अंगुलियां उठाने

(श्री यदुनाथसिंह)
लगे हैं। उसका कारण यही है कि हमारे समाज में बहुत टकराहट पैदा हो रही है। इस टकराहट को मिटाने की आवश्यकता है। समाज में टकराहट होगी तो उसकी परिणिति अभी ही नजर आयी है क्योंकि समाज का ही अंग है यह सदन भी। पहले समाज है उसके बाद सब कुछ है। इसलिए जो योजनायें हैं उनको सही तरीके से चलायें।

आदिवासियों की तो और भी बुरी हालत है, अध्यक्ष महोदय। राजस्थान के आदिवासियों के बारे में तो एडवर्स रिपोर्ट इसमें लिखी है। उनकी हालत को सुधारने के काम को पूरा करने में सरकार ने न सिर्फ कमी रखी बल्कि अपनी तरफ से इग्नोरेंस पूरी तरह बरती है अध्यक्ष महोदय, यह जो वर्ग है इसको समाज में बराबर लाइये। बराबर लाकर जब तक समता का और एक प्यार भरा समाज नहीं बनायेंगे तो हिन्दुस्तान का आजाद रहना बहुत मुश्किल होगा। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : श्री चतुर्भुज जी बोल रहे हैं।

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) : अध्यक्ष महोदय, आज अनुसूचित जाति और जन जाति के आयुक्त की रिपोर्ट पर मैं अपने विचार पेश करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, इस वर्ग के लिये हिन्दुस्तान में आज तरह-तरह की योजनायें लागू कर रखी हैं। हमारे स्थान में भी वह योजनाएं हैं और आपकी नजरों में भी हैं सारे राजस्थान में हैं, और प्रदेशों में भी हैं। जहां तक हम देखते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों की मदद करने के लिए राज्य सरकार की ओर से जो योजना बनायी गयी है, वह सही मायने में, अध्यक्ष महोदय, उस स्थान पर लागू नहीं की जाती और उस वर्ग को उसका लाभ नहीं मिलता, मेरा ऐसा मानना है। मैं इसके बारे में आपको एक सुझाव देना चाहता हूं। इस वर्ग को लाभान्वित करने के लिए आई. आर. डी. की योजना चल रही है, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस वर्ग को 10 प्रतिशत भी फायदा नहीं मिल रहा है इस योजना से। उस स्थान पर वह लोग कानून कायदे से वाकिफ नहीं हैं; योजना से वाकिफ नहीं हैं। किसी भी तरह से चालाकी करके उस योजना को नाजायज स्थान पर पहुंचाया जाता है। आज सब्सिडी के नाम पर लाखों करोड़ों का बजट आता है। हम इस बात को जानते हैं कि बनास नदी और काफी वर्णन है, उस स्थान पर हमारे पास खाद और सीमेन्ट वगैरहा जो भी चीजें आती हैं, वह सब्सिडी के नाम पर, शिड्यूल ट्राइब्स, हरिजनों के नाम पर आती हैं। उसको कौन लोग ले लेते हैं, यह देखना है। आपको इसके लिए सुझाव देना चाहता हूं। वह सारी सब्सिडी 85 प्रतिशत बाजार में जाती है। जो भी आदमी बाजार में आते हैं, मान लो, गरीब किसान कोई भी काम के लिए आता है उससे दुकान पर हस्ताक्षर करा लेते हैं, अंगूठा टिकवा लेते हैं। उसके नाम के चाहे 20 कट्टे सीमेन्ट के हों, चाहे 20 कट्टे खाद के हों, उनका ब्लैक होता है। उसको पता नहीं चलता। आते हैं किसी काम से, आते हैं कपड़ा लेने, आते हैं गुड़ लेने, आते हैं शक्कर लेने, आते हैं कोई

(श्री चतुर्भुज)

और काम, उनसे हस्ताक्षर करा लेते हैं; प्रपत्र भरवा लेते हैं और उसका नाजायज फायदा दूसरा वर्ग उठाता है, उसको पता नहीं लगता है। करोड़ों रुपया जो अनुदान का आता है व सब्सिडी का आता है, इस वर्ग के लिए, उसको सही मायने में सरकार इस वर्ग तक पहुंचाना चाहती है तो पंचायत समिति के स्तर पर सब्सिडी देने की प्रणाली लागू होनी चाहिये। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बिल्कुल निराधार है। 80 प्रतिशत सब्सिडी नाजायज स्थान पर जाती है, 2नम्बर के लोगों के हाथ में जाती है। कितने ही आदमी ऐसे हैं, मैं यह नहीं कहता कि लोकल आदमी हैं, सरकारी और गैर सरकारी आदमी दोनों मिलकर इस सब्सिडी, जो इस योजना में आती है, के धन का दुरुपयोग कर रहे हैं।

(3.53 म. प.)

(श्री माधवसिंह दीवान, सभापति, पीठासीन)

80-85 प्रतिशत धन का दुरुपयोग होता है। इसलिए मैं यह सुझाव देना चाहता हूं आपके द्वारा, सभापति जी, यह जानकारी देना चाहता हूँ, अगर हरिजन; अनुसूचित जन जाति के लोगों का भला करना चाहते हो तो जितना धन आता है इन लोगों के लिए, गांव के लिये उसको देने की प्रणाली में परिवर्तन किया जाए। डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो नियम हैं उनको हटाया जाये। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति स्तर पर इसको देने का सिस्टम लागू किया जाये जिससे आम आदमी इसको जान सके। आम आदमी जिसको बताना है, इस योजना से तभी वाकिफ हो सकता है। किस आदमी को सब्सिडी मिलनी चाहिये, किस को सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिये, उससे तभी वाकिफ हो सकता है, नहीं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बड़ा अफसर बैठा रखा है उसकी नीति से पता नहीं कहां तो सब्सिडी बंटती है, कहां नहीं बंटती है। आज हम देखते हैं, हजारों लोग चारे के नाम से लोन लेते हैं और चारे का पता ही नहीं। आप कहो तो मैं बता दूं। पोट का मुंह बांधकर वह आपके सामने लाते हैं; धन का पता नहीं कौन ले जाता है। सब्सिडी का पता नहीं, सब्सिडी लेने वालों को कोई पता नहीं। वे समझते ही नहीं सब्सिडी क्या होती है, सब्सिडी कैसे मिलती है।

एक मेरा सुझाव आपके द्वारा यह है कि अगर गरीब वर्ग को, शिड्यूल्ड ट्राइब्स को, हरिजनों को, गरीब घरों को सहायता देना चाहते हो, उस स्थान पर इस धन को पहुँचाना चाहते हो तो इस नीति में परिवर्तन करने होंगे, इन नियमों में सुधार करना होगा। आखिरी घर तक सहायता पहुंचे इसके लिए राज्य सरकार को योजना बनानी होगी। मैं यही कहना चाहता हूँ।

श्री सभापति : श्री रामकिशोर मीणा।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : सभापति महोदय, जो आयोग की रिपोर्ट है उस पर चर्चा करने से पूर्व मैं इस अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री राजा मल्लू जी, जिनका 24 तारीख को निधन हो गया, के निधन पर श्रद्धांजली अर्पित करता हूँ। इस आयोग में उन्होंने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सन् 1952 से उन्होंने इस वर्ग की सेवा में बहुत बड़ा योगदान किया है।

(श्री रामकिशोर मीणा)

सभापति महोदय, इस रिपोर्ट के अन्दर यह बताया गया है कि 30-35 वर्ष से संविधान के तहत व्यवस्था होने के बावजूद जितनी प्रगति इन समाजों की होनी चाहिए थी वह नहीं हो पायी और कई मामलों में तो 1 और 2 प्रतिशत से ज्यादा विशेष प्रगति इस क्षेत्र में नहीं हो सकी। इस रिपोर्ट में कहा गया है, सभापति महोदय, कि समाज में किसी परिवर्तन को स्थायित्व प्रदान करने के लिए, रिपोर्ट दी गई थी उस समय की बात है, 32 वर्ष का समय कम नहीं होता, परन्तु शताब्दियों के पापों का प्रायश्चित पूर्ण रूप से करने के लिए यह अवधि बहुत लम्बी भी नहीं मानी जा सकती। इस दिशा में जो किए गए प्रयत्न हैं, वह समय और समस्या की गम्भीरता को देखते हुए काफी नहीं हैं। सभापति महोदय, इस रिपोर्ट के अन्दर कहा गया है, विभिन्न योजनाओं के मातहत केन्द्र सरकार और राज्य सरकार ने विशेष धन देने की व्यवस्था की है लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह आई है कि राज्य सरकार इन योजनाओं को जिस भाव से योजनाएं लागू की गई हैं, न तो उस भाव से लागू कर पाई है, न जितनी धनराशि आवंटित की गई है उसको पूर्ण तौर से खर्च कर पाई है। कई मामलों में केन्द्र सरकार हमको जो राशि देती है उन योजनाओं की राशि भी लैप्स हो जाती है, उसका उपयोग राज्य सरकार पूरी तरह से नहीं कर पाती। सबसे तगड़ी बात इसमें यह है, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के व्यक्तियों के साथ जमीनों के एलॉटमेण्ट को लेकर मामले हुए हैं। जितने भी एट्रोसिटीज के मामले हैं, उनमें सबसे अधिक मामले इस जमीन के सम्बन्ध में हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जितने भी मारपीट के, हरिजनों के साथ अत्याचार के मामले हैं, उनमें सर्वाधिक मामले जमीन के विवाद को लेकर हुए हैं। जमीन के मामलों और इन वर्गों के अन्य मामलों को ले करके विशेष न्यायालय स्थापित करने के बारे में इस रिपोर्ट में प्रावधान किया गया है। माननीय सभापति महोदय, हमारी राज्य सरकार ने घोषणा की थी हमारे यहां पर पिछले विधान सभा सत्र के अन्दर, सत्र चल रहा था उस समय घोषणा की गई थी माननीय विधि मन्त्री के द्वारा कि हमने तीन स्पेशल कोर्ट्स कायम कर दिए हैं और उन्होंने 1-12-80 से कार्य प्रारम्भ कर दिया है। माननीय सभापति महोदय, मुझे आज सुनकर ताज्जुब होता है, आज तक भी इन केसेज का ट्रान्सफर नहीं हो पाया है एक। दूसरा, विधान सभा में प्रश्न संख्या 17 के जवाब में बताया गया है कि जो स्पेशल कोर्ट्स खोली गई हैं वो बिल्कुल अनुपयुक्त सिद्ध हुई हैं। इन कोर्ट्स को खोलने की जो भावना थी, वह पूर्ण नहीं हुई। वित्त मन्त्री जी ने इसी सत्र में घोषणा की है कि तीन भ्रमणशील न्यायालय हम और खोलने जा रहे हैं। लेकिन, माननीय सभापति महोदय, उनका न तो कार्य क्षेत्र बांटा गया है, न उनके कार्य का ट्रान्सफर हुआ है। इसकी बदौलत आज बेचारे आदिवासी, हरिजन, जिनके पहली कोर्ट्स के अन्दर केसेज हैं हो सकता है उनके तहत उनका निर्णय हो जाता, उनको न्याय मिल जाता लेकिन वे दर दर चक्कर काट रहे हैं। सौ-डेढ़ सौ दो सौ किलोमीटर तक काश्तकार अपने केसेज के लिए आते

(श्री रामकिशोर मीणा)

हैं, उनकी सिर्फ तारीखें बदली जाती हैं। उन मामलों में कोई विशेष प्रगति भी नहीं हुई। मैं इस मामले में निवेदन करना चाहूंगा हरिजनों पर अत्याचार के मामले रोजाना सामने आ रहे हैं। कल के पत्र राष्ट्रदूत के अन्दर था कि गंगानगर के ग्राम सोनाड़ी के अन्दर 11 हरिजन परिवार की महिलाओं को बुरी तरह से सवर्ण लोगों द्वारा पीटा गया। उनके घरों को आग लगा दी गई। माननीय सभापति महोदय, मैं मांग करता हूँ सरकार से, उनकी अभी तक क्या व्यवस्था की? अब तक जितनी भी धनराशि हरिजन एट्रोसिटीज के नाम से...

श्री दूलाराम (समाज कल्याण मन्त्री): माननीय सभापति महोदय, मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि मेरा उत्तर तो इसमें आयेगा नहीं गंगानगर जिले के ग्राम सोनाडी में 17 परिवार एक तरफ रह रहे थे बाकी सारी बस्ती एक तरफ थी। उन लोगों को उन पर यह शक हो गया कि ये ही रात दिन चोरी करते हैं। इस विषय को लेकर आपस में टकराव हुआ। यह अलग मैटर है, उनका केस कैसे बनता है उससे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। उसके बाद कलेक्टर साहब ने इन्फार्मेशन भेजी कि 17 परिवारों के घरों को आग लगा दी गई और उनके साथ मारपीट की गई। हमने विशेष प्रबन्ध किया और 50 हजार रुपया इमीजिएटली प्रबन्ध करवाकर उनके पास पहुँचा दिये, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ।

श्री रामकिशोर मीणा: इसके लिए तो धन्यवाद।

इसी प्रकार से कल इसके ऊपर चर्चा हुई थी कि ग्राम लोंगटपुर में क्या हुआ? ग्राम लोंगटपुर के अन्दर डकैतों के गिरोह ने धावा बोला। 21 रोज हो गए आज उस घटना को लेकिन आज तक उन हरिजनों का पता तक नहीं लग पाया कि कहां हैं, किस स्थिति में है उनके खाने पीने की भी व्यवस्था है या नहीं। उनका जो माल था, जैसी कि रिपोर्ट कल बताई थी, किसी के पांच सौ रुपये का नुकसान हुआ है, किसी के 6 सौ रुपये का नुकसान हुआ है, यह तथ्य वास्तविकता से परे थे! गृह मन्त्री जी यह तक तो बता नहीं पाये कि कितने हरिजन परिवार भाग कर गये हैं। मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इन वर्गों पर एट्रोसिटीज के सम्बन्ध में बजट के अन्दर विशेष प्रावधान किया गया है लेकिन पिछले 2-3 वर्ष की स्थिति आप देखें तो वह पैसा हमारा लैप्स हो रहा है। जिस समय उनको मदद की आवश्यकता होती है उस समय उनको मदद नहीं दे पाते हैं। लोंगटपुर के जो बेचारे जाटव परिवार थे जिनकी संख्या 70 बताई है, मेरी मान्यता है कि कम से कम 100 परिवार हैं। आज गांव उजड़ गया है। आसपास के जितने भी हरिजन, जाटव परिवार वहां हैं। वह भी घर बार छोड़कर जा रहे हैं, अपना पता तक नहीं देकर जा रहे हैं। इतने भयभीत हैं कि वह पता तक नहीं देकर जा रहे हैं इसलिए कि पता नहीं इनको वहां जाकर मारेंगे। इस तरह की बातें जहां होती हैं तो हमारे राज्य प्रशासन की यह विशेष जिम्मेदारी हो जाती है कि उनको पुनर्वासित तो किया जाय साथ ही विशेष मदद दी जाय। उनकी सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की जाय।

(श्री रामकिशोर मीणा)

एट्रोसिटीज के नाम पर अभी परसों ही मध्य प्रदेश विधान सभा में भयंकर हो हल्ला हुआ है। वहां 5 हरिजन महिलाओं, जो कि सारी की सारी आदिवासी थीं, के साथ रेप किया गया। गैंग रेप किया और रेप करने के बाद उनका मर्डर कर दिया गया, उनके घरों में आग लगा दी गई। इस तरह की घटना राजस्थान में भी कई बार प्रकाश में आई है उनका बाद में उपाय हुआ है लेकिन समय पर जितनी मदद मिलनी चाहिये उतनी नहीं मिल पाई। सन् 1982-83 में हरिजनों के साथ जो एट्रोसिटीज हुई हैं उनमें हत्या के 33 मामले हुए, मर्डर हुए 154, बलात्कार के 50 मामले हुए। यह टोटल जो है, इसके अन्दर 63 महिलायें हैं। जो टोटल 281 बलात्कार हुये उन घटनाओं में 63 महिलायें एस. सी. और एस. टी. की थीं और मेरी जानकारी के अनुसार सिर्फ 20 महिलाओं के परिवार को आज तक मदद दी गई है। जितनी भी महिलाओं के साथ एट्रोसिटीज हुई हैं उनको सरकार मदद दे इसके बारे में सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहूंगा कि हरिजनों के नाम से और आदिवासियों के नाम से केन्द्र सरकार हमको विशेष अनुदान के रूप में और अपनी विभिन्न परिवर्तित योजनाओं के मार्फत बहुत ज्यादा धनराशि देती है। इस संबन्ध में विधान सभा में माननीय हरिसिंहजी के प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि किसानों के नाम से ढाई करोड़ रुपये का केन्द्रीय सरकारी बैंक, कोटा के द्वारा गबन किया गया है, आदिवासियों के नाम से वह पैसा आया था। गन्ना उत्पादन के नाम से जो पैसा दिया गया उसको बिल्कुल फर्जी तरीके से सवर्ण लोगों में बांट दिया गया और बैंक कर्मचारियों के द्वारा सारी की सारी रकम हड़प ली गई। कुल बीस करोड़ रुपये थे। सहकारिता मंत्री जी ने यह स्वीकार किया था कि इसमें बहुत बड़ा गबन हुआ है, घोटाला हुआ है और सवर्णों ने आदिवासियों के नाम से पैसा उठाया है और उसमें अब तक 3 कर्मचारी सस्पेंड किये गये हैं। लेकिन जिस तरह का अपराध है उसको देखते हुये सजा बहुत कम है। वह पैसा ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी रिकवर किया जाना चाहिये।

सभापति महोदय, एक महत्त्वपूर्ण बात मेरी जानकारी में है। हरिजनों और आदिवासियों के नाम से जो सरकार ऋण हमको देती है, अनुदान देती है उसका किस तरह से दुरुपयोग करके सवर्ण जाति के व्यक्ति नाजायज फायदा उठा रहे हैं। दौसा के अन्दर एक टिन फैक्ट्री है सन् 75 में उसकी स्थापना हुई थी। जयपुर की एक फर्म थी कमल मेटल इन्डस्ट्रीज। उसको सन् 1981 के तहत यहां इण्डस्ट्रीयल एरिया के अन्दर प्लाट आवंटित किया गया और उसको टीन की फैक्ट्री चालू करने के लिये आर. एफ. सी. ने लोन दिया। उसको काफी परेशान किया गया। मिस्टर खेमका ग्रुप ने दौसा की जो टिन फैक्ट्री थी उसके साथ पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप डीड के अन्दर उसका हिस्सा 49 प्रतिशत था और शिड्यूल्ड कास्ट वालों का 51 प्रतिशत था। वर्किंग पार्टी में मिस्टर खेमका ग्रुप वाले थे उन्होंने मिल

(श्री रामकिशोर मीणा)

करके एक योजना बनाई कि इसका फायदा जो हमको मिलना था वह तो मिल गया, अब किसी तरह से हम इनका अपने लिये उपयोग करें। पार्टनरशिप की पावर ऑफ अटार्नी मिस्टर सुरेश कुमार को दी हुई थी। उन्होंने उस पावर ऑफ अटार्नी का दुरुपयोग करते हुये 4-5-1982 को यह कहा कि इन्होंने अपनी पार्टनरशिप खत्म कर दी है। इस प्रकार जो एस.टी. के लोग थे उनको फर्म से अलग कर दिया। मंत्री महोदय को मैं निवेदन करता हूं कि कमल मैटल इन्डस्ट्रीज, जो कि इसमें भागीदार है और जिसका प्रमुख रूप से व्यवसाय था, ने 30-4- को आयुक्त महोदय, उद्योग विभाग, व उद्योग विभाग के शासन सचिव को और उप-निदेशक महोदय और डाइरेक्टर और जितने भी यहां पर विभाग के अधिकारी थे सबको यह बता दिया, अपने पत्र में यह लिखा कि—

श्री सरोज कुमार खेमका, श्री श्रीनारायण खेमका व श्री आनन्द कुमार खेमका को मैंने पार्टनर्स बनाने के लिये आपके यहां एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 24-11-1981 को दिया था व आपने दिनांक 1-12-1981 को इन्हें पार्टनर्स स्वीकार किया था, लेकिन जो हमारे से इनकी टर्म्स एवं कन्डीशन्स तय हुई थीं उससे यह मुकर गये हैं। मुझे अनुभव हो रहा है कि इनकी नियत में बद-नियती आ गई है। जैसा कि विभाग को भी यह आश्वासन दिया गया था कि मैसर्स कमल मैटल इण्डस्ट्रीज में जो उत्पादन आ रहा है वह उत्पादन लगातार किया जावेगा व मुझे रोहतास इन्डस्ट्रीज की जयपुर की दोनों ब्राण्डों के घी की डीलरशिप दिलायेंगे, लेकिन इनकी बदनियती से यह जाहिर होता है कि इन्होंने मेरी पुरानी जितनी भी मशीनें थीं उनको फैक्ट्री से निकाल बाहर किया है व मेरे साथ ही नहीं बल्कि विभाग के साथ भी विश्वासघात किया जा रहा है और इसमें सिर्फ टिन मैन्यूफैक्चरिंग का कार्य चालू कर दिया है जबकि यह तय था कि कुछ फैक्ट्री में शेयर के हिस्से भी चालू करेंगे।

अतः आपसे निवेदन है कि जो मैंने इनसे पार्टनरशिप की थी उसे कैन्सिल समझी जाय व भविष्य में मेरी फैक्ट्री के बाबत उनके द्वारा की गई किसी भी कार्य-वाही को मान्यता नहीं दी जावे।

सभापति महोदय, इन्होंने सब जगह 30-4- को इसकी रिसीप्ट कराई है लेकिन वह सारी की सारी एप्लीकेशन्स जो इन्होंने दी थीं उनको गायब कर दिया डाइरेक्टो-रेट के अधिकारियों से मिल कर के गायब कर दिया। उस सारी इण्डस्ट्रीज पर कब्जा आज शिड्यूल कास्ट्स का न होकर सवर्णों का है। उन्होंने सारा जो फायदा, एस. सी., एस. टी. के नाम से मिलना चाहिये था, ले लिया और वह शिड्यूल्ड कास्ट के व्यक्ति बेचारे आज दर-दर भटक रहे हैं, जिन्होंने कि बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके वह इण्डस्ट्री लगाई थी। आज उनको दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। मुझे कहते हुये बड़ी शर्म आ रही है कि उसमें किसका हाथ है। उसमें एक प्रदेशाध्यक्ष का हाथ है जो कि सत्तारूढ़ दल के हैं। उन्होंने यह सारे का सारा काण्ड किया है। तो सर-कार की बदनीयती कितनी तगड़ी है, इसका इससे आभास मिल जाता है। इसमें जो दूसरे पार्टनर हैं वे बहुत तगड़े सेठ हैं

(श्री रामकिशोर मीणा)

जिन्होंने शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के जितने फायदे होने चाहिये उनका दुरुपयोग किया। उनके नाम पर वे खा रहे हैं।

दूसरा, माननीय सभापति महोदय, इनको मुक्त कानूनी सहायता देने के बारे में व्यवस्था है।

राज्य सरकार ने हमारे आठ दस साल से यह व्यवस्था कर रखी है कि जो गरीब वर्ग के व्यक्ति हैं उनको न्याय मिले। 82-83 के बजट में उनके लिये यह राशि दो लाख रुपये मन्जूर की गई थी लेकिन आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि 31-1-83 तक केवल 15 हजार रुपये खर्च हुए हैं, दो लाख रुपये के पेटे, इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति क्या हो सकती है। हम जिस वर्ग को मुक्त कानूनी सहायता इसलिये दे रहे हैं कि उसके कानून को इस तरह पेचीदा बना दिया कि आम आदमी अदालतों तक जा नहीं पाता। आज तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज की यह मान्यता है कि जो गरीब वर्ग का व्यक्ति है, जिसको वास्तविक न्याय की जरूरत है वह हमारे दरवाजे तक आ ही नहीं पाता क्योंकि उसकी हालत दयनीय है।

इस रिपोर्ट में यह बताया गया है उसके आधार पर सरकार से यह जो अपेक्षा की गई थी। नीति निर्देशक सिद्धान्तों के तहत हमारे संविधान में जो व्यवस्था की गई थी उसका खुले रूप से उल्लंघन हो रहा है। एक इस तरह की घटना पिछले समय में हुई है। यहां पर दो तरह के छात्रावास चलते हैं एक तो सरकारी छात्रावास और दूसरा अनुदानित छात्रावास। माननीय सभापति महोदय, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि उनमें विभेद किया जाय। लेकिन इन वर्गों में विभेद करने में राज्य सरकार सफल रही है अपने बजट और अपनी नीतियों के मार्फत, यह मेरा आरोप है। उस आरोप का आधार यह है कि माननीय नन्दलालजी मीणा को प्रश्न संख्या 1381 के जवाब के मार्फत यह बताया है, जो राज्य सरकार द्वारा संचालित छात्रावास हैं उनको दो वर्गों में विभाजित कर दिया है। एक को तो आपने पंचायत समितियों में ट्रान्सफर किया और दूसरे को आपने स्वयं अपने पास रखा है। जिसे आपने स्वयं अपने पास रखा है वे तो फिर भी चल रहे हैं लेकिन जिनको आपने पंचायत समितियों में ट्रान्सफर किया वह अधिकांशतः बन्द होने की स्थिति में आ गये हैं और बन्द ही हो गये हैं। इसके बारे में आपने विभेद करने की नीति क्यों अपनाई? माननीय मन्त्री महोदय, भरतपुर, धौलपुर, जालौर, चूरू, झुन्झुनू, सीकर जिले के छात्रावासों को तो आपने ट्रान्सफर नहीं किया लेकिन बाकी जिलों के छात्रावासों को आपने कर दिया। इसी तरह जो अनुदानित छात्रावास हैं उनको भी ट्रान्सफर किया। जिन अनुदानित छात्रावासों को आपने पंचायत समितियों को ट्रान्सफर किया उनकी तो हालत यह है कि वे प्रायः बन्द हो गये हैं। उनके लिए भी आपने विभेदकारी नीति अपना ली। भीलवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, टौंक, भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, अलवर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, चूरू, 15 जिलों में तो आपने इनको पंचायत समितियों में ट्रान्सफर नहीं किया और बाकी के जिलों में ट्रान्सफर कर दिये। मैं माननीय मन्त्री महोदय से आपके मार्फत यह पूछना चाहूंगा

106

(श्री रामकिशोर मीणा)
कि आपने इसमें सरासर पक्षपात करने की चेष्टा की है और उसके मार्फत जो गरीब वर्ग के व्यक्ति हैं ....

श्री छोगाराम बाकोलिया : सबको ट्रान्सफर नहीं किया, रूरल एरियाज के छात्रावासों को ट्रान्सफर किया है, माननीय सदस्य।

श्री नन्दलाल मीणा : आपको मालूम नहीं है, रूरल एरियाज में भी नहीं किये हैं। दोनों जगह नहीं किये हैं। आपको पूछता कोई नहीं है, आप डिप्टी रेन्क के रह गये इस कारण से आपको पता तो कुछ रहता नहीं।

श्री भंवरलाल शर्मा : पता नहीं है तो काहे को बोलते हैं।

श्री रामकिशोर मीणा : अपाइन्टमेन्ट के बारे में इस रिपोर्ट में बहुत कुछ बताया गया है। सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत चैलेन्ज करता हूं कि राजस्थान सरकार के जितने भी विभाग हैं उनमें कुल पद संख्या के अनुपात में एस. टी. और एस. सी. का एक पर्सेन्ट कोटा भी फिलअप नहीं हुआ है। विभिन्न रिपोर्ट में इसके बारे में व्यवस्था की गयी है। पेज 97 पर यह बताया गया है। वर्ष 73-74 के पैरा 3.15 और वर्ष 75-77 की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गयी थी कि अग्रेषित करने की व्यवस्था 'क' समूह और 'ख' समूह के चयन प्रणाली में भी लागू की जानी चाहिये। पिछली रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि सभी मामलों, चाहे उनमें नियुक्ति सीधी भर्ती से होती हो या पदोन्नति से होती हो, में रिक्तियों को समाप्त होने दिया जाय। इसका अर्थ है कि आरक्षित रिक्तियों को तब तक अग्रेषित किये जाने की अनुमति दी जानी चाहिये जब तक कि उन्हें अन्ततः न भर दिया जाय। यह रिकमण्डेशन उन्होंने बार-बार की है लेकिन उस रिकमण्डेशन का, माननीय मन्त्री महोदय, क्या हुआ? वे सिर्फ हमारे कागजों में है। एस. सी., एस. टी. के बारे में यह बताया जाता है कि इनके केण्डीडेट्स जिस योग्यता के मांगे जाते हैं उस योग्यता के प्राप्त नहीं होते। माननीय मन्त्री महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या क्लास फोर्थ के लिये भी हमारे आदमी नहीं हैं? आप प्रतिशत निकाल लें, आज जो सीधी भर्ती आई. ए. एस., आई. पी. एस. और राजस्थान की सर्विसेज में हैं उसमें भी हमारा रिजर्वेशन का कोटा है जो टॉप मेरिट पर आता है उस मेरिट के हिसाब से नम्बर लाने वाले हमारे छात्र हैं लेकिन यह कह करके कि योग्य छात्र नहीं आते, योग्य केण्डीडेट नहीं आते, वेकेन्सीज को जनरल कर दिया जाता है। बार बार रिपोर्ट में कहा गया है कि उन आरक्षित रिक्तियों को तब तक के लिये आगे बढ़ा दिया जाय, रिजर्व रखा जाय जब तक कि एस. सी., एस. टी. के केण्डीडेट अवेलेबल नहीं हो जायं। मेरा चेलेन्ज है कि जितनी टोटल स्ट्रेन्थ डिपार्टमेन्ट में है उसके हिसाब से आज किसी भी विभाग में एक पर्सेन्ट और दो पर्सेन्ट से ज्यादा शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स कोटा पूरा नहीं किया गया है। हमारे उच्च अधिकारी, जिनका आज तक वर्चस्व रहा है, जान बूझकर उसको पूरा नहीं होने देते। मन्त्री महोदय भी उनके चक्कर में आ जाते हैं क्योंकि वह तो बनाये ही उनकी मार्फत हैं। उनके मन में बड़ी कसक है लेकिन वह

(श्री रामकिशोर मीणा)
कर नहीं पाते। दिखावा तो है कम से कम।

श्री नन्दलाल मीणा : कसक यदि आपके मन में है तो घोषणा करें कि रिजर्वेशन की पालना कराई जायगी।

श्री दुलाराम : ऐसा है, माननीय सदस्य, आप तो कह सकते हैं मगर आप नहीं कह सकते क्योंकि आप भी राज के पार्ट रहे कम से कम दो साल। ये जो पढ़ रहे हैं रिपोर्ट, वह किसकी है आपको पता नहीं है।

(व्यवधान)

मेरा निवेदन है, आप जो बोल रहे हैं, यह रिपोर्ट किसकी पढ़ रहे हैं ?

(व्यवधान)

मेरा निवेदन तो सुन लीजिये। आप बिराजिये, आपका मामला तो सब ठीक ही है। यह 78 की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, आप सुनिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं तो सुन रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री दुलाराम : आपने घपले किये हैं वह खोलूंगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप क्या कर रहे हैं, यह जो कुछ हुआ है वह हमारे टाइम में हुआ है, थोड़ा बहुत जो हुआ है····

श्री रामकिशोर मीणा : पदोन्नति के बारे में रिपोर्ट में यह निर्देश दिये हैं कि जो रोस्टर प्रणाली है और जो जोन ऑफ कन्सीडरेशन है उसको लागू किया जाय। 40 पाइन्ट तक का रोस्टर सिस्टम लागू है और पांच गुना तक उसको बढ़ाकर केण्डीडेट को एलीजेबल घोषित करने की योजना है। माननीय मन्त्री महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राजस्थान गवर्नमेन्ट के कितने ऐसे विभाग हैं जो इस योजना को लागू करते हैं ? जो निर्देश हैं केन्द्र सरकार के और इस रिपोर्ट के, आपने उनको कितना लागू किया है ? हमारी स्टेट गवर्नमेन्ट के डिपार्टमेन्ट्स ही लागू नहीं करते इसलिये कार्पोरेशन और आटोनॉमस बॉडी का तो कहना ही क्या है। बार बार निर्देश देने के बावजूद आर. एस. ई. बी. के अन्दर कितना पालन हो रहा है ? हमारे जो सबसे बड़े न्यायालय हैं, चाहे छोटे हों चाहे उच्च न्यायालय हों वहां भी शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का कोटा पूरा नहीं किया गया। जो कि एक बहुत बड़ी सीढ़ी मानते हैं उसमें भी इस योजना को लागू नहीं किया गया।

हमारी तीन तरह की योजनाएं हैं। एक तो ट्राइबल सब-प्लान है, दूसरी मॉडल योजना अलग से बनाई गई है और तीसरी योजना कलस्टर प्लान है जिसके माध्यम से शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स, विशेष तौर से आदिवासियों को हम लाभ पहुंचाते हैं। इनके लिये हमने 37 मिनी ब्लाक्स बनाये थे। शुरूआत में यह निर्णय लिया गया था कि जो अलॉटमेन्ट हो फण्ड्स का, बैकवर्ड क्लास के लिये उसका कम से कम दस पर्सेन्ट रिजर्व रखा जाय। इस आधार पर धनराशि का अलॉटमेंट किया

(श्री रामकिशोर मीणा)
जाए। लेकिन, मन्त्री महोदय, इस निर्देश का पालन नहीं किया जा रहा है। आज जो अलॉटमेंट होता है इन 37 ब्लॉक्स में, वह पक्षपातपूर्ण तरीके से होता है। जो इसके तहत सीधा लाभ पहुँचाने की योजना है उसका हम एक या दो पर्सेंट उस पर खर्च करते है जब कि निर्देश विशेष तौर से रिपोर्ट में यह है कि सीधे लाभ की जो योजना है उसमें ज्यादा से ज्यादा धनराशि खर्च की जाए। जो हम इन योजनाओं के तहत अस्पताल व स्कूल खोलते हैं ये केवल इन जातियों के लिए नहीं होते हैं। इसमें सब के सब देते हैं।

व्यक्तिगत लाभ की जो योजना है उसमें हमारा बहुत कम पैसा खर्च होता है। क्लस्टर योजना के तहत तो बिलकुल ही पैसा बन्द कर दिया। शुरूआत में जब योजना बनी थी, तब कुछ देना चालू किया गया था लेकिन पिछले तीन वर्ष से यह क्लस्टर योजना बंद है, सिर्फ कागजों में है। अपने जवाब में इस सदन में समाज कल्याण मन्त्री, जो कोई भी हो आप हों या और कोई हों, बतायेंगे कि इस क्लस्टर योजना के लिए क्या किया? न तो इसको बन्द किया न इस बारे में और कुछ किया है, छूआछूत मिटाने के बारे में...

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। अन्य बहुत से सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री राम किशोर मीणा : मैंने तैयारी खूब की है।

श्री भंवरलाल शर्मा : हमारे तो यही बोलेंगे।

श्री रामकिशोर मीणा : बोलने वाले 4-5 तैयार हैं, 5 की लिस्ट दी है।

मैं यहां पर निवेदन करना चाहूंगा कि छुआछूत मिटाने के बारे में जो नीति निर्देश दिये हुए हैं और संविधान के तहत प्रावधान किये गये हैं उस बारे में क्या किया? उनके तहत अनटचेबिलिटी के कितने केसेज राज्य सरकार ने अब तक दर्ज किये? उनके बारे में अब तक क्या निर्णय किया? वर्ष में करीब 5-7 घटनायें इस तरीके की आती हैं अखबारों के मार्फत कि वहां पर छुआछूत का यह घृणित अपराध किया गया लेकिन आज तक हमने कहीं भी यह नहीं सुना कि इस छुआछूत के अपराध के लिये फलां जगह पर फलां को दंडित किया गया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं यह बात कहकर समाप्त करूंगा। खैर, सवर्ण तो हमारे साथ छुआछूत करते ही करते हैं लेकिन जो हमारे वर्ग के हैं उनके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। यह जो छोटा वर्ग बिलकुल ही असहाय स्थिति में है, किसी भी स्थिति में नहीं है, वह नहीं जानता कि हमारी योजना क्या है? जब बाड़ ही खेत को खाने लग जाए तो फिर उसका कौन रखवाला रहेगा? राज्य के मन्त्री मंडल के एक माननीय सदस्य ने हमारे एक छात्रावास की जमीन पर कब्जा कर रखा है।

श्री भंवरलाल शर्मा : बोलो कौन?

श्री रामकिशोर मीणा : वह है मंत्री मंडल के एक माननीय मंत्री, श्री दिनेश राय डांगी! आज छात्रावास के बच्चे दर दर भटक रहे हैं और उनकी जमीन पर वह रह रहे हैं।

(109)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इस तरह के आरोप पूरी जानकारी हो तभी लगायें।

श्री भंवरलाल शर्मा : कहते हैं कि आपके मंत्री मंडल के एक सदस्य ने छात्रावास की जमीन कर कब्जा कर रखा है नाजायज उसको तो खाली करवाओ।

श्री सभापति : ऐसा कोई कब्जा नहीं...

श्री भंवरलाल शर्मा : Be bold in these matters, आप तो वैसे ही बोल्ड हैं, इसमें भी जरा दिखा दीजिए।

श्री सभापति : आपको पूरी जानकारी हो, तभी आरोप लगायें।

श्री रामकिशोर मीणा : जानकारी है।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी) : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर।

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है, सत्तारूढ़ दल के अनुसूचित जाति व जनजाति के माननीय सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया था कि दो दिन का समय दिया जाए। इसी सत्र में उनको समय नहीं दिया गया इसलिए केवल मंत्री ही मंत्री दिखाई देते हैं जो अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं और वे लोग चले गये हैं। वॉक-आउट कर गये हैं।

श्री सभापति : कोई वाकआउट नहीं किया है। चर्चा चल रही है उसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है...

(व्यवधान)

कई माननीय सदस्य बोले भी हैं, फिर बोलेंगे।

श्री रामकंवार बैरवा : एक भी मैम्बर अनुसूचित जाति व जनजाति का दिखाई नहीं देता।

श्री सभापति : आखिर काम तो मन्त्री ही करेंगे।

श्री रामकंवार बैरवा : अभी तो हमारी संख्या गिनाने वाले थे कि कितने लोग इधर हैं,

(व्यवधान)

श्री सभापति : यह कोई पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है।

श्री नन्दलाल मीणा : सभापति महोदय, हा पक्ष की लॉबी देखिए, इससे साबित होता है कि पिछड़े हुए और आदिवासियों के प्रति इनकी भावना क्या है। उपस्थिति देखिये आप, 145 की तुलना में 15 सदस्य हैं जिसमें 5 तो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं।

श्री शिवदानसिंह राठौड़ (जैतारण) : सब बोलेंगे।

एक माननीय सदस्य : सब उठकर चले गये।

श्री नन्दलाल मीणा : हमारा एक ही बहुत है, एक हजार के बराबर है।

श्री सभापति : आप कुछ इन्टरेस्टिंग बात कहिये ताकि लोग यहां बैठकर सुनें।

श्री शिवदानसिंह राठौड़ : तैयारी तो की नहीं, तैयारी करके बोले नहीं, रिपोर्ट पढ़ी नहीं तो क्या बोलेंगे?

(व्यवधान)

श्री रामकिशोर मीणा : इनका इन्ट्रेस्ट कहां जो हरिजनों की बात सुन सकें।

श्री गोकुलचंद शर्मा (सुमेरपुर) : ये तो अभाव अभियोग रख रहे हैं, अभी तक रिपोर्ट की कोई बात नहीं की।

श्री रामकिशोर मीणा : पेज 67 से पढ़ा है, प्रोसीडिंग्स उठाकर देखें। आपका पता नहीं ध्यान कहां है ?

एक माननीय सदस्य : डांगीजी ने कौन से छात्रावास पर कब्जा कर रखा है ?

अनेक माननीय सदस्य : खाली करवायेंगे क्या ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में बात न करें। जो संबोधन करें, आसन को करें।

श्री रामकिशोर मीणा : सभापति महोदय, राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 42-43 के तहत यह प्रावधान है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स व शिड्यूल्ड ट्राइब्स की जमीन सवर्णों को ट्रांसफर नहीं की जा सकती।

श्री सभापति : शिड्यूल्ड कास्ट्स के सदस्य उपस्थित हैं, आप फर्मा रहे थे कि नहीं हैं।

अनेक माननीय सदस्य : अब आए हैं।

श्री शिवदानसिंह राठौड़ : शिड्यूल्ड ट्राइब्स के सदस्य नहीं दिखते हैं, आर. एस. एस. के सदस्य दिखते हैं।

एक माननीय सदस्य : हमें अगले सैशन में दो दिन का टाइम मिलेगा उस समय बोलेंगे। आप बोल लें आराम से।

श्री रामकिशोर मीणा : मैं निवेदन कर रहा था कि टिनेन्सी एक्ट की पूरी पालना नहीं हो रही है। सवर्णों द्वारा आये दिन हरिजनों की खेती की जमीन, कृषि योग्य जमीन हड़पी जा रही है। एक उदाहरण में आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। उसका नाम मुझे ध्यान नहीं है, डीग तहसील में एक हरिजन व्यक्ति, जो सन् 1952 से जमीन जोतता आ रहा था, के नाम से खातेदारी की जमीन थी। उसके कोई सन्तान नहीं थी, उसके जो दूसरे भाई के लड़के थे उसके नाम जमीन ट्रांसफर करनी थी। लेकिन उस पर सन् 1972 में दूसरे आदमी ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया वह अन्धा था, उसके अंगूठे की निशानी कराकर उसकी जमीन को अपने नाम से निर्णीत करा दिया। एस. डी. एम. के यहां केस चला और उसमें लाला राम जाटव के पक्ष में निर्णय हुआ। उस व्यक्ति ने 5 साल बाद में पटवारी और तहसीलदार से मिलकर जाटव शब्द को हटवा दिया और उसकी जगह जाट शब्द रखा दिया। आज वह जाटव परिवार दर दर भटक रहा है और उस जमीन से उसको बेदखल किया जा रहा है। इस तरह की कुछ कठिनाइयां हैं जिनके बारे में ध्यान देंगे और उन्हें दूर करेंगे।

सभापति महोदय, आर. एफ. सी. के मार्फत शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के व्यक्तियों को लोन की विशेष सुविधायें दी गई हैं। उसमें कुछ अनुदान भी दिया जाता है लेकिन उसके तहत हमारे

(श्री रामकिशोर मीणा)

साथ बहुत बड़ा भेदभाव किया जाता है। जो सिलेक्शन करने वाले हैं, जो इन्टरव्यू लेने वाले हैं वे इन जातियों से विपरीत विचारधारा रखने वाले व्यक्ति हैं। इनको इतना परेशान किया जाता है कि मजबूर होकर बैंकों के चक्कर काटते हैं या साहूकारों के चक्कर काटते हैं। पिछले विधान सभा सत्र और इस विधान सभा सत्र में प्रश्नों के उत्तर के मार्फत बताया गया है कि बहुत बड़ी धनराशि 5-5 हजार की डेढ़-डेढ़ दो-दो साल से जमा है उसका सिर्फ 6 पर्सेंट के हिसाब से ब्याज दिया गया जबकि उन सबको बस देने की योजना थी। तो जो कुछ मामले मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार उन पर ध्यान दे और इस रिपोर्ट में जो निर्देश दिए गए हैं उनके अनुरूप कार्य प्रारम्भ करें और सफलतापूर्वक उनका क्रियान्वयन करायें।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री भैरूंलाल भारद्वाज।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवा रामगढ़) : सभापति महोदय, जहां तक अनुसूचित जाति और जन जाति के उद्धार का सवाल है, हमारे संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि भारत के ऐसे नागरिक जो पिछड़े हुए हैं, कालान्तर से पीढ़ियों से पिछड़े हुए हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक कारणों से, उनको खास तौर से सूचीबद्ध करके किस तरह से लाभ पहुंचाया जाय, इसके लिए विशेष प्रोग्राम बनाये जायं। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति निगम और कई स्कीम बनाकर इसके विकास के कार्यक्रम को चालू किया है। माननीय सभापति महोदय, हमने इस मद में काफी पैसा 35 साल में खर्च किया है। उसमें हमने कुछ कदम ऐसे भी उठायें हैं जिनसे काफी लाभ मिला है। फिर भी, यह एक विचारणीय विषय है कि हम लगातार कितने वर्ष तक इस प्रकार की व्यवस्था जारी रखना चाहते हैं, जिसको हम रिजर्वेशन कहते हैं। आखिर क्या यह इस बीमारी का सही इलाज है। हमने जिस इलाज को शुरु किया है क्या उसमें कहीं कोई कमी खामी रह गई है जिसकी वजह से इस बीमारी का लगातार 35 साल तक इलाज करते रहने के बावजूद सही निदान नहीं हो पाया है। हमें यह बात देखनी होगी कि दोनों में से कौनसा कारण प्रमुख है। हमने जिन योजनाओं को बनाया है उनका लाभ सही व्यक्ति तक, आखिरी व्यक्ति तक पहुंचा है या नहीं? कहीं बीच में इस लाभ को दूसरे लोग तो नहीं हड़प गये? एक तो यह प्रश्न है।

दूसरा प्रश्न यह है, क्या योजनायें बनाते समय ही हमने सर्वांगीण विकास का या उन कार्यक्रमों का ध्यान नहीं रखा है, क्या हमारी योजनाओं में ही कोई डिफेक्ट है? ऐसी बातों पर हमें इस समय विचार करना चाहिये। जहां तक 35 साल के लम्बे अर्से की बात है, यद्यापि देश के निर्माण और यह बहुत बड़े वर्ग के उत्थान के लिए यह अवधि कोई अधिक नहीं है फिर भी, आज देखने में आता है कि एस. सी. और एस. टी. के कुछ सीमित परिवार ही हमारी इतनी बड़ी धनराशि

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

और योजनाओं से लाभ उठा पाये हैं और अधिकांश लोग अभी भी इससे महरूम हैं। स्थिति यह है, आज जो कुछ योजनायें हैं उनसे जो लोग लाभान्वित हो चुके हैं उनका एक विशेष वर्ग बन गया है। माननीय सभापति महोदय, इस विशेष वर्ग ने उन सारी सुविधाओं को अपने तक सीमित कर लिया है। इस वर्ग के लाभान्वित लोग भी उन व्यवस्थाओं का लाभ गरीबों तक पहुंचाने में मदद नहीं करते हैं। मेरा इसमें विनम्र सुझाव यह है कि यह सारी सुविधायें जो हमने गरीब के उत्थान के लिए चालू की हैं उसमें एक सुधार तुरन्त यह करना पड़ेगा कि जो लोग इस वर्ग में इतने समर्थ हैं कि जिनको इस मदद की आवश्यकता नहीं है और हम जिनको बिना आवश्यकता के लगातार मदद दिये जा रहे हैं और जो गरीबों के आड़े आ रहे हैं, उनको इनके बीच में से हटाना पड़ेगा। यह तय करना पड़ेगा कि इस वर्ग में जो समर्थ लोग हैं उनसे वह सारी सुविधायें हमें वापिस लेनी पड़ेगी। इसका छोटा सा तरीका यह है कि जो लोग इनकम टैक्स देते हैं इस वर्ग में ऐसे लोगों को सामान्य लोगों की स्थिति में माना जाना चाहिये और रिजर्वेशन की सुविधाओं की स्थिति से वंचित कर देना चाहिये। इससे एक लाभ तो यह होगा कि सामान्य न्याय की स्थापना होगी। साथ ही दूसरा बड़ा लाभ यह होगा कि जो समर्थ लोग इस गरीब वर्ग पर छा गये हैं वह दूर हटेंगे और वह सुविधाएं वहां तक पहुंचेगी जिनको इस बात की जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, आज भी गांवों के अन्दर छुआछूत मौजूद है, कानून बना हुआ है इतने दिन हो गये इसके बावजूद वह लोगों के व्यवहार में नहीं आया। इस वर्ग में जो पढ़ लिख जाता है, मुझे अच्छी तरह से कई मित्रों के नाम याद हैं जो बातचीत में भी यह स्वीकार करने को तैयार नहीं है बल्कि सवर्णों में बैठकर यह कहते हैं कि हमारा तो इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, जैसे अछूत कोई बुरी चीज हो। वे लोग इनके बीच बैठकर काम करने से भी गुरेज करते हैं। उन मित्रों को जब मैं उनके कर्त्तव्यों की याद दिलाता हूं तो वह शर्मिन्दा होते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि आपकी यह मौजूदा केवल स्थिति इसलिए पैदा हुई है कि आप उस अमुक समाज से पैदा हुए हैं। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, यह बहुत जरूरी है कि जो बिचौलिये लोग समर्थ लोग इन गरीबों का हक ऊपर ही, बीच में रख लेते हैं उनको बीच में से हटाया जाना चाहिये। साथ ही, मैं यह भी निवेदन करूंगा कि इस वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए जो हमने इन्स्ट्रूमेन्ट तैयार किये हैं ...

श्री सभापति : इस वर्ग के अगर मंत्री बन जाते हैं तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है ?

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : मन्त्री यदि बनते हो तो बहुत खुशी है। मैं उनसे यह अपेक्षा करता हूं कि वह उस वर्ग के लिए रात दिन 24 घन्टे एक कर देंगे। मान लीजिये, इस वर्ग के नाम पर सुविधा प्राप्त कर कोई मन्त्री बन जाते हैं परन्तु इस वर्ग के लिए काम नहीं करते हैं तो, माफ कीजिए, मैं समझता हूं इस वर्ग को इससे कोई लाभ नहीं होगा।

श्री सभापति : उनके लड़कों को भी वह सहूलित मिलनी चाहिये या नहीं।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : यदि वह उस रूप में है तो उनको मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता जो इनक्म टैक्स देते हैं उनके लड़कों को व उन स्वयं को इन सुविधाओं को देने का मतलब है इन गरीबों का हक उनको देना है यह अगर मैं कहूं तो कोई बजा नहीं होगा कि इससे उन लोगों को हतोत्साहित होना पड़ता है और वह लोग आगे बढ़ने में दिक्कत महसूस करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि उन गरीबों तक यह योजनायें पहुंचें, इसके लिए जो मशीनरी हमने गठित की है उस पर भी ध्यान देना होगा, साधारण तौर पर सरकारी कर्मचारियों का एक मानस बन गया है कि उसका अपने कर्त्तव्यों के पालन के प्रति कोई ध्यान नहीं है। कुछ आदमियों की बात छोड़ दीजिये जो स्वभाव से ही भले आदमी हैं बाकी आपकी इस व्यवस्था से सरकारी कर्मचारी अपने आप को नौकर मानने को तैयार नहीं हैं। इसलिए नहीं हैं कि नौकर वह होता है जिसको नौकरी करने से वेतन मिलता हो। माफ कीजिए, आपकी व्यवस्था में तो बिना नौकरी किए ही वेतन मिलता है, जिस प्रकार पहले जागीरदारों को मिलता था। आज नौकरशाही में जागीरदारी की प्रवृत्ति हो गई है। जागीरदारी प्रवृत्ति के ये लोग उन गरीबों, एस.सी. और एस.टी. में भावनात्मक ढंग से तादात्म्य स्थापित नहीं कर पाते हैं। उन योजनाओं का लाभ उन तक पहुँचाने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं रहती। माननीय सभापति महोदय, सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हम एस.सी. और एस. टी. का बहुत बड़ा तबका जो राजस्थान में बहुत बड़ी संख्या में है··

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया आपस में बातें नहीं करें।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : उसको आगे लाने के लिए उनके विभाग में काम करने वाले लोगों को भी खास तौर से ढूंढ-ढूंढ कर लगाना पड़ेगा जो सेवाभावी हों और उन लोगों के वास्तविक कल्याण में रुचि रखते हों।

मैं यह समझता हूं कि बजट का जो हिस्सा हमने इनके विकास के लिए रखा है उसमें हमको कुछ प्रायोरिटीज फिक्स करनी पड़ेंगी। गांव में जो एस. सी. और एस. टी. के व्यक्ति हैं वह ढेढ़ आगे जाकर गांव में हैं, बाहर के मोहल्लों, या ढाणियों, पहाड़ी और नदी नालों के इलाकों में ये लोग वास करते हैं। इनकी बेरोजगारी दूर करने का जो सबसे बड़ा माध्यम कृषि है, कृषि के मामले पर हमको खास तौर से ध्यान देना होगा। कृषि में अनुसूचित जन जाति के लोग ज्यादा लगे हुए हैं और अनुसूचित जाति के लोग उद्योगों मजदूरी और दूसरे कामों पर ज्यादा लगे हुए हैं। अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए हमको उसकी कृषि की तरक्की के लिए पानी की व्यवस्था के बारे में प्राथमिकता देनी पड़ेगी। अधिकांशतः जहां मीणों के इलाके हैं वहां पर कुओं में पानी नहीं है, खास तौर से जयपुर जिले के इलाकों में पानी नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि छोटे नदी नालों पर

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

एनीकट्स बनाये जायें ताकि कुश्रों में पानी श्रा सके। मैं तो यह कहता हूँ कि कुश्रां बनाने के लिए हमें उनको पूरा अनुदान देना चाहिये, सीमेंट श्रौर पैसे की व्यवस्था करनी चाहिये ताकि वह लोग कुए बना सकें। उनको बिजली देने में भी हमें प्राथमिकता देनी चाहिये। अगर खेती में पानी का इन्तजाम नहीं होगा तो बड़ा मुश्किल है कि लोग किस प्रकार खेती में तरक्की कर सकेंगे।

जहां तक सुधरे हुये बीज, अच्छे श्रोजार कीट नाशक श्रौषधियां तथा ऋण की व्यवस्था का खेती से ताल्लुक है, हमको एस. सी. श्रौर एस. टी. के लोगों को ये सुविधायें देने में प्राथमिकता देनी चाहिये। वह प्राथमिकतायें केवल कागजों में ही नहीं रहनी चाहिये, उन लोगों तक सुविधाएं पहुँचाने के लिए हमको व्यवस्था करनी चाहिये।

जहां तक मजदूरी का सवाल है, खासतौर से अनुसूचित जाति के जो लोग गांवों में कृषि मजदूर हैं श्रौर दूसरी प्रकार की मजदूरियां करते हैं उनको न्यूनतम वेतन दिलाने की व्यवस्था करनी चाहिये। श्राज गांवों के अन्दर अनुसूचित जाति के लोगों को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल पाती है। इस बात को भी हमें ध्यान में रखना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, श्रापस में बातें नहीं करें। रिपोर्टिंग के अन्दर भी थोड़ी तकलीफ श्राती है।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : जहां तक उद्योगों का सवाल है, गांव में ऐसे इलाकों में लघु उद्योग स्थापित करने चाहिए। गृह उद्योग के बारे में भी हमें ध्यान देना चाहिये ताकि अनुसूचित जाति के लोग अपने घर बैठे गृह उद्योग से अपनी रोजी-रोटी कमा सकें।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : माननीय सभापति महोदय, पशु पालन गांव का एक विशेष धन्धा है। इसलिए पशु पालन के लिए भी हमको अनुसूचित जाति श्रौर जन जाति के लोगों को सुधरे हुए किस्म की गायें, भैंसें, भेड़ें, बकरियां श्रौर मुर्गी पालन के धन्धे भी गांवों में फैलाने चाहिये ताकि लोगों को इसके माध्यम से रोजगार मिल सके।

मैं यह कहता हूँ कि जो श्रापकी यह दूध की डेयरी हैं, उन क्षेत्रों में इनको श्रापको खोलना चाहिये जहां अनुसूचित जाति के लोग दूर ढाणियों श्रौर नदी नालों श्रौर पहाड़ियों के किनारे पर रहते हैं। ऐसे स्थानों पर भी दूध की डेयरियों की व्यवस्था करनी चाहिये ताकि लोगों को पशुपालन से होने वाली श्रामदनी में सुधार हो सके।

भूमि हस्तान्तरण का एक नियम है उसके तहत अनुसूचित जाति के व्यक्ति की जमीन ना तो अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को मिलती है श्रौर ना अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की जमीन अनुसूचित जाति के व्यक्ति को मिलती है। मेरे ही क्षेत्र मानुता पंचायत में एक गरीब हरिजन ने एक मीणा की जमीन 13 साल पहले खरीद ली। उसकी रजिस्ट्री हो गई उसमें

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)
उसने कुआ बना लिया, वहीं वह रहता है लेकिन आपके इस कायदे के मुताबिक उस मीणा को किसी ने कह दिया और उसने उसको बेखदल कर दिया। बड़ी मुश्किल हो गई ऐसी स्थिति में। मैं यह कहता हूं कि हमारे जिले और पूर्वी राजस्थान के हिसाब से तो अनुसूचित जाति के लोग अनुसूचित जनजाति के मुकाबले में ज्यादा गरीब हैं और अधिक कमजोर वर्ग के हैं इसलिए यह व्यवस्था होनी चाहिए कि और किसी अनुसूचित जन जाति के आदमी की जमीन अनुसूचित जाति वाला आदमी खरीदता है तो उसको वैध माना जाना चाहिये और यदि किसी ने खरीद ली है तो उसको वैध करना चाहिए। इसके बिना गरीब अनुसूचित जाति का आदमी बहुत दुखी होता है।

जहां तक गरीबों के साथ भेदभाव बरतने और इनके बच्चों की शिक्षा का ताल्लुक है उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों की शिक्षा के लिए जिस प्रकार आश्रम छात्रावासों की व्यवस्था शुरू की है इसमें हमको और आगे तेजी से बढ़ना पड़ेगा। केवल एक क्षेत्र में एक छात्रावास से काम नहीं चल सकता इसलिए हमको इन क्षेत्रों में उन छात्रों की संख्या को मद्दे नजर रखते हुए छात्रावासों की संख्या बढ़ानी चाहिये। जहां पर इनके स्कूल हैं वहां स्कूल भवनों की भी व्यवस्था करनी चाहिये।

जहां तक पेयजल का सवाल है, यह भी गांवों में एक गम्भीर प्रश्न है। जहां पर अनुसूचित जाति के लोगों के साथ अन्य लोग निवास करते हैं वहां पर हमको पानी की व्यवस्था सबसे पहले करनी चाहिए। यद्यपि हमने यह नियम बना रखा है कि पहले अनुसूचित जाति के मौहल्लों में पानी की व्यवस्था हो परन्तु देखने में और व्यवहार में यह आता है कि जो असरदार लोग हैं वहां तो लोग हैंड पम्प और कुएं आदि की व्यवस्था करा लेते हैं लेकिन उन लोगों के मौहल्लों में इसकी व्यवस्था नहीं की जाती। इसलिये इस मामले में भी हमको सख्ती से इस नियम को लागू कराने की व्यवस्था करनी चाहिए कि पहले चाहे कहीं विद्युतीकरण हो, चाहे पीने के की पानी व्यवस्था हो....

श्री रामसिंह बिश्नोई (लूणी): शिड्यूल्ड कास्ट पर बोल रहे हैं या हैंड पम्प पर बोल रहे हैं ?

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : अनुसूचित जाति और जनजाति के जो भी मामले हैं हैंड पम्प भी उसमें शामिल हैं, गांव के समर्थ लोगों ने, मुखिया, पंच, सरपंचों ने अपने मकानों के बाहर तो हैंड पम्प लगा लिए लेकिन गरीब हरिजनों के मौहल्लों में पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मेरा इसमें विनम्र सुझाव है कि जिस गांव का विद्युतीकरण हो, उस गांव में सबसे पहले गरीब और पिछड़े लोगों के मौहल्लों में बिजली लगनी चाहिए और जिस गांव में पेयजल की व्यवस्था हो, चाहे कुएं या हैंड पम्प से हो उस गांव में भी वह व्यवस्था पहले पहल उनके मौहल्लों में करनी चाहिए। इस प्रकार से हमको ध्यान देना चाहिए।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : जहां तक इन गरीबों के स्वास्थ्य का सवाल है, उस पर भी हमने बहुत कम ध्यान दिया है। अनुसूचित जनजाति निगम के द्वारा, जिसको माडा योजना कहते हैं, इसमें लोगों के स्वास्थ्य के लिए कुछ रकम तो रखी गयी है, पर मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि उनके इलाकों में खासतौर से आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरी और मेडिकल डिस्पेन्सरीज खोलने के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए माडा योजना में कुछ डिस्पेन्सरीज अलॉट की जानी चाहिएं ताकि उस योजना के गांव में ही वह डिस्पेन्सरी खोली जा सकें और

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उन लोगों की चिकित्सा की व्यवस्था की जा सके। मेरा यही विनम्र सुझाव है।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री कैलाश मेघवाल।

यह आपने भाषण देने वालों के लिये बजायी है या अब जो शुरूआत कर रहे हैं उनके लिये बजायी है?

श्री शिवदानसिंह राठौड़ : आपके द्वारा घंटी बजाते ही ये बैठ गये इसलिये हमने ताली बजायी है।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की कमिश्नर की रिपोर्ट पर हम चर्चा कर रहे हैं। यह चर्चा सार्थक हो। सार्थक इसलिए कि यह कागजी सिफारिशें, सिफारिशें नहीं रह जायें, मैं इन सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अफसोस तो यह है कि इस गम्भीर विषय पर भी दोनों मंत्री अपनी ही चर्चा में व्यस्त हैं। मैं चाहता था कि माननीय मुख्य मंत्री और यहां होते तो उनसे सीधे सीधे कुछ सवाल किये जाते क्योंकि मेरा यह मानना है, सभापति महोदय, कि जबसे माननीय श्री शिवचरणजी माथुर मुख्य मन्त्री बने हैं तब से शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रति एक सौतेला व्यवहार चालू हुआ है। मैं नहीं कहता वह लेकिन इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट राज्य सरकार को 80 में मिल गयी। इसका जो फारवर्ड है, माननीय सभापति महोदय, 31 मार्च, 80 को यह छपी है और 31 मार्च, 1980 को छपने के बाद··

श्री रामसिंह विश्नोई : यह बात सही नहीं है।

श्री कैलाश मेघवाल : सही नहीं है तो मैं तो बोल रहा हूं। आप बोल लेना सही नहीं है तो। वह मंत्री जी जवाब देंगे। मैं तो आंकड़ों से स्पष्ट करूंगा।

श्री दुलाराम, यह इसलिए सही नहीं है कि पहले यह रिपोर्ट पार्लियामेन्ट में डिस्कस होती है और उसके बाद स्टेट्स के पास आती है। स्टेट्स में आने के बाद हमने तुरन्त रिपोर्ट पेश करदी।

श्री कैलाश मेघवाल : सरकार को कब मिली?

श्री दुलाराम : आप जो भाषण दे रहे हैं 1977-78, 1978-79 में आपने रिपोर्ट ही पेश नहीं की और आप हमें पूछे चले जा रहे हो।

श्री कैलाश मेघवाल : सभापति महोदय, मुझे अफसोस है। इसलिये अफसोस है कि इस विषय को जिस तरह से राजनैतिक रंग देने की कोशिश की जाती है हर बार, मैं निवेदन कर रहा हूँ कि· · ·

श्री दुलाराम : यह कोई राजनैतिक रंग नहीं है।

श्री कैलाश मेघवाल : क्या मंत्री इस तरह हस्तक्षेप करेगा।

श्री दुलाराम : यह दुर्भाग्य था जनता पार्टी शासन का कि उसने रिपोर्ट ही पेश नहीं की।

श्री कैलाश मेघवाल : सभापति महोदय, पेश की या नहीं की, मैं एक व्यवस्था चाहता हूँ कि क्या एक माननीय मंत्री को इस तरह से हस्तक्षेप करने का अधिकार है ? जब डिबेट चल रही हो उस समय मंत्री इस तरह से हस्तक्षेप करें यह बड़ी शर्म की बात है। मैं कहना चाहता हूं, आपके पास तर्क हों तो तर्क के आधार पर जवाब दें। करेक्ट नहीं कर रहे हैं, वह टालना चाहते हैं। मुझे अफसोस है इस तरह हस्तक्षेप करने की आपको आदत पड़ गयी है। आप चुप रहिये और सुनिये।

श्री दुलाराम : मेरी बात सुनिये आप। आपको ज्यादा जोर से बोलने की जरूरत नहीं है। आपने हाउस को गुमराह करने की कोशिश की इसलिए मैंने कहा था कि पहले यह पार्लियामेन्ट में जाती है उसके बाद स्टेट्स में आती है। स्टेट में 81 में यह आ गयी थी। आप गलत कह रहे हैं कि अब पेश किया है।

श्री कैलाश मेघवाल ; माननीय सभापति महोदय, मुझे अफसोस है शिड्यूल्ड कास्ट का मंत्री होते हुए· ·

श्री दुलाराम : अफसोस आपको होगा। मैं तो मिनिस्टर हूँ मेरे को क्या अफसोस होगा।

श्री कैलाश मेघवाल : बार बार जिस तरह से हस्तक्षेप कर रहे है मेरी डिबेट में वह इस सदन के नियमों के अनुकूल नहीं है।

श्री सभापति : मन्त्री महोदय आप जवाब दें तब इसका जवाब दे दें।

श्री दुलाराम : मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप फरमा रहे हैं कि यही रिपोर्ट अब पेश की गई इसलिए मैंने कहा कि यह अब पेश नहीं की गयी बल्कि 81 में पेश की गयी।

श्री कैलाश मेघवाल : मेरे खड़े होने के बाद यह छठी बार माननीय मन्त्री महोदय, ने हस्तेक्षप किया है बोलने में। मुझे बोलने का अधिकार है। मैं डिबेट में हिस्सा ले रहा हूं। दो मिनट नहीं हुए अभी, सभापति महोदय, और छठी बार हस्तक्षेप करने की जो मन्त्री महोदय ने हिमाकत की है आप उनको ताड़ना दीजिए इस बात पर।

मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, सिफारिशें हैं। इस रिपोर्ट के पेज 241 पर एक सिफारिश है। पेज नम्बर 241 पर 19 और 20 सिफारिशें हैं मैं उनसे अपनी डिबेट चालू करना चाहता हूँ, माननीय सभापति महोदय वह सिफारिश यह है :-

(श्री कैलाश मेघवाल)

"जब तक सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों के प्रतिनिधित्व में कमी बनी रहेगी तब तक मात्र आप तो चुप रहो। उन्हें तो हंसी उड़ानी है क्यों कि वह चर्चा नहीं करना चाहते। यह सिफारिशें जो हैं....

(व्यवधान)

नहीं सीरियस तो बहुत हूं, माननीय गोटेवाला साहब! सीरियस कौन नहीं है यह तो सारा सदन जानता है।

श्री सभापति : सब सीरियस हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : इस विषय को हमेशा पॉलिटिकल ओवर टोन देने की कोशिश की जाती है और इसलिये यह बड़ा दर्द है हमको। मैं चाहता हूं कि आपके पास तर्क हों। आपकी रिपोर्ट जो आपके समय में पेश की गई, जो आपकी कस्टडी में है मैं, तो इस पर चर्चा कर रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, जब तक सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों के प्रतिनिधित्व में कमी बनी रहेगी तब तक मात्र समान अवसर देने के बजाय विशेष अवसर देने की नीति को जारी रखना होगा। ऐसी परिस्थिति में यह अनिवार्य है कि नीति को अधिक उत्साह और दृढ़ निश्चय के साथ जारी रखा जाएं। इसके लिए आरक्षण का निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत भी बढ़ाया जा सकता है जिससे अपेक्षित परिणाम थोड़े समय में शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हो सकें तथा यह निहित स्वार्थों का यह लांछन लगने देने से पूर्व हो जाए जिसे कुछ लोग बहुत अनुचित रूप से लगाते रहते हैं।

सिफारिश नं. 20 :

"सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व को यथोचित समय में वांछित स्तर तक पहुँचाने के लिये यह आवश्यक है कि इस स्कीम को नए सिरे से देखा जाए। पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर आरक्षण का सिद्धांत अपने आप में ठोस है और उच्चतम न्यायालय ने भी इसका समर्थन किया है। फिर भी, सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व के रूप में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को जो लाभ मिलने हैं वे नाममात्र के ही प्रतीत होते हैं।

अतः यह वांछनीय है कि पदों में प्रवेश के सभी स्तरों पर सीधी भर्ती पर अधिक जोर दिया जाये। सभी भर्तियों तथा विशेषकर उन सेवाओं व संवर्गों की भर्तियों के लिये जिनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व अभी भी काफी कम है, इसके लिए आरक्षण का प्रतिशत 15 प्रतिशत तथा 7.50 प्रतिशत से बढ़ाकर क्रमशः 20 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत कर देना आवश्यक है। जब तक इस नीति को नहीं अपनाया जाता तब तक निकट भविष्य में प्रतिनिधित्व के अपेक्षित स्तर तक पहुँचने की आशा नहीं की जा सकती। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की भर्ती में बहुत काफी सुधार हो सकता था यदि चयन समिति विभागीय पदोन्नति समिति अथवा नियुक्ति प्राधिकारी ने अनुसूचित जातियों

(श्री कैलाश मेघवाल)

तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को मिलने वाली ढीलों तथा रियायतों से सम्बन्धित विभिन्न सरकारी आदेशों का सिद्धांत और व्यवहार में ठीक ठीक पालन किया होता । "ग" तथा "घ" समूह के गैर तकनीकी अथवा अर्द्ध तकनीकी पदों के मामले में यह बात खास तौर से कही जा सकती है।"

माननीय सभापति महोदय, मैंने यह सिफारिश आपके सामने इसलिये पढ़ी है कि देश का एक संविधान है और उस संविधान के तहत आरक्षण के आर्टिकल्स हैं। इन आर्टिकल्स के तहत माननीय सभापति महोदय, यह निश्चित दिशा निर्देश हैं आरक्षण के बारे में संविधान में जितना प्रतिशत राज्य में अनुसूचित जातियों का है उतने प्रतिशत का आरक्षण होना चाहिये । जितना प्रतिशत अनुसूचित जन जातियों का है उतने पद का अनुसूचित जन जातियों के लिये आरक्षण होना चाहिये। इसीलिए, माननीय सभापति महोदय, 1961 की सैन्सस के आधार पर जो पद थे जो आरक्षण का प्रतिशत था वह 1971 के प्रतिशत में बदला गया और 1971 के प्रतिशत के बाद में माननीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं मेरे पास यह फाइनल पापूलेशन फिगर्स ऑफ सैन्सस है और यह फाइनल पापूलेशन फिगर्स ऑफ सैन्सस, मेरी एक मान्यता है, 31 मार्च, 81 की जब जनगणना होकर मेरे पास एक कापी अक्टूबर में उपलब्ध हो गई थी और अक्टूबर, 81 में इस कापी का, उन जनगणना फिगर्स का इस विधान सभा में प्रयोग भी किया था । मैं माननीय सभापति महोदय, आपके द्वारा राजस्थान सरकार से पूछना चाहता हूं, 19 और 20 की जो सिफारिशें की गई हैं उन सिफारिशों के आधार पर देश का जो संविधान बना हुआ था उस संविधान के आधार पर, यह 1981 की जनगणना के आधार पर, मुझे खुशी है कि माननीय मुख्य मन्त्री महोदय पधारे हैं और ये सवाल सीधे उनसे सम्बन्ध रखते हैं शिड्यूल्ड कास्ट्स शिड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रति आपकी विशेष दिलचस्पी रहे, यह आज मेरा ध्यानाकर्षण करने का, निवेदन करने का तात्पर्य है तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि 1981 की सेन्सस में राजस्थान में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत 17.4 प्रतिशत हो गया है।

एक माननीय सदस्य : 17.04 ।

श्री कैलाश मेघवाल : 17.04 होगा । क्षमा कर दीजिए 17 मान लेता हूं मैं । 1971 में यह प्रतिशत 16 प्रतिशत था और इस 16 प्रतिशत के आधार पर अनुसूचित जातियों के लिए विभिन्न नौकरियों में 16 प्रतिशत स्थान सुरक्षित किये गये थे आज 1981 की सेन्सस रिपोर्ट मिलने के बाद 1981 निकला, 1982 निकला, 1983 निकला और सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, संविधान के प्रावधानों के अनुकूल आज तक राजस्थान की सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए संरक्षण की व्यवस्था जहां एक तरफ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त की रिपोर्ट अनुसूचित जातियों के।

(4.54 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

नौकरियों में संरक्षण की व्यवस्था 20 प्रतिशत करने की सिफारिश की है उस

(29)

(श्री कैलाश मेघवाल)

20 प्रतिशत को तो आप कब पूरा करेंगे लेकिन देश के संविधान की जो व्यवस्था है, देश के संविधान के आर्टिकल की जो व्यवस्था है इन आर्टिकल्स की व्यवस्था में 17 प्रतिशत 1981 की सेन्सस आने के बाद हो जानी चाहिये थी। मैं राजस्थान की सरकार पर आरोप लगाता हूं कि संविधान के आर्टिकल्स का उसने उल्लंघन किया है और राजस्थान की अनुसूचित जाति के साथ एक धोखा किया है कि आज तक उन्होंने 16 से 17 प्रतिशत तक नहीं किया माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं, मैं माननीय मुख्यमन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि अगर यह उन्होंने 1978-79 की आयुक्त की रिपोर्ट पढ़ी है उसमें एक सिफारिश है कि अनुसूचित जातियों का प्रतिशत जल्दी से जल्दी इनको लाभ देने के लिये 20 प्रतिशत तक बढ़ाया जाये, उस 20 प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिश के बारे में राजस्थान की सरकार ने आज तक क्या फैसला लिया है, इस आधार पर इस सदन में यह माना जायेगा कि राजस्थान की वर्तमान हुकूमत अनुसूचित जातियों के लिये हितकर है या अहितकर है। उनके सुधार में उनकी प्रगति में दिलचस्पी रखती है या नहीं रखती है, माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं दूसरा निवेदन करना चाहता हूं, आपने पदोन्नति में आरक्षण जारी किया। बहुत गम्भीर विषय है, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री महोदय, सुनिये आपका सचिवालय, चाहे वह जनता शासन के समय का सचिवालय था चाहे वह आपके शासन का सचिवालय है, राजस्थान की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के साथ, उनके अधिकारों के साथ, उनके हितों के साथ भयंकर कुठाराघात कर रहा है। मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूँ कि जोन ऑफ कन्सीडरेशन की व्यवस्था की गई, 40 पॉइन्ट का एक रोस्टर किया गया, पदोन्नति में आरक्षण की सारी व्यवस्था राजस्थान की सरकार ने जो अपनाई है, केन्द्रीय सरकार के नियमों के अनुरूप अपनाई है, केन्द्रीय सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार अपनाई है; केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों और उनके द्वारा दिये गये रोस्टर के आधार पर अपनाई गई है लेकिन आज राजस्थान के सचिवालय के जो अधिकारी हैं उन्होंने जिस तरह की व्याख्या की है, माननीय अध्यक्ष महोदय, पदोन्नति में संरक्षण के प्रावधानों की उस व्यवस्था से आज किसी भी विभाग में रोस्टर लागू नहीं है और रोस्टर कोई भरना नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूं एक के बाद एक आदेश निकलते चले गये 1975 से लगाकर 15 दिसम्बर, 1975 को आदेश निकला है रोस्टर किस तरह लागू करना है, हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट होगा उत्तरदायी। चार-पांच आदेश निकले। अन्तिम आदेश निकला इसके बाद केन्द्रीय सरकार की क्या व्यवस्था है, जोन ऑफ कन्सीडरेशन के बारे में, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूं। केन्द्रीय सरकार में 11-7-1968 को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में पदोन्नति से आरक्षण के लिये किस तरह की व्यवस्था होगी, जो निर्देश भेजे उस निर्देश में केन्द्रीय सरकार क्या कहती है

"Select lists of scheduled castes/scheduled tribes officers

(श्री कैलाश मेघवाल)

should be drawn up separately to fill the reserved vacancies as at present: officers belonging to these classes will be adjudged separately and not alongwith other officers; and if they are fit for promotion, they should be included in the list irrespective of their merit as compared to other officers. Promotions against reserved vacancies will continue to be subject to the candidates satisfying the prescribed minimum standards."

और, अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, इसके आगे फिर इसकी व्याख्या की गई है और इसलिये व्याख्या की गई कि इस तरह की स्पष्ट व्याख्या होने के बाद भी जो लागू करने वाले अधिकारी थे, जो लागू करने वाली ऑथोरिटी थी, उसने इनको ठीक ढंग से लागू नहीं किया। केन्द्रीय सरकार ने फिर से इसको स्पष्ट किया है। जो स्पष्ट किया मैं आपके सामने इसलिये पढ़ना चाहता हूँ कि आज सारे राजस्थान का राजकीय कर्मचारी, चाहे वह अधिकारी है, चाहे वह राजपत्रित अधिकारी है, चाहे अधिनस्थ अधिकारी है, चाहे क्लर्क और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, आज राजस्थान सरकार की इस गलत व्याख्या, जो केन्द्रीय सरकार की व्याख्या के विपरीत है, से परेशान है, असन्तुष्ट और उसमें असन्तोष है। केन्द्रीय सरकार ने फिर से दूसरा आदेश भेजा—

In the separate Select losts drawn for Scheduled castes and Scheduled tribes:—

मैं शुरू से पढ़ता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय...

एक माननीय सदस्य : अंग्रेजी में है।

श्री कैलाश मेघवाल : अंग्रेजी में है। केन्द्रीय सरकार के निर्देश हैं जो आपकी राजस्थान सरकार को मिले हुए हैं इनकी हिन्दी प्रतिलिपि मुझे उपलब्ध नहीं हुई, हिन्दी की आपके सचिवालय में उपलब्ध हो तो उपलब्ध करवा दीजिये। अंग्रेजी में है केन्द्रीय सरकार की व्यवस्था वह पढ़ रहा हूं। यह आदेश है :

"The following instructions will apply to the filling of vacancies resrved for scheduled castes and scheduled tribes under the orders contained in this office memorandum:—"

होम मिनिस्ट्री का है :

"1(a). Scheduled caste and scheduled tribe officers, who are within the normal zone of consideration, should be considered for promotion alongwith others and adjudged on the same basis as others and those scheduled castes and scheduled tribes amongst them, who are selected on that basis may be included in the general select list in addition to their being considered for separate select lists for scheduled castes and scheduled tribes respectively.

(122)

(श्री कैलाश मेघवाल)

"(b) If candidates from scheduled castes and scheduled tribes obtain on the basis of their positions in the aforesaid general select list less vacancies than are reserved for them, the difference should be made up by selected candidates of these communities who are in the separate select lists for scheduled castes and scheduled tribes respectively."

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। आसन पैरों पर है।

श्री कैलाश मेघवाल : एक मिनट में पूरा करता हूं।

श्री अध्यक्ष : अपूर्ण रख देते हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : एक मिनट में यह पूरा करता हूं।

श्री अध्यक्ष : 5 मिनट के लिये, सदन की अनुमति से समय बढ़ाया गया।

माननीय सदस्य स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री कैलाश मेघवाल : एक दूसरा पाइन्ट और रह गया है, अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : आप भाषण को पूर्ण रखना चाहते हैं या अपूर्ण।

श्री कैलाश मेघवाल : एक पाइन्ट तो पढ़ दूं, अध्यक्ष महोदय। भाषण तो अपूर्ण रहेगा।

श्री अध्यक्ष : फिर उस दिन प्रारम्भ कर लेना।

सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर विधान सभा की बैठक सायं 5.00 बजे अनिश्चित काल के लिये स्थगित की गई।)